त्रयोदश माला, खंड 37, अंक 1

FOR REFERNCE ONLY.

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2003
11 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

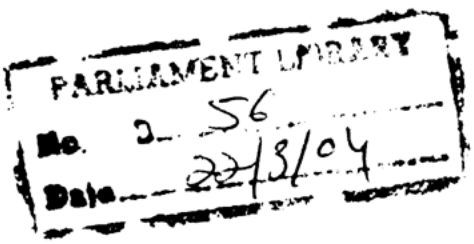

(खण्ड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड 37, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 1, मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2003/11 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	iii-xxiv
लोक सभा के पदाधिकारी . . .	xxv
मंत्रिपरिषद्	xxvii-xxx
राष्ट्रगान . .	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय . .	1
निधन संबंधी उल्लेख . . .	2-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 – 20	9-40
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 – 141	40-242

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए. एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी, (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी. डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोडे)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के. के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किन्डिया, श्री पी. आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन. एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के. ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरूम्बुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बैतूल)

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी. आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी. एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी. एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढे, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल)

चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती सन्तोष (फिल्लौर)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए. डी. के. (तिरूचेंदूर)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इडुक्की)

जालप्पा, श्री आर. एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी. जे. (पोरबंदर)

जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए. सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा. सी. पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ठाकुर, श्री पुंजाजी सदाजी (मेहसाना)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावुकरसर, श्री सु. (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी. सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्त, श्री त्रिभुवन (अकबरपुर)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित इजिलमलाई, श्री (तिरूचिरापल्ली)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी. टी. वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवगौडा, श्री एच. डी. (कनकपुरा)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमण और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी. एच. (तिरूनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर. एस. (बागलकोट)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौड (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम. के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वि. (लातूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी. के. (हिन्दुपुर)

पाल, डा. महेन्द्र सिंह (नैनीताल)

पाल, डा. सेबेस्टियन (एर्णाकुलम)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए. के. (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस. पी. सिंह (जलेसर)

'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी. एम. (पोन्नानी)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे. एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवनागौड, श्री कोलूर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी. एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालू, श्री टी. आर. (मद्रास दक्षिण)

बिन्द, श्री रामरती (मिर्जापुर)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, , श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर. एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार, (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्त्रुहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई. जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

मांझी, श्री रामजी (गया)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत (कृष्णनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरूगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए. के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, डा. एम. वी. वी. एस. (विशाखापत्तनम)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)

महेता, श्रीमती जयवंती (मुम्बई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

*मोहिते पाटील, श्री प्रतापसिंह (शोलापुर)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री प्रदीप (गोड्डा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

---

*3-12-2003 को शपथ ग्रहण की।

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमैया, डा. बी. बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदोई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी. पी. (कोयम्बटूर)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच. जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंदमान और निकोबार द्वीप)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, डा. डी. वी. जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई. वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए. पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन. आर. के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी. वी. एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई. एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस. पी. (दार्जिलिंग)

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, डा. साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहांपुर)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस. डी. एन. आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए. के. एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती जी. (अमालापुरम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरुपति)

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री वी. एस. (तिरुअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन. टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)

सनदी, प्रो. आई. जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के. ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य मा. (गुना)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. रमण (राजनंदगांव)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह देव, श्री के. पी. (ढेंकानाल)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम. (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी. एम. (अलेप्पी)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुब्बा, श्री एम. के. (तेजपुर)

सुमन, श्री, रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी. एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन्, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, चौ. तालिब (जम्मू)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मनोहर जोशी

उपाध्यक्ष

श्री पी. एम. सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी. एच. पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के. येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है अर्थात :
	(1) योजना मंत्रालय
	(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
	(3) परमाणु ऊर्जा विभाग
	(4) अंतरिक्ष विभाग
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	उपप्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी
श्री टी. आर. बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	निर्विभाग मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री अनन्त गंगाराम गीते	विद्युत मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	वस्त्र मंत्री
श्री जगमोहन	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री अरुण जेटली	विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
डा. सत्यनारायण जटिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डा. मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री सुबोध मोहिते	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री कडिया मुण्डा	कोयला मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतीश कुमार	रेल मंत्री

श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री काशीराम राणा	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री अर्जुनचरण सेठी	जल संसाधन मंत्री
श्री अरूण शौरी	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विनिवेश मंत्री
श्री जसवंत सिंह	वित्त मंत्री
श्री राजनाथ सिंह	कृषि मंत्री
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	पोत परिवहन मंत्री
श्री यशवंत सिन्हा	विदेश मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री
डा. सी. पी. ठाकुर	लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री
डा. साहिब सिंह वर्मा	श्रम मंत्री
श्री विक्रम वर्मा	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री शरद यादव	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री रमेश बैस	खान मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री संघप्रिय गौतम	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एम. कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री राजीव प्रताप रूडी	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री एन. टी. षणमुगम	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय गोयल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. चमन लाल गुप्त	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. वल्लभभाई कथीरिया	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विनोद खन्ना	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जसकौर मीणा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कैलाश मेघवाल	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती महेता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री
श्री ए. के. मूर्ति	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नागमणि	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा. संजय पासवान	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अशोक प्रधान	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ. राजगोपाल	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच. विद्यासागर राव	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री
श्री छत्रपाल सिंह	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री स्वामी चिन्मयानन्द	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सु. तिरूनावुकरसर	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पी. सी. थामस	विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2003/11 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव हाल ही में हुए उपचुनावों में नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम शपथग्रहण या प्रतिज्ञान करने के लिए पुकारेंगे।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

पूर्वाह्न 11.01 बजे

डा. सेबेस्टियन पाल (एर्णाकुलम)

श्री मोहितेपाटिल प्रताप सिंह शंकरराव – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, आज आपका जन्मदिन है। हम आपको आपके जन्मदिन पर बधाई देते हैं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय : मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वह नये मंत्रियों का परिचय करायें।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री परिषद के नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी केबिनेट स्तर की मंत्री हैं।

श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन – वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो वर्तमान सहयोगियों अर्थात् सर्वश्री मुरासोली मारन और जी. मल्लिकार्जुनप्पा तथा सात भूतपूर्व सहयोगियों अर्थात् सर्वश्री बी. के. एस. नायर, एस. रामासामी, निर्मल चन्द्र जैन, कालीचरण सकरगयम, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री कुशक बकुला और श्री एम. एल. सौंधी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री मुरासोली मारन लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के मद्रास मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके पूर्व, श्री मारन ने 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोकसभा और 1996–97 में ग्यारहवीं लोकसभा तथा 1998–99 में बारहवीं लोकसभा में श्री तमिलनाडु के इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1977 से 1995 तक श्री मारन तीन बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री मारन एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे–राजनीति, पत्रकारिता, साहित्य और सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान किया। वह एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने अपनी इस योग्यता को वर्ष 1989–90 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शहरी विकास मंत्री, वर्ष 1996 से 1998 तक उद्योग मंत्री, और वर्ष 1999 से 2002 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य करते हुए सिद्ध किया। निधन के समय वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री थे।

श्री मारन एक उत्कृष्ट सांसदविद थे और वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री मारन ने अनेक देशों की यात्रा की और वे वर्ष 1989 में लंदन में हुए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे और वर्ष 1994 में जर्मनी और आयरलैंड गये भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य भी थे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री के रूप में उन्होंने डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ता के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दोहा, कतर में हुए डब्ल्यू. टी. ओ. सम्मेलन में विकासशील देशों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उनको सम्मानपूर्वक देखा जाता था।

श्री मारन एक जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने गरीबों तथा समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए सतत कार्य किया।

श्री मारन की साहित्य में गहरी रूचि थी और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं। वह तमिल दैनिक 'मुरासोली' और अंग्रेजी साप्ताहिक 'द राइजिंग सन' के सम्पादक भी थे। उन्होंने निर्देशक, निर्माता, लेखक और पटकथा लेखक के रूप में तमिल फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय योगदान किया।

श्री मुरासोली मारन का निधन 23 नवम्बर, 2003 को चेन्नई, तमिलनाडु में 69 वर्ष की आयु में हुआ। उनके निधन से हमने एक महत्वपूर्ण नेता और एक सुविख्यात सांसद खो दिया है।

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और उन्होंने कर्नाटक के दावणगेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह इसी निर्वाचन क्षेत्र से ग्यारहवीं लोक सभा के भी सदस्य थे। श्री मल्लिकार्जुनप्पा सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान, उन्होंने कृषि संबंधी समिति और पर्यटन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वर्तमान लोक सभा के दौरान वह उद्योग संबंधी समिति के सदस्य थे।

वह एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।

वह पेशे से कृषक, व्यापारी और उद्योगपति थे। उन्होंने विभिन्न संगठनों में अनेक पदों पर कार्य किया। 1952 से 1957 तक वह प्राइमरी लैन्ड डेवलेपमेंट बैंक के निदेशक पद पर रहे, 1986 से 1989 तक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के तथा कृषि समाज, चित्रदुर्ग के अध्यक्ष पद पर रहे, और 1996 से नारियल विकास बोर्ड और कॉयर बोर्ड के सदस्य रहे। उन्होंने भीमसमुद्र में वाणिज्य मंडल तथा एरेकनट के व्यापार के लिए बाजार की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

श्री मल्लिकार्जुनप्पा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और किसानों की स्थिति में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध कराने तथा पेयजल की सुविधाएं प्रदान कराने हेतु अथक रूप से कार्य किया।

वह साहित्यिक और कलात्मक प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने 1992 में कन्नड़ में 'दिव्य चेतना' नामक पुस्तक लिखी और कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशनों में अनेक लेख दिए। उनकी नाटकों में भी रूचि थी।

श्री मल्लिकार्जुनप्पा ने अनेक देशों की यात्रा की थी। उन्होंने विश्वशन्ति दौरे में एक प्रतिभागी के रूप में वेटिकन सिटी का दौरा किया था।

श्री मल्लिकार्जुनप्पा का निधन 30 नवम्बर, 2003 को मुंबई में 74 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री बी. के. नायर 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोकसभा के सदस्य थे और उन्होंने केरल के मवेलीकारा तथा क्विलोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री नायर 1978 से 1979 तक अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा 1980 से 1982 तक सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। वह 1977 से 1978 तक श्रम सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति तथा 1978 से 1979 तक योजना सम्बन्धी समिति के सदस्य भी रहे।

उन्होंने 1980 से 1984 तक रबड बोर्ड, 1983 से 1984 तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा 1984 में कॉयर बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री नायर व्यवसाय से शिक्षक और पत्रकार थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री नायर एक विख्यात मजदूर संघ नेता थे। उन्होंने केरल राष्ट्रीय वृक्षारोपण श्रमिक परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और वह केरल की वृक्षारोपण समिति सहित, जिसमें उन्होंने लगभग 20 वर्ष तक कार्य किया, कई अखिल भारतीय समितियों और सम्मेलनों में श्रमिक प्रतिनिधि भी रहे। उन्होंने वृक्षारोपण श्रमिकों के उद्धार के लिए अथक परिश्रम किया।

श्री नायर ने अनेक देशों की यात्रा की। उन्होंने बाडुंगा, इंडोनेशिया में वर्ष 1950 में तथा जिनेवा में वर्ष 1955 में आयोजित वृक्षारोपण सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समिति की बैठकों में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया तथा कैंडी, श्रीलंका में 1974 में आयोजित अतर्राष्ट्रीय श्रम सगठन वृक्षारोपण सेमिनार में भी भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बी. के. नायर का निधन 86 वर्ष की आयु में ऐर्णाकुलम, केरल में 11 अगस्त, 2003 को हुआ।

श्री एस. रामासामी 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री रामासामी व्यवसाय से कृषक थे। उन्होंने किसान संगठनों के संवर्धन हेतु अथक परिश्रम किया।

श्री रामासामी की तमिल साहित्य में गहरी रूचि थी। उन्होंने तमिल भाषा में 'अन्ना इन अमरीका' पुस्तक की रचना की।

वह खेलकूद के प्रति भी अत्यंत उत्साही थे।

उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 22 अगस्त, 2003 को तमिलनाडु के गुडालूर में हुआ।

श्री निर्मलचन्द जैन 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के सिवनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उन्होंने 1977 से 1978 तक गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तथा 1978 से 1979 तक नियम समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री जैन ने अनेक देशों की यात्राएं की। वे 1978 में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। जिसने जापान और कोरिया गणराज्य की यात्रा की।

श्री जैन प्रख्यात अधिवक्ता थे। वह 1990 में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता बने। 1998 से 2000 तक वह भारत के ग्यारहवें वित्त आयोग के सदस्य रहे।

श्री जैन एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह जैन सम्प्रदाय के विभिन्न अखिल भारतीय संगठनों के सदस्य थे। उन्होंने मध्य प्रदेश भगवान महावीर 2500 निर्वाणोत्सव समिति के महासचिव और जबलपुर के श्री जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह मध्य प्रदेश खेल–कूद परिषद और मध्य प्रदेश ओलम्पिक कार्यकारी समिति के भी सदस्य थे।

श्री जैन मई, 2003 में अपने सार्वजनिक जीवन के शीर्ष पर पहुंच कर राजस्थान के राज्यपाल बने और अंत तक इस पद पर बने रहे।

उनका निधन 75 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के बाद 22 सितम्बर, 2003 को जयपुर, राजस्थान में हुआ।

श्री कालीचरण सकरगयम 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व वह 1967 से 1977 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। श्री सकरगयम एक सक्रिय सांसद थे। संसदीय कार्यवाही में उनकी गहरी रूचि थी। वह 1987 से 1989 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री सकरगयम पेशे से अधिवक्ता थे और उन्होंने 1957 में खंडवा की बार ऐसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात् 1963 से 1964 तक वह इसके चेयरमैन रहे। वह लॉ कालेज, खंडवा के संस्थापक सदस्य और मोतीलाल नेहरु लॉ कालेज, खंडवा के आचार्य रहे।

श्री सकरगयम एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में भिन्न–भिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1965 से 1974 तक निमाड कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के प्रबंधक और अवैतनिक सचिव के रूप में काम किया और तत्पश्चात् 1974 से 1977 तक इसके डिप्टी चेयरमैन और वर्ष 1982 में चेयरमैन के पद पर कार्य किया। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता उपभोक्ता फेडरेशन, भोपाल और अखिल भारतीय सहकारिता उपभोक्ता फेडरेशन, नई दिल्ली के निदेशक के रूप में भी काम किया।

श्री कालीचरण सकरगयम का निधन 24 अक्तूबर, 2003 को खंडवा, मध्य प्रदेश में 85 वर्ष की आयु में हुआ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी वर्ष 1952 से 1967 तक और 1971 से 1977 तक पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवीं लोक सभा की सदस्य थीं और इस दौरान उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के क्रमशः करनाल, अम्बाला, बलरामपुर और चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती सुभद्रा जोशी एक सक्रिय सांसद थीं। उन्होंने वर्ष 1972 से 1974 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह वर्ष 1960 से 1961, 1966 से 1967 और 1971 से 1973 तक कार्य मंत्रणा समिति की, वर्ष 1963 से 1965 तक सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की, वर्ष 1964 से 1967 और 1971 से 1972 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की तथा वर्ष 1972 से 1974 तक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की सदस्य भी रहीं।

वह वर्ष 1956 से 1957 तक दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकरण की, वर्ष 1961 से 1962 और वर्ष 1966 से 1967 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद की तथा वर्ष तथा वर्ष 1959 से 1960 तक राष्ट्रीय कैडिट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति की सदस्य रहीं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया और कठोर कारावास भोगा।

वह एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने समाज के दलित वर्ग के उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। अपने संगठनों 'कौमी एकता ट्रस्ट" और 'सेक्युलर डैमोक्रेसी' के माध्यम से उन्होंने जीवनपर्यन्त साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य किया। उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1995 में उन्हें राजीव गांधी फाउन्डेशन द्वारा "राजीव गांधी सौहार्द पुरस्कार" प्रदान किया गया और सरकार ने वर्ष 1998 में उन्हें राष्ट्रीय सौहार्द पुरस्कार से अलंकृत किया।

श्रीमती सुभद्रा जोशी का निधन 29 अक्तूबर 2003 को नई दिल्ली में 84 वर्ष की आयु में थोड़े समय बीमार रहने के पश्चात हुआ।

श्री कुशक बकुला 1967 से 1977 तक चौथी और पांचवीं लोकसभा के सदस्य रहे और उन्होंने जम्मू–कश्मीर के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री बाकुला, 1951 से 1967 तक जम्मू–कश्मीर विधान सभा के सदरय थे। एक योग्य प्रशासक, श्री बकुला ने उपमंत्री, राज्यमंत्री और मंत्री के रूप में 1953 से 1967 तक राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों को संभाला।

श्री बकुला एक सक्रिय सांसद थे। वह रक्षा, शिक्षा और योजना की परामर्शदात्री समितियों के सदस्य थे और अनेक संसदीय समितियों से जुड़े थे। अत्यन्त आदरणीय श्री बकुला लद्दाख के प्रमुख लामा थे। उन्हें तिब्बती भाषा और बौद्ध धर्म का एक महान अध्येता माना जाता था। बौद्ध धर्म के धार्मिक नेताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान था।

वह धार्मिक संस्थाओं के पुनर्स्थापन और लोगों की आस्था को समुचित शिक्षा और ध्यान के द्वारा सबल बनाने के लिए समर्पित थे।

श्री बकुला 2500वीं बुद्ध जयंती समारोह के लिए 1955 में भारत सरकार द्वारा गठित स्वागत समिति के एक सदस्य थे। वह नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलोजी, गंगटोक के प्रबंधन बोर्ड के सदस्य और 1953 से 1957 तक जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य रहे। वह मंगोलिया में भारतीय राजदूत रहे तथा मंगोलिया में शांति हेतु एशियाई बौद्धों का सहयोग बढ़ाने संबंधी समिति के सदस्य रहे। वह अनेक अन्य बौद्ध संगठनों से भी जुड़े थे।

श्री बकुला ने अनेक देशों की यात्रा की तथा वह परमाणु तथा हाइड्रोजन बमों के विरोध में टोक्यो में आयोजित सोलहवें विश्व सम्मेलन के शिष्टमंडल में शामिल थे।

श्री बकुला पारम्परिक कला तथा सांस्कृतिक दर्शन और धार्मिक साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए जीवनपर्यन्त कार्य करते रहे। उन्होंने विभिन्न विकास योजनाएं शुरू कर लद्दाख के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी कार्य किया।

श्री कुशक बकुला का निधन 4 नवम्बर, 2003 को नई दिल्ली में 86 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एम. एल. सोंधी 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने दिल्ली के नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सोंधी मेधावी छात्र थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा चार्ल्स यूनिवर्सिटी, प्राग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की। वह कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, वारसा के विजिटिंग स्कॉलर थे।

श्री सोंधी ने अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा में कार्यभार ग्रहण किया। बाद में उन्होंने भारतीय विदेश सेवा से त्याग पत्र दे दिया।

श्री सोंधी संस्कृत हिब्रू सोसाइटी, आनंद के. कुमारस्वामी मेमोरियल कमेटी तथा दिल्ली संगीत समाज से सम्बद्ध रहे।

श्री सोंधी एक प्रतिष्ठित विदेश नीति विशेषज्ञ थे। उन्होंने भारतीय विदेश नीति पर अनेक लेख लिखे।

श्री एम. एल. सोंधी का निधन 24 नवम्बर, 2003 को नई दिल्ली में 70 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गुणवत्तापरक पेयजल की कमी वाले गांव

*1. **श्री वी. एम. सुधीरन :***

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गुणवत्तापरक पेयजल की कमी वाले गांवों की पहचान करने संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापरक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र और राज्य–स्तरों पर निगरानी समितियां गठित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की पहचान करने संबंधी सर्वेक्षण का आदेश वर्ष 2000 में दिया गया था, जिसे सभी राज्यों द्वारा दिशा–निर्देशों के अनुसार पूरा नहीं किया गया है। दिशा–निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण पूरा करने वाले राज्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों – बसावटों की कवरेज, जल की गुणवत्ता एवं उपलब्धता शामिल हैं, के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की हैं। इस संबंध में आदेश सं. क्यू–13018/2/2002 – ए.आई.(आर.डी.) दिनांक 18 दिसम्बर, 2002 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए।

विवरण

सर्वेक्षण पूरा कर लेने वाले राज्यों की सूची

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. मध्य प्रदेश
4. पंजाब
5. राजस्थान
6. तमिलनाडु

नीचे दिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचना दी है कि उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जल गुणवत्ता की समस्या विद्यमान नहीं है–

1. अरुणाचल प्रदेश
2. उत्तरांचल
3. गोवा
4. दादरा एवं नागर हवेली
5. दमन एवं दीव
6. लक्षद्वीप
7. चंडीगढ़

यूरिया इकाइयों का नाफ्था से गैस में परिवर्तित किया जाना

*2. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का यूरिया इकाइयों को नाफ्था से गैस में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने परिवर्तन की लागत, इकाइयों को आपूर्ति किए जाने वाले गैस के स्रोत और गैस की उपलब्धता के बारे में जांच की है;

(घ) यदि हां, तो परिवर्तन हेतु तैयार की गई कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है और इस कार्य को पूरा करने में राज्य–वार कितना समय लगेगा;

(ङ) क्या ईंधन के रूप में गैस का उपयोग सस्ता पड़ता है और राज सहायता कम होने की भी संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने रूग्ण और बंद पड़ी यूरिया इकाइयों का पुनरूद्धार करने की संभावना का पता लगाया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) 1.4.2003 से प्रभावी यूरिया की नई मूल्य निर्धारण योजना का मूल उद्देश्य अत्यन्त कार्यक्षम फीडस्टॉक के उपयोग पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के कार्यक्षम प्राचलों को प्रोत्साहित करना है। प्राकृतिक गैस (एन जी)/द्रवित प्राकृतिक गैस (एल एन जी) यूरिया उत्पादन के लिए एक कार्यक्षम फीडस्टॉक होने के साथ–साथ ऊर्जा का एक स्वच्छ और लागत प्रभावी स्त्रोत होने के कारण चरण–।।। के फीडस्टॉक/ईंधन के लिए मौजूदा गैर–गैस आधारित यूरिया इकाइयों को एन जी/एल एन जी में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रारंभिक आकलनों से पता चला है कि नैफ्था आधारित संयंत्रों को परिवर्तित करने पर लगभग 20–25 करोड़ रुपए की लागत आएगी जबकि ईंधन तेल/एल एस एच एस आधारित संयंत्रों को परिवर्तित करने पर यह लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक होगी जो पुनरूद्धार और इंजीनियरी प्रक्रिया पर आधारित होगी। लागत में यह अंतर संयंत्र के आकार उसके पुरानेपन, प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करता है।

गैस–गैस आधारित यूरिया इकाइयों को परिवर्तित करने की समय तालिका नए गैस–क्षेत्रों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त उपलब्धता, आयातित एल एन जी और एन जी/एल एन जी के सुपुर्दगी मूल्य तथा उपलब्ध आधारभूत संरचना पर निर्भर करेगी।

(ङ) और (च) गैर–गैस आधारित यूरिया इकाइयों को एन जी/एल एन जी में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप फीडस्टॉक की लागत पर राजसहायता की यथेष्ट बचत होगी और ऊर्जा भी बचेगी। बचत की सही मात्रा एन जी/एल एन जी के सुपुर्दगी मूल्य संयोजन की दृष्टि से इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

(छ) और (ज) रूग्ण उर्वरक संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि इन्हें प्रौद्यो–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नही पाया गया है।

[हिन्दी]

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

*3. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

प्रो. ए. के. प्रेमाजम :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राजधानी में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002–2003 के दौरान अब तक दर्ज किए गए अपराधों का अपराधवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अपराधों में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान बलात्कार के मामलों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की दर क्या है;

(ङ) क्या माननीय उच्चतम और दिल्ली उच्च न्यायालयों ने केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस को इस संबंध में कतिपय निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों में, विभिन्न अपराध शीर्षों के अन्तर्गत घटत–बढ़त का रूझान देखा गया है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) महिलाओं के प्रति अपराध मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक कारणों से होते हैं। महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता और इस प्रकार के अपराधों के विरोध में आगे आने तथा रिपोर्ट करने के लिए राजी होने के कारण भी बड़ी संख्या में मामले सामने आते हैं, जो अन्यथा ध्यान में नहीं आते।

(घ) दिल्ली में वर्ष 2002 के दौरान बलात्कार के मामलों में दोष सिद्धि की दर 22.17% थी और चालू वर्ष में 15 नवम्बर तक 19.18% थी।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, महिला अपराध प्रकोष्ठ के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाना, महिला संस्थानों के नजदीक और उन

स्थानों, जहां पर महिलाएं अक्सर आती जाती रहती हैं, पर पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन तैनात करना, सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए छात्रा/महिला संस्थानों पर पुलिस कर्मिकों की तैनाती और संकट फंसे होने के बारे में महिलाओं से प्राप्त फोन–कालों पर कार्रवाई करने के लिए महिला पुलिस चल दल गठित करना शामिल है।

विवरण

वर्ष 2002 और 2003 (15 नवम्बर, 2003 तक) के दौरान दिल्ली में महिलाओं के प्रति सूचित अपराधों का ब्यौरा

क्र. सं.	अपराध शीर्ष	2002	2003 (15.11.2003 तक)
1.	दहेज मृत्यु	135	120
2.	बलात्कार	403	429
3.	महिलाओं का उत्पीड़न	446	444
4.	406–भा.द.सं.–दहेज से संबंधित	4	5
5.	498–क भा.द.सं. पति या ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार	1252	1070
6.	दहेज निषेध अधिनियम	7	13
7	महिलाओं का अपहरण/व्यपहरण	893	704
8.	छेडखानी	976	1433

[अनुवाद]

यूनियन कारबाईड मामला

***4. श्री बी. के. पार्थसारथी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में हुए यूनियन कारबाईड मामले, जिसमें लगभग 8000 लोग मारे गए थे और आज तक 20,000 से अधिक लोग अपंग हो गए हैं, की स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि हाल ही में एक दस्तावेज जारी किया गया है जिससे यह दावा किया गया है कि यूनियन कारबाईड ने 'अप्रमाणित प्रौद्योगिकी' का प्रयोग किया जिसके कारण जहरीली गैस का रिसाव हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा मामले के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (घ) यूनियन कारबाईड इंडिया लि. और अन्य 11 के विरूद्ध आपराधिक मामला सत्र न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय को 16.7.88 को सुपुर्द किया गया था। बचाव पक्ष ने तय आरोपों के विरूद्ध अपील की और मामले का अंतिम रूप से निपटान उच्चतम न्यायालय द्वारा 13.9.1996 को किया गया। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भोपाल की अदालत ने 28.9.97 को आरोप तय किए। मामला अभी अभियोजन साक्ष्य के चरण में लंबित है। वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध के मामले में भारत सरकार ने प्रत्यर्पण अनुरोध को भारतीय दूतावास, वाशिंगटन के माध्यम से अमरीकी गृह विभाग, और अमरीकी न्याय विभाग को अग्रसारित किया है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार उसे किसी प्रामाणिक सूत्र से इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में यह प्रश्न नहीं होता।

भारतीय दंड संहिता में संशोधन

***5. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**

डा. मंदा जगन्नाथ :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने संसद को यह सुझाव दिया है कि उसे मानसिक रूप से असक्त महिला को यौन उत्पीड़ित करने वाले के लिए सजा बढ़ाने हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को बलात्कार के अपराध संबंधी कानून में संशोधन करने हेतु गैर–सरकारी संगठनों और महिला संगठनों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास बलात्कार में शामिल लोगों को कठोर दंड देने हेतु संसद के समक्ष एक व्यापक कानून लाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने 2003 की दाण्डिक अपील सं. 298 – तुलसीदास कनोलकर बनाम गोवा राज्य में अपने 27 अक्तूबर, 2003 के निर्णय में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह कहा है कि यह बलात्कार के पीड़ित की मानसिक आयु 12 वर्ष से कम हो तो उच्चतर निम्नतम सजा के निर्धारण पर विचार किया जाए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में बलात्कार के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। इस धारा में, अन्य बातों के साथ–साथ, इस बात का भी प्रावधान है कि जो कोई भी बलात्कार करता है उसे या तो उस अवधि, जो सात वर्ष से कम न हो, का उल्लेख करके कारावास की सजा दी जाए लेकिन यह अवधि आजीवन भी हो सकती है या 10 वर्ष हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(ग) से (च) विभिन्न गैर सरकारी संगठनों जैसे साक्षी, इंटरवेन्शन्स फॉर सपोर्ट, हीलिंग एंड अवेएरनैस (आई एफ एस एच ए), आल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन (ए आई डी डब्ल्यू ए) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) के साथ विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श करने के पश्चात, विधि आयोग ने "बलात्कार कानूनों की समीक्षा" पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में, अपराध के क्षेत्र विस्तारण और इसे लिंग–भेद रहित बनाने के लिए धारा 375 में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। धारा 376 और 376 क से 376 घ तक में विभिन्न अन्य परिवर्तन करने और विधिविरूद्ध यौन सम्पर्क का निपटान करने के लिए नई धारा 376 ङ को शामिल करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निकाल देने और भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में सजा बढाने की सिफारिशें की गई हैं।

राज्य सरकारों से भारतीय विधि आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है क्योंकि दांडिक विधि और दंड प्रक्रिया, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है।

स्टाम्प पेपर्स घोटाला

*6. **श्री ए. नरेन्द्र :**

श्री चिन्तामन वनगा :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्यवार, कितने मूल्य के जाली स्टाम्प पेपर्स जब्त किए गए हैं; और ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इसके कारण सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या स्टाम्प पेपर्स घोटाले से संबंधित मामलों में पकड़े गए लोगों की आतंकवादी संगठनों, पुलिस और नौकरशाह/राजनीतिज्ञों के साथ मिली–भगत का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सही है कि इस घोटाले का प्रमुख गवर्नमेंट सेक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, नासिक से प्रिंटिंग प्रेस मशीनें प्राप्त करता था जिन्हें अनुपयोगी घोषित किए जाने के बाद नष्ट कर दिया गया दर्शाया गया था; और

(छ) सरकार द्वारा देश में ऐसी जाली मुद्रा/स्टाम्प पेपर्स आदि के मुद्रण/वितरण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जाली स्टाम्प पेपर्स के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 2001 से 24.11.2003 तक के दौरान 7 मामले दर्ज किए गए और 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 22,21,73,856 रु. मूल्य की जाली स्टाम्प जब्त की गई। राज्य–वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

राज्य	2001			2002			2003 (27.11.2003 तक)		
	सी.आर.	पी.ए.	एफ.एस.एस.	सी.आर.	पी.ए.	एफ.एस.एस.	सी.आर.	पी.ए.	एफ.एस.एस.
आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	1	8	339728रु.
दिल्ली	2	2	3862000 रु.	–	–	–	1	1	130000000रु.
गुजरात	–	–	–	1	9	87881628 रु.	–	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	–	1	–	90500रु.	1	–	–

पी.एस. सी.आर. (दर्ज मामले, पी.ए. (गिरफ्तार व्यक्ति), एफ.एस.एस. (जब्त जाली स्टाम्प)

उपलब्ध सूचना के अनुसार दर्ज मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों की राज्य–वार संख्या निम्न प्रकार से है:–

राज्य	मामलों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्ति
महाराष्ट्र	16	104
कर्नाटक	6	32
पश्चिम बंगाल	1	8
उत्तर प्रदेश	1	9
गुजरात	1	3
तमिलनाडु	3	7
चडीगढ़	1	4
दिल्ली	3	10

(घ) और (ङ) स्टाम्प पेपर्स घोटाले से संबंधित मामलों में गिरफ्तार व्यक्तियों के साथ किसी उग्रवादी गुट का कोई सम्पर्क अभी तक ध्यान में नहीं आया है। स्टाम्प पेपर्स घोटाले में अभियुक्त व्यक्तियों के साथ तथाकथित संबंधों के कारण 17 पुलिस अधिकारी/कार्मिक और दो राजनीतिज्ञ गिरफ्तार किए गए हैं।

(च) इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, 12 बेकार परफोरटिंग मशीनों में से, 10 मशीनें विभिन्न फर्मों को बेची गयी और दो मशीनें आई. एस. पी. के वाट हाऊस में पड़ी हैं। यह आरोप है कि अब्दुल करीम तेलगी, आई. एस. पी. में कार्यरत कुछ कार्मिकों की मदद से, नीलामी के दौरान इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक से दो परफोरेटिंग मशीने प्राप्त करने में कामयाब रहा।

(छ) कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों पर भारत सरकार ने स्टाम्प पेपर्स में अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। राज्यों से, जाली स्टाम्प पेपर्स को रोकने के लिए अधिकृत विक्रेताओं के भण्डार का नियमित रूप से सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है। बैंकिंग और बीमा सेक्टरो से, जाली स्टाम्प पेपर्स की समस्या से निपटने के लिए एहतियाती और निवारकत्मक उपाय करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों को, स्टाम्प पेपर्स का प्रौद्योगिकीय व्यवहारिक विकल्प शुरू करने की सलाह दी गई है और कुछ राज्यों ने, अधिक मूल्य के स्टाम्प पेपर्स के लिए फ्रेकिंग मशीने पहले ही शुरू कर दी है। इस आशय के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि पुरानी मशीनों का निपटान, उन्हें खोलकर और जिम्मेवार अधिकारियों के सामने नष्ट करने के बाद ही किया जाय और उन्हें रद्द माल (स्क्रैप) के रूप में बेचा जाय। केन्द्रीय गृह सचिव ने जाली स्टाम्प पेपर्स की समस्या से निपटाने के लिए की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा करने के लिए अनेक बैठकें की हैं और इस संबंध में 6.8.2003 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है।

उप-प्रधान मंत्री का दौरा

*7. **श्री चन्दनाथ सिंह :**

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप–प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने विगत तीन महीनों के दौरान कुछ विदेशी दौरे किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सीमापार से घुसपैठ के मुददे पर भी बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन दौरों के दौरान किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (च) जी हां, श्रीमान। उप–प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति गयूम द्वारा नई अवधि के लिए मालदीव के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में 10–12 नवम्बर, 2003 से मालदीव का दौरा किया। क्योंकि दौरा पूर्ण रूप से समारोह स्वरूप का था इसलिए वास्तव में कोई चर्चा नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, दौरे के दौरान किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

[हिन्दी]

आईएसआई की गतिविधियां

*8. **योगी आदित्यनाथ :**

श्री कमल नाथ :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आईएसआई की देश विरोधी कार्यवाहियां निर्बाध रूप से चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में आईएसआई की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) पाक आई. एस. आई. देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद और राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों को मदद दे रही है, उकसा रही है और समर्थन दे रही है।

(ग) और (घ) स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने सुसमन्वित और बहु–आयामी नीति अपनाई है जिसमें केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र प्रणाली को सक्रिय करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर, सुसमन्वित आसूचना आधारित आपरेशन द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र–विरोधी तत्वों/आई.एस.आई. एजेन्टों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है। केन्द्र और राज्य आसूचना और सुरक्षा एजेन्सियों की समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बहुत से पाक समर्थित आतंकवादी/जासूसी मॉड्यूल्स का पता लगाया/निष्क्रिय किया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल

*9. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन हेतु भारत का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में किन–किन स्थानों पर इन खेलों को आयोजित किए जाने की संभावना और इन पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है; और

(घ) सरकार का उपर्युक्त खेलों के आयोजन के लिए क्या तैयारी करने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत ने दिल्ली में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की मेजबानी के अधिकार को जीता है।

(ग) ये खेल दिल्ली में आयोजित होने हैं। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुमानों के अनुसार, इन खेलों के आयोजन में लगभग 399.05 करोड़ रुपये के व्यय की संभावना है जबकि इसकी तुलना में संभावित राजस्व 490.00 करोड रुपये होगा। अनुमानित व्यय में खेल गांव के निर्माण की लागत, जिसका अनुमान 186 करोड़ रुपये है, को शामिल नहीं किया गया है। यमुना खेल परिसर में आऊटडोर तथा इंडोर स्टेडियम के निर्माण और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विद्यमान अवस्थापना के उन्नयन के लिए 32.50 करोड रु. का अनुमानित व्यय भी किये जाने की संभावना है।

(घ) खेलों के लिए निम्नलिखित तरीकों से तैयारियाँ करने का प्रस्ताव है:–

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियाँ जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण/नई दिल्ली नगर पालिका/दिल्ली नगर निगम चरणबद्ध ढंग से विद्यमान अवस्थापना के उन्नयन का कार्य करेंगे और तदनुसार एक योजना तैयार करेंगे।

(ख) एक खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा। तथापि, खेल गांव के वित्त–पोषण और उपयोग पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।

(ग) यमुना खेल परिसर में दो नये स्टेडियमों (एक इंडोर और एक आऊटडोर) का निर्माण किया जाएगा।

(घ) इन खेलों से अनुमानित राजस्व तथा इन पर होने वाले व्यय को निश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आई. ओ. ए. तथा अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से विस्तृत विवरण तैयार किया जाएगा।

बांग्लादेशी आप्रवासी

*10. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** :

श्रीमती प्रभा राव :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह स्वीकार किया है कि बांग्लादेशी आप्रवासी देश में विभिन्न सुरक्षा संस्थानों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं जैसाकि दिनांक 7 नवम्बर, 2003 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में रह रहे बांग्लादेशी आप्रवासियों की राज्यवार, वास्तविक संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में बांग्लादेशी नागरिकों ने राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे आप्रवासियों को देश से बाहर निकालने हेतु उठाए गए कदम अप्रभावी साबित हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ज) देश से ऐसे अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने हेतु क्या ठोस योजनाएं तैयार की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) सरकार देश में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के होने की बात को स्वीकार करती है बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों के कारण उत्पन्न सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर 4 से 6 नवम्बर, 2003 को आयोजित महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया।

(ख) सरकार, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है और राज्य सरकारों को उनका पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने के प्रति सुग्राही बनाया गया है।

(ग) देश के विभिन्न भागों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद होने की सूचना दी गई है। लेकिन इस प्रकार के व्यक्तियों की सही–सही संख्या का संकलन नहीं किया गया है क्योंकि वे वैध यात्रा दस्तावेजों पर नहीं आते हैं।

(घ) और (ङ) इस आशय की रिपोर्टें हैं कि कुछ अवैध बांग्लादेशी प्रवासी, राशन कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज प्राप्त करने में कामयाब हो गए हैं। राज्य सरकारों से इस प्रकार के अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाने और उनके द्वारा प्राप्त दस्तावेजों को रद्द करने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया गया है।

(च) और (छ) इस प्रकार के प्रवासियों को खदेड़ने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन जातीय और भाषा संबंधी समानताओं और बांग्लादेश द्वारा अपने राष्ट्रिकों को वापस लेने में असहयोग के कारण पता लगाने और निर्वासन का काम मंद गति से चल रहा है।

(ज) अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापस भेजने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

विदेशियों विषेयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों को दी गई है, जिनसे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

इस मामले पर, फरवरी, 2003 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार–विमर्श किया गया था और उन्हे इस संबंध में कारगर तथा सतत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के प्रति सुग्राही बनाया गया था। इसके अलावा, मामले को विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर भी उठाया गया है।

आतंकवादी संगठन

***11. श्री मोहन रावले** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'मुस्लिम डिफेन्स फोर्स' नामक नये आतंकवादी संगठन की जानकारी है, जो देश में विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में सक्रिय है और इसके सदस्य आतंकवादी कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुम्बई में हाल के बम विस्फोटों में इस संगठन की भूमिका का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने देश में 'मुस्लिम डिफेस फोर्स' की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) सरकार को, मुस्लिम डिफेन्स फोर्स के बैनर का प्रयोग करने वाले भड़काऊ तत्वों की गतिविधियों की जानकारी है। इन में से कुछ तत्वों का आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होना ध्यान में आया है। तथापि, मुम्बई में हाल में 25 अगस्त, 2003 को बम विस्फोट की दो घटनाओं में उनकी संलिप्तता अभी तक ध्यान में नहीं आई है।

(घ) केन्द्र और राज्य सुरक्षा और आसूचना एजेन्सियां इस प्रकार के विघटनकारी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करती रही है।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धनराशि का उपयोग

*12. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर के राज्यों ने वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना–वार और राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग किया गया;

(ग) क्या कुछ पूर्वोत्तर राज्य सरकारों ने आबंटन बढ़ाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान आबंटन बढाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (च) आठों पूर्वोत्तर राज्य नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) द्वारा प्रशासित किया जाता है सहित विभिन्न स्त्रोतों से अपने अपने राज्यों के विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं हेतु निधियां प्राप्त करते हैं। एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत रिलीज राशियां परियोजना–विशेष के लिए होती हैं और संबंधित राज्यों द्वारा तय प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान (एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत 187 परियोजनाओं के निधियन के लिए 491.82 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की गई और 2002–2003 के दौरान 264 परियोजनाओं के निधियन हेतु 550 करोड रुपये की राशि अवमुक्त की गई। राज्य सरकारें/कार्यान्वयन एजेन्सियां संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवमुक्त राशि का उपयोग करती हैं। जिसे विनिर्दिष्ट समय में पूरा करना होता है। यह परियोजनाएं चल रही स्कीमें हैं और डोनर द्वारा निधियां, कार्यान्वित एजेन्सियों द्वारा समय–समय पर सूचित की गई सन्तोषजनक वित्तीय और वास्तविक प्रगति एवं तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किश्तों में अवमुक्त की जाती है।

एन. एल. सी. पी. आर निधियन के अंतर्गत आज तक 549 स्कीमों को निधियन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी 549 परियोजनाओं का राज्यवार और स्कीम वार विवरण वेबसाइट www.northeast.nic.in पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है।

आठों पूर्वोत्तर राज्य प्रति वर्ष और बाद में समय–समय पर विचार करने के लिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्कीमें डोनर को भेजते रहते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। पूर्वोत्तर राज्यों से, एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। चालू वर्ष के बजट में, एन. एल. सी. पी. आर. के अंतर्गत निधियन हेतु 550 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका अभी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए, चालू वर्ष के दौरान आबंटन बढाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

लघु उद्योगों का विकास

*13. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों में चालू वित्त वर्ष, यानि 2003–04 की पहली तिमाही के दौरान कितनी विकास–दर दर्ज की गई;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की विकास–दर कितनी है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की विकास–दर में कोई गिरावट दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र में कितनी मदों को शामिल किया गया है और अन्य कितनी मदों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (घ) क्योंकि लघु उद्योगों के डाटा की उपलब्धि में छः से नौ माह का अन्तर है, चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान दर्ज की गई अनुमानित वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले वर्ष अर्थात 2001–02 की तुलना में वर्ष 2002–03 में विकास दर में वृद्धि हुई है। अनुमानित वृद्धि दर जो कि 2001–02 में 6.08 प्रतिशत थी, के मुकाबले में वर्ष 2002–03 में यह दर 7.68 प्रतिशत है।

(ङ) शायद संदर्भ लघु उद्योग सेक्टर की आरक्षित मदों के संबंध में है। लघु उद्योग सेक्टर जो कि 7500 से अधिक मदों को उत्पादित करता है, उनमें से 675 मदें हाल ही में लघु उद्योग सेक्टर में विनिर्माण हेतु आरक्षित हैं। सूची में कोई भी मद को जोड़ना या हटाना केवल आई. डी. आर. अधि ानियम, 1951 के तहत गठित की गई एडवाईजरी कमेटी की सिफारिशों पर तथा स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श के उपरांत किया जाता है। फिलहाल सूची में कोई मद जोड़ने संबंधी प्रस्ताव नहीं है।

(च) जबकि लघु उद्योगों के विकास संबंधी कार्य मुख्यतः राज्य/संघ शासित सरकारों का है, केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्कीमों जैसे कि एकीकृत बुनियादी संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्किटिंग तथा उद्यमिता विकास इत्यादि के कार्यान्वयन द्वारा लघु उद्योग सेक्टर के सम्वर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए है। इसके अलावा, 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग के सम्वर्धन और विकास के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है, ताकि वे घरेलू तथा विश्वव्यापी दोनों ही तौर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकें। नीति पैकेज में वित्तीय तथा क्रेडिट सहायता, बेहतर बुनियादी संरचना तथा मार्किटिंग सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल है। इन प्रयासों की वजह से लघु उद्योग सेक्टर ने प्रतिस्पर्धा के प्रति लचीलापन दर्शाया है, क्योंकि इसने वृद्धि दर में वृद्धि रिकार्ड की है। जोकि समग्र औद्योगिक वृद्धि से कही अधिक है।

[हिन्दी]

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन

*14. **श्री प्रदीप यादव :**

श्री परसुराम माझी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003–04 के दौरान प्रत्येक जिलों विशेषकर सूखा प्रभावित जिलों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के अंतर्गत अब तक कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की मांग की गई है और उन्हें जारी किया गया है;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत राज्यों को घटिया स्तर के खाद्यान्नों की आपूर्ति किए जाने संबंधी शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकारें अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थता जाहिर कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) इस वर्ष की शेष अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए खाद्यान्न की कितनी मात्रा जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) योजना के अंतर्गत राज्य–वार अब तक कितने श्रम दिवस सृजित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी. आर.वाई.) के दो चरण है और इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में चलाया जा रहा हैं यह योजना आबंटन आधारित भी है। योजना के अंतर्गत आबंटन निधियों और खाद्यान्न के रूप में राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर जिलों के बीच पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर आबंटित किया जाता है। एस. जी. आर. वाई के अंतर्गत, पहली किस्त के रूप में वर्ष 2003–04 के दौरान पहले चरण में 15.99 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 548 जिलों को और दूसरे चरण के अंतर्गत 15.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 521 जिलों को रिलीज किया गया है। इसी तरह से दूसरी किस्त के रूप मे चरण–। के अंतर्गत 74 जिलों को 0.54 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और दूसरे चरण में 106 जिलों को 0.69 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रिलीज किया गया है।

(ख) से (ङ) योजना के दिशानिर्देश इस दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट है कि खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से नहीं लिए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के

लिए कि खाद्यान्न की एफ.ए.क्यू. कम नहीं है, संयुक्त सैंपलिंग की व्यवस्था भी की गई है। किसी भी राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत निम्न स्तर के खाद्यान्न की आपूर्ति की रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(च) कुल 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों के आबंटन में से चालू वर्ष के दौरान अब तक 32.81 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न रिलीज किये गए हैं। खाद्यान्नों का शेष आबंटन संबंधित जिलों को चालू वर्ष के शेष भाग में तब रिलीज किया जाएगा जब वे उसके लिए पात्र हो जाएंगे।

(छ) यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2002 से पूरी तरह से चल रहा है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की रिपोर्टों के अनुसार योजना के अंतर्गत अब तक राज्यवार सृजित कार्य दिवसों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत 2002–2003 से 2003–2004 तक (अक्तूबर 2003 तक) सृजित राज्यवार कार्यदिवस

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सृजित कार्यदिवस (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	547.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.65
3.	असम	607.35
4.	बिहार	574.80
5.	छत्तीसगढ़	532.69
6.	गोवा	0.92
7.	गुजरात	320.84
8.	हरियाणा	140.80
9.	हिमाचल प्रदेश	33.20
10.	जम्मू–कश्मीर	51.49
11.	झारखंड	325.84
12.	कर्नाटक	769.61
13.	केरल	116.90
14.	मध्य प्रदेश	839.04
15.	महाराष्ट्र	670.55
16.	मणिपुर	15.41
17.	मेघालय	26.10
18.	मिजोरम	16.93
19.	नागालैण्ड	16.39
20.	उड़ीसा	745.59
21.	पंजाब	43.88
22.	राजस्थान	555.41
23.	सिक्किम	6.28
24.	तमिलनाडु	801.72
25.	त्रिपुरा	161.30
26.	उत्तरांचल	80.83
27.	उत्तर प्रदेश	1668.05
28.	पश्चिमी बंगाल	566.41
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.36
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00
31.	दमन और दीव	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.10
33.	पांडिचेरी	4.38
	कुल	10258.65

[अनुवाद]

नक्सलवादी संगठनों के साथ वार्ता

*15. **श्री रूपचन्द मुर्मू** : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में किन–किन नक्सलवादी संगठनों के साथ भारत सरकार वार्ता कर रही है;

(ख) इन प्रत्येक नक्सलवादी संगठनों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रत्येक संगठनों के साथ कितनी बार औपचारिक वार्ता की जा चुकी है; और

(घ) इन वार्ताओं में अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) केन्द्र सरकार किसी भी नक्सलवादी संगठन के साथ वार्ता नहीं कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

स्वजलधारा योजना के लिए अनुदान

*16. **श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आरंभ की गई स्वजलधारा परियोजना में ग्रामीण स्तर के विकास में योगदान मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों से कितने प्रस्ताव मिले हैं और राज्य–वार अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) क्या धनराशि न जारी किए जाने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ मतभेद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) स्वजलधारा योजना दिसम्बर, 2002 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य समूचे देश को कवर करने के लिए 1999 में क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं के जरिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में शुरू किए गए सुधार प्रयासों को बढ़ाना है। कार्यक्रम में तेजी आ रही है तथा यह मुख्य संदेश फैल रहा है कि स्थानीय समुदाय को योजना की पूंजीगत लागत का एक अंश तथा सम्पूर्ण संचलन एवं रख–रखाव लागत को वहन करना है। इस तथ्य की इस बात से पुष्टि होती है कि 16 राज्यों के 316 जिलों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं।

(ग) 2002–03 के लिए राज्यों से 20372 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 4744 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है तथा 15 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र को अब तक 11123.70549 लाख रु. की राशि रिलीज की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

विवरण

स्वजलधारा योजना (2002–03)

27.11.2003 तक

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	अनुमोदित प्रस्तावों की सं.	रिलीज की गई प्रथम किस्त (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9037	1661	4003.1086
2.	असम	103	54	370.1227
3.	छत्तीसगढ़	266	102	131.4989

1	2	3	4	5
4.	दादरा और नगर हवेली	1	1	4.7400
5.	गुजरात	136	30	83.9870
6.	हरियाणा	45	2	10.9750
7.	हिमाचल प्रदेश	495	471	335.7800
8.	जम्मू–कश्मीर	2	–	–
9.	कर्नाटक	247	55	109.0700
10.	केरल	536	120	272.8376
11.	मध्य प्रदेश	819	91	264.4870
12.	महाराष्ट्र	1491	782	3722.0900
13.	नागालैंड	14	–	–
14.	उड़ीसा	474	287	335.8377
15.	पंजाब	53	–	–
16.	राजस्थान	224	35	187.2590
17.	सिक्किम	1	–	–
18.	तमिलनाडु	1255	390	702.0426
19.	त्रिपुरा	5	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	5053	655	565.9767
21.	प. बंगाल	115	8	23.8840
	कुल	20372	4744	11123.7055

खादी ग्रामोद्योग आयोग

*17. **डा. एम. बी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देश के बेरोजगार युवकों के लिए वृहत् स्वरोजगार योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना द्वारा राज्य–वार कितने युवकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

असम में हिन्दी भाषी लोगों को खतरा

*18. **श्री भास्करराव पाटील :**

डा. चरण दास महंत :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्य असम में हिन्दीभाषी लोगों को उल्फा और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा राज्य छोड़ने या परिणाम भुगतने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोग मारे गए हैं और इस घटनाक्रम पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का आतंकवादी संगठनों के नेताओं और संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दीभाषी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ङ) रिपोर्टों के अनुसार, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रांट ऑफ असम (उल्फा) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सभी हिन्दीभाषी लोगों को असम और पूर्वोत्तर छोड़ने को कहा गया था।

असम सरकार ने सूचित किया है कि हिंसक घटनाओं में (26.11.2003 तक) 50 व्यक्ति मारे गए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ) की पुनः तैनाती के द्वारा उनकी मौजूदगी को सुदृढ़ करे। राज्य सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय आबादी में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए उन स्थानों जहां, बिहारी लोग अधिक संख्या में हैं, में सेना मांगने की सलाह भी दी गई है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की 25 अतिरिक्त कम्पनियां भी उपलब्ध की थी। लघु उद्योग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के केन्द्रीय मंत्री, डा. सी. पी. ठाकुर और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री स्वामी चिन्मयानन्द ने 22–23 नवम्बर को गुवाहाटी और बोगाईगांव, तिनसुकिया और डिब्रुगढ़ में घटना स्थलों का दौरा किया और असम के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ मुद्दों पर चर्चा की।

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी उग्रवादी ग्रुपों से हिंसा का मार्ग त्यागने और हमारे संविधान के अंतर्गत वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है। असम में यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोड़ोलैंड (एन डी एफ बी) ने अभी तक जवाब नहीं दिया है।

खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध

*19. **श्री रामजीवन सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने खतरनाक प्रभावों के कारण विश्व के अनेक देशों में प्रतिबंधित कुछ कीटनाशकों का देश में अभी भी उत्पादन और उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में किन–किन क्षेत्रों में इन कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) इन कीटनाशकों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध न लगाने के क्या कारण हैं जबकि उन देशों में जहां इन पर प्रतिबंध है, वहां किए गए वैज्ञानिक विश्लेषण में इनके उपयोग को हानिकारक पाया गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व के विभिन्न देशों में प्रतिबंधित 31 पेस्टिसाइडों का भारत में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे पेस्टिसाइडों की सूची संलग्न विवरण–। में दी गई है। इन पेस्टिसाइडों का प्रयोग फसलों के लिए किया जाता है जिसके लिए कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति द्वारा अनुशंसा की गई है।

(ग) और (घ) पेस्टिसाइडों पर प्रतिबंध/परिसीमन विभिन्न देशों की कृषि संबंधी जलवायु और एग्रोनोमिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। इन पेस्टिसाइडों में से अधिकांश की विशेषज्ञ समिति गठित करके भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई है, जिसने इन पेस्टिसाइडों के सतत प्रयोग की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, ऐसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 27 पेस्टिसाइडों पर प्रतिबंध लगाया है।

जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है। नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के ब्यौरे संलग्न विवरण–।।। में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने समेकित पेस्ट प्रबंधन (आई. पी. एम.) अपनाया है जिसमें देश में मूलभूत सिद्धांत और पादप–सरक्षण के बुनियादी स्वरूप में सांस्कृतिक, यांत्रिक और जैविक पद्धति, और जरूरत पर आधारित पेस्टिसाइडों के प्रयोग शामिल हैं। आई. पी. एम. दृष्टिकोण जैव पेस्टिसाइडों और जैव नियंत्रण एजेंटों के प्रयोग पर बहुत बल देता है। देश भर में 26 केन्द्रीय एकीकृत पेस्ट प्रबंधन केन्द्र किसानों को आई. पी. एम. में प्रशिक्षण देने में कार्यरत है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में 29 राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है।

विवरण-।

पेस्टिसाइडों का प्रयोग और वितरण

उन पेस्टिसाइडों की सूची जिन्हें विश्व के कुछ देशों में प्रतिबंधित/सख्ती से परिसीमित किया जा चुका है किन्तु जिनका भारत में अभी भी प्रयोग किया जा रहा है।

क्र. संख्या	उत्पाद का नाम
1	2
1.	अलक्लोर
2.	अल्युमिनियम फॉसफिड
3.	बेनोमिल
4.	कैप्टान
5.	कारबरिल
6.	कार्बोफ्यूरान
7.	कार्बोसल्फान
8.	डाइकोफोल
9.	डाइमेथोएट
10.	डयुरोन
11.	इन्डोसल्फान
12.	फेनारिमोल
13.	फेनप्रोपेथ्रीन
14.	लिन्डेन
15.	ल्यूनोरोन
16.	मालाथियोन
17.	मेथोमिल
18.	मेथोक्सी इथाइल मर्करी क्लोराइड
19.	मिथाइल् पाराथियोन
20.	मोनाक्रोटोफोस
21.	आक्सीफ्लूरोफेन
22.	पाराक्वाट डाइक्लोराइड
23.	फोरेट
24.	फोस्फामिडोन
25.	प्रेटिलाक्लोर
26.	ट्राइजोफोस
27.	ट्राइडिफोर्म
28.	थियोमिथोन
29.	थिरम
30.	जिंक फॉस्फाइड
31.	जीरम

विवरण-।।

भारत में प्रतिबंधित पेस्टिसाइडों/पेस्टिसाइड सूत्रयोगों की सूची

क. उत्पादन, आयात और प्रयोग के लिए प्रतिबंधित पेस्टिसाइड

1. अल्ड्रीन
2. बेंजीन हेक्साक्लोराइड
3. केल्सियम साइनाइड
4. क्लपरोड
5. कॉपर ऐसेटपारासिमोट

6. डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन
7. एन्ड्रीन
8. इथाइल मर्करी क्लोराइड
9. इथाइल पाराथियोन
10. हेप्टाक्लोर
11. मेनाजोन
12. नाइट्रोफेन
13. पाराक्वाट डाइमिथाइल सल्फेट
14. पेन्टाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन
15. पेन्टाक्लोफेनोल
16. सोडियम मिथेन आर्सोनेट
17. टेट्राडिफोन
18. टॉक्साफेन
19. आल्डीकार्ब
20. क्लोरबेंजीलेट
21. डिलड्रीन
22. मेलिक हाइड्राजाइड
23. ऐथलिन डाइब्रोमाइड
24. टी सी ए (ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड)

ख. पेस्टिसाइड/पेस्टिसाइड सूत्रयोग जो प्रयोग के लिए प्रतिबंधित हैं, पर निर्यात के लिए जिनके उत्पादन की अनुमति है

25. निकोटीन सल्फेट
26. फिनाइल मर्करी एसिटेट
27. केप्टाफोल 80% पाउडर (17.7.2003 से प्रयोग प्रतिबंधित)

ग. आयात, उत्पादन और प्रयोग के लिए प्रतिबंधित पेस्टिसाइड सूत्रयोग

1. मेथोमिल 24% एल
2. मेथोमिल 12.5% एल
3. फॉस्फामिडोन 85% एसएल
4. कार्बोफ्यूरोन 50% एसपी

घ. भारत में परिसीमित प्रयोग के लिए पेस्टिसाइड

1. अल्यूमिनियम फास्फाइड
2. डी.डी.टी
3. लिन्डेन
4. मिथाइल ब्रोमाइड
5. मिथाइल पाराथियोन
6. सोडियम साइनामाइड
7. मिथोक्सी इथाइल मर्किट क्लोराइड (एम इ एम सी)

विवरण-III

कीटनाशकों की समीक्षा

विशेषज्ञ समिति का नाम	समीक्षा का वर्ष	समीक्षित कीटनाशकों की संख्या
बनर्जी समिति	1984	14
बनर्जी समिति	1989	17
बामी समिति	1992	18
रमण समिति	1995	15
आर बी सिंह समिति	1998	28
ओ पी दूबे समिति	2002	1

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित

–27 पेस्टिसाइड्स और 4 पेस्टिसाइड सूत्रयोग प्रतिबंधित किए गए

–7 पेस्टिसाइडों को परिसीमित किया गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण उद्योग

***20. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गैर व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधन (नन–लैप्सेबल सेन्ट्रल पूल रिसोर्स) के अंतर्गत असम के बोडो लैंड क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में कृषि और ग्रामीण उद्योग लगाने का है जिससे वहां के बेरोजगार युवकों के लिए नौकरियां/रोजगार का सृजन किया जा सके और उस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे कुल कितने उद्योग स्थापित किए ऐसे गए हैं और इस प्रयोजनार्थ अब तक कुल कितनी ध नराशि खर्च की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित कृषि और ग्रामीण उद्योगों को कर अदायगी से छूट देने का कोई नीतिगत दृष्टिकोण है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) और (ख) सरकार, नौकरियां/रोजगार का सृजन करने के लिए कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए नए उद्यमियों को मार्जिन मनी आदि प्रदान करके प्रोत्साहन देने के लिए असम के बोडो लैण्ड क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का पहले ही कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है और 10 लाख रुपये से अधिक परन्तु 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रुपये का 30 प्रतिशत एवं परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है। योजना के कार्यान्वयन का वित्त पोषण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों राज्य सहकारी बैंकों, आदि के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) आर.ई.जी.पी. योजना के अंतर्गत, 30.6.2003 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 11085 इकाईयों की स्थापना की गई है, जिसमें के. वी. आई. सी. से मार्जिन मनी के रूप में 6173.54 लाख रुपये निवेश तथा 24694.03 लाख रुपये बैंक ऋण के रूप में है। वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान (अक्तूबर, 2003 तक) 12.62 लाख रुपये की मार्जिन मनी के साथ 66 इकाईयां, जिनकी परियोजना लागत 42.62 लाख रुपये है, की बोडो लैण्ड क्षेत्र में स्थापना की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) और (च) संघ सरकार ने 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राजकोषीय प्रोत्साहनों के भाग के रूप में 10 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों सहित सभी उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क एवं आय कर की छूट प्रदान की है।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उर्वरक के लिए परिवहन राजसहायता

1. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को भी उर्वरक के वितरण हेतु अतिरिक्त परिवहन राजसहायता प्रदान करने की अनुमति दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति किस तिथि को दी गयी थी;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस मुद्दे को वर्ष 2000 के दौरान दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आपूर्ति किये गये नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर दिनांक 1.4.1998 से अतिरिक्त परिवहन राजसहायता प्रदान करने के आदेश जारी किये हैं। ये आदेश 3.9.2002 को जारी किये गये थे। तथापि, यूरिया के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार से कुछ सूचना भेजने का अनुरोध किया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है। भारत सरकार राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव पर निर्णय लेगी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की 48वीं और 49वीं बैठक क्रमशः फरवरी, 1999 और सितम्बर 2001 में हुई थी। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अनुग्रह बोनस

2. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोनस अथवा अनुग्रह–राशि भुगतान को बोनस संदाय–अधिनियम, 1965 द्वारा विनियमित किया जाता है जिसके अनुसार बोनस–आहरण के प्रयोजनार्थ वेतन–सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार के उन कर्मचारियों को भी बोनस अथवा अनुग्रह–राशि का भुगतान किया जा रहा है जो इस वेतन–सीमा से अधिक वेतन ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्दिल पाठक) : (क) से (घ) केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान, बोनस–भुगतान–अधिनियम, 1965 के अनुसार विनियमित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, 3500/– रुपए प्रति माह तक वेतन या मज़दूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बोनस के भुगतान का प्रावधान किया गया है। बोनस–भुगतान–अधिनियम के अनुसार जो कर्मचारी बोनस के भुगतान के पात्र नहीं होते, उन्हें संगठन की लाभकारिता में उनके योगदान की कद्र करने के एक संकेत के रूप में बोनस के स्थान पर अनुग्रह–धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नई परियोजनाओं हेतु हुडको द्वारा ऋण

3. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर केरल में किसी नई परियोजनाओं हेतु ऋण स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां। चालू वर्ष 2003–2004 के दौरान 31.10.2003 की स्थिति के अनुसार आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने हडको निवास स्कीम के अंतर्गत विभिन्न आवास और शहरी अवस्थापना परियोजनाओं तथा व्यक्तियों के लिए 1465.45 करोड़ रु. का ऋण स्वीकृत किया है।

(ख) केरल राज्य में स्वीकृत ऋण सहित वर्ष 2003–2004 के दौरान हडको द्वारा स्वीकृत ऋण का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2003–2004 के दौरान स्वीकृत राज्य–वार ऋण 31.10.2003 की स्थिति के अनुसार

(करोड रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आवास स्वीकृत	शहरी अवस्थापना स्वीकृति	निवास स्वीकृति	कुल स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	36.30	433.22	10.92	480.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	6.68	0.00	6.68
3.	असम	2.40	22.31	7.08	31.79
4.	बिहार	0.00	0.00	0.56	0.56
5.	छत्तीसगढ़	3.53	2.95	0.41	6.89
6.	दिल्ली	14.18	0.00	1.13	15.31
7.	गोवा	0.00	85.00	0.00	85.00

1	2	3	4	5	6
8.	गुजरात	5.67	5.00	0.10	10.77
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	27.78	0.00	27.78
10.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	40.00	0.00	2.16	42.16
12.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	0.09	0.09
13.	केरल	0.00	0.00	5.62	5.62
14.	कर्नाटक	17.63	199.44	6.58	223.65
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	0.00	3.91	0.06	3.97
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.23	0.23
18.	मध्य प्रदेश	80.15	67.93	1.52	149.60
19.	मिजोरम	0.51	0.00	0.00	0.51
20.	नागालैंड	3.79	11.37	0.00	15.16
21.	उड़ीसा	0.00	6.70	1.62	8.32
22.	पंजाब	0.00	7.53	0.00	7.53
23.	राजस्थान	15.00	18.96	0.39	34.35
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	13.28	87.02	25.36	125.63
26.	त्रिपुरा	0.00	0.48	0.00	0.48
27.	उत्तरांचल	48.51	0.00	0.36	48.87
28.	उत्तर प्रदेश	11.12	71.00	1.25	83.37
29.	प. बंगाल	0.00	40.24	7.86	48.10
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.04	1.04
32.	पांडिचेरी	1.50	0.00	0.00	1.50
	योग	293.57	1097.52	74.36	1465.45

अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन

4. **श्री अनन्त नायक** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव खुली खदानों की अपेक्षा भूमिगत खदानों से अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के उत्पादन **पर** जोर देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) से (ग) जी, नहीं। कोयला उत्पादन को और

बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए, कोल इंडिया लि. ने भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों खानों में खनन तकनोलोजी का आधुनिकीकरण करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

ई.सी.एल. द्वारा कोयला खानों को बंद किया जाना

5. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 कोयला खानों को बंद करने के बारे में ईस्टर्न कोलफील्डस लि. और कोलियरी मजदूर सभा ऑफ इंडिया (सी.एम.एस.आई.) के मध्य कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.सी.एल. प्राधिकरण ने मजदूरी में वृद्धि, लक्षित उत्पादन और आयात शुल्क में वृद्धि के संबंध में समझौते का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में किन उपायों पर विचार किया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

कम्प्यूटर ख़रीद में भ्रष्टाचार

6. **श्री रामजी मांझी** : क्या क्या उप-प्रधानमंत्री कम्प्यूटर–खरीद में भ्रष्टाचार के बारे में 20.11.2002, 11.03.2003 और 29.7.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 237, 2926, 1241 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि::

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कुछ आपूर्तिकर्ताओं को कम्प्यूटर की आपूर्ति के लिए अपेक्षाकृत उच्च दर प्रभावित करने के लिए काली सूची में डाला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ङ) इस बारे में जानकारी लोक–सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

एन. एस. डी. पी. के अधीन मलिन बस्तियों का विकास

7. **श्री किरीट सोमैया :**

श्री एस. अजय कुमार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र को राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(ख) राज्यों को धनराशि आबंटित और जारी करने के लिए क्या मानदंड स्वीकार किए गए हैं;

(ग) देश के प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी मलिन बस्तियों का विकास किया गया है;

(घ) इस योजना से राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और कार्यक्रम में शामिल विकासात्मक उपायो का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना पर उपर्युक्त अवधि में वर्षवार और राज्यवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों मे प्रत्येक के दौरान राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के तहत महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को नियत की गई और प्रदान की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–। में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि राज्य की यथानुपात स्लम आबादी के आधार पर योजना आयोग द्वारा नियत की जाती है और नोडल मंत्रालय अर्थात शहरी विकास व गरीबी उपशमन मंत्रालय की सिफारिश पर, जो समय–समय पर जारी वित्तीय नियमों/विनियमो के

तहत यथा निर्धारित निष्पादन मानदंड और एनएसडीपी के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों को पूरा करने पर धनराशि की सिफारिश करता है, यह राशि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) स्लम विकास राज्य का विषय है अत: एनएसडीपी का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का दायित्व है और राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न कस्बों/नगरों में जल आपूर्ति, बरसाती पानी की नालियां, सामुदायिक स्नानघर, मौजूदा सड़कों को चौड़ा व पक्का करना, सीवर, सामुदायिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक अवसरंचना तथा आश्रय उन्नयन आदि जैसी मूल सुविधाओं के प्रावधान के लिए विशेष योजनाएं, कार्यक्रम तथा स्कीमें तैयार करती हैं और उनके लिए अपेक्षित प्रावधान करती हैं। नगर–वार आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय केवल राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) की मानीटरिंग करता है। तथापि योजना के आरंभ से इस कार्यक्रम (एनएसडीपी) की मानीटरिंग करता है। तथापि योजना के आरंभ से इस कार्यक्रम के तहत विकसित स्लम पाकेटों की संख्या और लाभान्वित व्यक्तियों के राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है।

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि के वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–।।। में दिया गया है।

विवरण–।

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम

एनएसडीपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को नियत तथा प्रदान की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		नियतन	जारी	नियतन	जारी	नियतन	जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3575.00	888.89	3575.00	3575.00	3389.00	3389.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	110.00	25.40	110.00	51.97	104.00	104.00
3.	असम	312.00	79.80	312.00	0.00	296.00	0.00
4.	बिहार	1775.00	685.30	1775.00	0.00	1683.00	1683.00
5.	छत्तीसगढ़	434.00	434.00	434.00	434.00	411.00	411.00
6.	गोवा	110.00	27.99	110.00	0.00	104.00	0.00
7.	गुजरात	2013.00	2013.00	2013.00	2013.00	1908.00	1908.00
8.	हरियाणा	565.00	513.00	565.00	513.00	536.00	536.00
9.	हिमाचल प्रदेश	110.00	27.65	110.00	100.00	104.00	76.53
10.	जम्मू–कश्मीर	725.00	175.49	725.00	725.00	687.00	687.00
11.	झारखंड	893.00	893.00	893.00	893.00	847.00	0.00
12.	कर्नाटक	2174.00	2174.00	2174.00	2174.00	2061.00	2061.50

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	1025.00	258.68	1025.00	1025.00	972.00	972.00
14.	मध्य प्रदेश	1654.00	1240.50	1654.00	1654.00	1568.00	1568.00
15.	महाराष्ट्र	3904.00	1248.58	5831.00	0.00	5500.00	5500.00
16.	मणिपुर	110.00	28.78	110.00	0.00	104.00	0.00
17.	मेघालय	110.00	28.55	110.00	0.00	104.00	15.43
18.	मिजोरम	110.00	110.00	110.00	110.00	104.00	104.00
19.	नागालैंड	110.00	28.55	110.00	0.00	104.00	104.00
20.	उड़ीसा	678.00	339.00	678.00	0.00	643.00	0.00
21.	पंजाब	994.00	251.39	994.00	0.00	942.00	0.00
22.	राजस्थान	1479.00	376.50	1479.00	1479.00	1402.00	1402.00
23.	सिक्किम	110.00	25.40	110.00	0.00	104.00	0.00
24.	तमिलनाडु	2711.00	2259.17	2711.00	2711.00	2570.00	2570.00
25.	त्रिपुरा	110.00	110.00	110.00	110.00	104.00	104.00
26.	उत्तर प्रदेश	4230.00	4041.45	4230.00	4230.00	4010.00	4010.00
27.	उत्तरांचल	182.00	182.00	182.00	182.00	173.00	173.00
28.	प. बंगाल	3768.00	3768.00	3768.00	3768.00	3572.00	3572.00

विवरण-II

योजना के आरंभ से एनएसडीपी के तहत विकसित स्लम पाकेटों की संख्या और लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	विकसित स्लम पाकेट	लाभान्वित व्यक्ति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3495	3852126
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	13450
3.	असम	194	137000
4.	बिहार	1569	1040169
5.	छत्तीसगढ़	168	286000
6.	गोवा	0*	0*
7.	गुजरात	910	2123050
8.	हरियाणा	408	393560
9.	हिमाचल प्रदेश	255	189556
10.	जम्मू–कश्मीर	36	502339
11.	झारखंड	0*	0*
12.	कर्नाटक	482	486498

1	2	3	4
13.	केरल	682	54951
14.	मध्य प्रदेश	5800	3689906
15.	महाराष्ट्र	2614	1609171
16.	मणिपुर	28	460335
17.	मेघालय	26	36000
18.	मिजोरम	115	38760
19.	नागालैंड	7	3500
20.	उड़ीसा	1873	1208000
21.	पंजाब	411	834000
22.	राजस्थान	1730	706053
23.	सिक्किम	0*	0*
24.	तमिलनाडु	1855	3692270
25.	त्रिपुरा	94	61785
26.	उत्तर प्रदेश	3247	7459000
27.	उत्तरांचल	182	292963
28.	प. बंगाल	31627	6450000

*सूचना प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-III

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम

राज्यों द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्टों में सूचित वर्ष–वार व्यय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-2001	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1534.16	2196.25	3670.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	108.92	19.23	85.00
3.	असम	203.85	80.86	130.94
4.	बिहार	1867.60	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	228.24	151.65	373.34
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1500.00	1303.74	1500.01
8.	हरियाणा	167.34	20.76	847.86
9.	हिमाचल प्रदेश	110.00	110.00	0.00
10.	जम्मू–कश्मीर	723.96	726.04	687.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	2174.00	2174.00	1030.00
13.	केरल	1996.50	504.76	373.19
14.	मध्य प्रदेश	1020.52	2654.33	1558.27
15.	महाराष्ट्र	2767.57	7706.70	4312.58
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	33.59	0.00	0.00
18.	मिजोरम	110.00	110.00	0.00
19.	नागालैंड	110.00	60.00	0.00
20.	उड़ीसा	397.30	218.00	116.50
21.	पंजाब	758.59	211.79	98.92
22.	राजस्थान	2053.09	1180.46	1175.97
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	2439.90	2711.00	0.00
25.	त्रिपुरा	110.00	110.00	104.00
26.	उत्तर प्रदेश	4586.95	4961.23	4447.64
27.	उत्तरांचल	0.00	73.86	185.58
28.	प. बंगाल	4648.75	3738.27	3644.58

ट्रैफिक चालान का कम्प्यूटरीकरण

8. डा. जसवन्त सिंह यादव : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और आज की तिथि तक किन–किन केन्द्रों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) दिल्लीवासी इसके परिणामस्वरूप कितने लाभान्वित होंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 133 के तहत नोटिस जारी करने के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली आरंभ की है। फिलहाल यह सुविधा (क) यातायात पुलिस लाइन्स तीन मूर्ति, नई दिल्ली (ख) डी.सी.पी./यातायात (उत्तरी रैंज) कार्यालय, ओल्ड पुलिस लाईन, राजपुर रोड़, नई दिल्ली तथा (ग) डी.सी.पी./यातायात (मुख्यालय) कार्यालय, सैक्टर–12 आर. के. पुरम., नई दिल्ली पर उपलब्ध है।

दिल्ली पुलिस ने यातायात उल्लंघन के लिए कम्पाउन्डिंग शुल्क के भुगतान को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित पांच

स्थानों पर चैक डिपोजिटरी मशीनें स्थापित की है, नामतः तीन मूर्ति ट्रैफिक पुलिस लाइन्स, विलिंगडन क्रेसेट रोड़, नई दिल्ली (ख) पुलिस स्टेशन आर. के. पुरम, सैक्टर–12 नई दिल्ली (ग) डी.सी.पी./यातायात (उत्तरी रैंज) कार्यालय, ओल्ड पुलिस लाइन राजपुर रोड, दिल्ली (घ) ए.सी.पी./यातायात (पूर्वी) कार्यालय, पुलिस स्टेशन शकरपुर दिल्ली, तथा (ङ) ए.सी.पी./यातायात (उत्तर–पश्चिमी) कार्यालय, पुलिस स्टेशन शकरपुर दिल्ली।

(ग) इन सुविधाओं के कारण अन्यथा होने वाली असुविधा कम होती है।

सरकारी नौकरियों के लिए जाली अनुसूचित जाति/जनजाति-प्रमाण-पत्र

9. श्री एस. अजय कुमार : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेहतरीन सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों द्वारा जाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति–प्रमाण–पत्र प्रयोग करने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से बेईमान अभ्यर्थी संघ–लोक–सेवा–आयोग की प्रक्रिया को धता बता देते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) सरकार ऐसे अभ्यर्थियों की जांच हेतु किन कठोर मानदण्डों को लागू करने की कार्यवाही पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण–पत्र इस्तेमाल किए जाने के बारे में कुछ शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) इस बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) उम्मीदवारों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होने के दावों का सत्यापन, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों के आधार पर संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त आयोग यह सुनिश्चित करता है कि जाति–प्रमाण–पत्र निर्धारित आरूप (फॉर्मेट) में हों और ये प्रमाण–पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हों। फिर भी, उपर्युक्त आयोग, जाति–प्रमाण–पत्रों की प्रामाणिकता की इन प्रमाण–पत्रों को जारी करने वाले अधिकारियों से दुतरफा जांच–पड़ताल नहीं करता।

(ङ) सरकार ने ये अनुदेश जारी किए हैं कि नियोक्ता प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर आरंभिक नियुक्ति और पदोन्नति करते समय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों/अधिकारियों और कर्मचारियों की जाति की स्थिति का सत्यापन कर लें, जिससे कि आरक्षण का लाभ सही दावेदारों को ही मिलें।

ग्रामीण आवास परियोजना

10. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नवीन आवासन परियोजना में छत में टेर टेरोक्रीट की बजाय एस्बेसटस की परत बिछाने हेतु सरकार की अनुमति लेने हेतु महाराष्ट्र राज्य का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से सरकार के पास लंबित है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) मंत्रालय को डी.आर.डी.ए., सतारा, महाराष्ट्र से 20.7.2003 को ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास के लिए अभिनव चरण के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही आवास परियोजना में अनुमोदित छत की प्रौद्योगिकी को बदलने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। चूंकि छत की प्रस्तावित पद्धति पारंपरिक है और इससे योजना के मानदंडों की पूर्ति नहीं होती है इसलिए हडको और बी.एम.टी.पी.सी. से तकनीकी टिप्पणियां मांगी गयी थी। इन तकनीकी निकायों की टिप्पणियां भिन्न थी। अब परिवर्तन के संबंध में हडको से औचित्य के साथ अंतिम टिप्पणियां मांगी गयी हैं। हडको से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद जांच समिति द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

डीडीए द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को भूमि का आबंटन

11. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन गैर–सरकारी संगठनों को भूमि आबंटित की गई है, उनका ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या भूमि के दुरुपयोग की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार ने ऐसे संगठनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या शैक्षिक संस्थानों के लिए आशयित डीडीए भूमि पर झुग्गियां बस गई हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शैक्षिक संस्थान चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को आबंटित भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्राप्त शिकायतों पर उनके द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है और आबंटन के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन तथा जब कभी किसी उल्लंघन की सूचना मिलती है उसकी रोकथाम सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। यह भी सूचित किया जाता है कि जब कभी स्लम वासियों द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया जाता है तो उसे स्लम वासियों को हटाने/पुनर्स्थापन के लिए सरकार की नीति के अनुसार निपटाया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	आबंटी का नाम	स्थान	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
1	2	3	4
वर्ष 2000			
1.	त्रिवेणी एजूकेशनल सोसियल वेलफेयर सोसायटी	जनकपुरी	2006.00
2.	आदित्य प्रौद्यो. संस्थान	द्वारका	8061.14
3.	जगन्नाथ गुप्ता स्मारक शिक्षा समिति	कालकाजी	2052.79
4.	बाल शिक्षा एवं बौद्धोकी विकास समिति	रोहिणी	5726.15
5.	द गोस्वामी विद्यापीठ	सरिता विहार	2025.00
6.	रायबहादुर रघुबीर सिंह शिक्षा समिति	सरिता विहार	4047.00
7.	स्काईलैंड शिक्षा समिति	रोहिणी	4005.00
8.	स्व. श्रीमती कौशल्या देवी स्मारक शिक्षा समिति	जनकपुरी	2711.49
9.	प्रिंस पब्लिक स्कूल समिति	रोहिणी	4000.00
10.	संत प्रयाग शिक्षा समिति	अशोक विहार	800.00
11.	सतगुरू शिक्षा समिति (रजि.)	लारेंस रोड़	907.88
12.	डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति	विकास पुरी	800.00

1	2	3	4
13.	कृष्ण धर्मार्थ समिति	मॉडल टाउन	800.00
14.	कौमी वरि. माध्यमिक स्कूल	तिकोना पाक ईदगाह	2556.00
15.	चंदन शिक्षा समिति	दिलशाद गार्डन	5240.00
16.	चंदन शिक्षा समिति	दिलशाद गार्डन	6000.00
17.	शिव शान्ति शिक्षा समिति	रोहिणी	4131.43
18.	अरवाचिन शिखा समिति (रजि.)	दिलशाद गार्डन	11736.30
19.	भगवती देवी फाउन्डेशन (रजि.)	द्वारका	8390.86
20.	दयानंद पब्लिक स्कूल	मॉडल टाउन	8094.00
21.	शांति देवी प्रोग्रेसिव शिक्षा समिति	मयूर विहार	7932.00
22.	भारती शैक्षिक न्यास	कोंडली घरौली	8991
23.	माउंट कैमल स्कूल समिति	द्वारका	8094.00
24.	द हेलहन जेरबुड स्मारक शिक्षा समिति	मॉडल टाउन	8094.00
25.	समर्थ शिक्षा समिति	पश्चिम विहार	6070.50
26.	डायमंड शैक्षिक एवं कल्याण समिति	द्वारका	8094.00
27.	पी.पी. चेरिटेबल ट्रस्ट	पीतम पुरा	7200.96
28.	डीएवी पब्लिक स्कूल	जसोला	8111.78
29.	दिल्ली भारत विकास फाउंडेशन (रजि.)	योजना विहार	1052.22
वर्ष 2001			
30.	मैसर्स महाराजा अग्रसेन तक.–शिक्षा समिति	रोहिणी	35300.00
31.	सत्संग शिक्षा परिषद	द्वारका	6070.50
32.	डवलपमेंट ऑफ प्रमोसन ऑफ आई एन टी एल बिजनेस	वसंतकुंज	2002.00
33.	रोहिणी शैक्षिक समिति	रोहिणी	2700.00
34.	शिमला शिक्षा एवं कल्याण समिति	गाजीपुर	4000.00
35.	द प्रेजिडेंट, प्रबंध समिति	पश्चिम विहार	7932.12
36.	श्री शंकरा शिक्षा समिति	द्वारका	2800.00

1	2	3	4
37.	ऋषभ शैक्षिक समिति	मयूर विहार	3207.30
38.	मित्तल शैक्षिक समिति	रोहिणी	4000.00
39.	ग्रीन लैंड शिक्षा कल्याण समिति	रोहिणी	4515.00
40.	बेबशन (पीएसवी) शैक्षिक समिति	रोहिणी	3739.41
41.	यूनाईटेड फ्रेंडस शिक्षा सोसायटी	रोहिणी	4089.40
42.	डिसेंट शिक्षा एवं बाल विकास सोसायटी	रोहिणी	4681.81
43.	अखिल भारत दिगम्बर जैन सोसायटी (रजि.)	मयूर विहार	4060.00
44.	सेंट विवेकानंद शिक्षा एवं संस्कृति कल्याण सोसायटी	मयूर विहार	4000.00
45.	मेयर राजपुर शिक्षा सोसायटी	रोहिणी	4054.05
46.	अभिनव शिक्षा संस्थान (रजि.)	पश्चिम विहार	1027.00
47.	आदर्श शिव शक्ति शिक्षा समिति	पीतमपुरा	800.00
48.	जगदीश शैक्षणिक सोसायटी	रोहिणी	310.00
49.	हर्ष शैक्षणिक सोसायटी	वसंतकुंज	800.00
50.	बाल शिक्षा सोसायटी	पीतमपुरा	829635.00
51.	शांति जनक सचदेवा शिक्षा समिति	विवेक विहार	800.00
52.	बाल शिक्षा सोसायटी	पीतम पुरा	829.84
53.	बीनारानी सूरी शिक्षा कल्याण सोसायटी	पश्चिम विहार	800.00
54.	ब्राइट शैक्षाणिक सोसायटी	डेरावल नगर	1000.00
55.	गुलशन शैक्षणिक सोसायटी	पीतमपुरा	1000.00
56.	शकुंतलम शिक्षा सोसायटी	विवेक विहार	800.00
57.	आधुनिक शैक्षाणिक सोसायटी	आनंद विहार	996.00
58.	टैगोर शैक्षाणिक सोसायटी	चिराग इन्कलेव	800.00
59.	स्नेहिल चेरिटेबल शैक्षाणिक सोसायटी	रोहिणी	782.93
60.	फ्रेबरेट शिक्षा सोसायटी	विकासपुरी	800.00
61.	लॉड बुद्धा सोसायटी	मॉडल टाउन	800.00

1	2	3	4
62.	ममता शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं चेरिटेबल सोसायटी	वसुंधरा एन्क्लेव	1000.00
63.	ड्रीम लैंड सोसायटी	सरिता विहार	800.00
64.	द लिटिल पोरल चेरिटेबल सोसायटी	कल्याण विहार	870.00
65.	रेसनल शैक्षणिक सोसायटी (रजि.)	पीतम पुरा	723.00
66.	न्यू जैन शैक्षणिक सोसायटी	रोहिणी	800.00
67.	सेवती कल्याण सोसायटी	रोहिणी	800.00
68.	जनक चेरिटेबल शैक्षणिक सोसायटी	अशोक विहार	800.00
69.	सेठ सागर मल बरोडिया चैरिटेबल ट्रस्ट	द्वारका	800.00
70.	द बालाजी शिक्षा समिति	रोहिणी	800.00
71.	कपिल पब्लिक शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक समिति	द्वारका	772.72
72.	दिल्ली नगर शिक्षा प्रचारिणी सभा	गोपाल पुर	800.00
73.	ब्लू वेल्स शैक्षणिक समिति	सरिता विहार	800.00
74.	केशव लाल खुल्लर मेमोरियल समिति	यमुना पुरी	825.00
75.	कृष्णा धर्मार्थ समिति	विकास पुरी	800.00
76.	राय शैक्षाणिक और कल्याण समिति	रोहिणी	800.00
77.	प्रिंस पब्लिक स्कूल समिति	रोहिणी	800.00
78.	दिल्ली पब्लिक स्कूल समिति	रोहिणी	800.00
79.	प्राणनाथ शिक्षा और चिकित्सा समिति	रोहिणी	800.00
80.	शिवम शैक्षणिक समिति	रोहिणी	800.00
81.	श्रीमती ज्ञानवती मेमोरियल शिक्षा और समाज कल्याण समिति	पीतमपुरा	1000.00
82.	श्री लक्ष्मणदास मेमोरियल शिक्षा समिति	पीतमपुरा	800.00
83.	कानवीन शैक्षाणिक समिति (रजि.)	कॉडली	720.00
84.	अखिल भारत दिगम्बर जैन समिति	प्रीत विहार	1003.00
85.	पुनीत शिक्षा समिति	पीतमपुरा	831.00
86.	द प्रेजेडेंट स्टूडेंट अकाडमी शिक्षा समिति	पीतमपुरा	800.00

1	2	3	4
87.	सतरूपा शैक्षणिक समिति	रोहिणी	799.89
88.	सरस्वती शैक्षणिक समिति	जनकपुरी	800.00
89.	संकल्पा शिक्षा कल्याण और चेरिटेबल समिति	द्वारका	800.00
90.	गौरव शैक्षणिक समिति	रोहिणी	800.00
91.	आदर्श शिक्षा संस्थान	आनंद विहार	1000.00
92.	आर लाल शैक्षाणिक समिति	रोहिणी	869.40
93.	द चिराग शैक्षणिक सामाजिक और सांस्कृतिक समिति	रोहिणी	800.00
94.	सेंट अनिल शैक्षणिक और सांस्कृतिक समिति	पटपडगंज	801.75
95.	चिल्ड्रन कैरियर शैक्षणिक समिति	रोहिणी	768.00
96.	चौधरी शिक्षा समिति	पश्चिम विहार	809.00
97.	साउथ दिल्ली शिक्षा समिति	द्वारका	903.68
98.	फ्लोरा–फोना शैक्षणिक समिति	पीतमपुरा	803.74
99.	परफेक्ट शैक्षणिक और सांस्कृतिक संघ	द्वारका	800.00
100.	सेक्करड मिशन शैक्षणिक समिति	पश्चिम विहार	785.00
101.	निजधाम शैक्षणिक और कल्याण समिति	गुजरावाला	800.00
102.	प्रगति शैक्षणिक और कल्याण समिति	जसोला	800.00
103.	सैनाइसेंस शैक्षणिक समिति	शालीमार बाग	794.58
104.	वीरेन्द्र पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी	प्रीत विहार	1185.60
105.	एसेंट शिक्षा समिति	पीतमपुरा	928.00
106.	एम. एन. शैक्षणिक व अनुसंधान समिति	रोहिणी	800.00
107.	श्रीयांस शैक्षाणिक समिति	वसंत कुंज	800.00
108.	श्री सत्य साईं बाबा जगीरा फाउंडेशन व शैक्षणिक ट्रस्ट	शालीमार बाग	900.00
109.	स्काईलैंड एजुकेशन सोसाइटी	रोहिणी	800.00
110	रेविफी चेरिटेबल सोसायटी	द्वारका	953.06
111.	प्राज्ञ एजुकेशनल एवं कल्चरल सोसाइटी	मयूर विहार	950.00
112.	जीवन चेरिटेबल सोसाइटी	पीतमपुरा	800.00

1	2	3	4
113.	श्रीमती ज्ञानदेवी मेमो. एजुकेशन सोसाइटी	रोहिणी	800.00
114.	जन हितकारी शिक्षा समिति	जागृति एन्कलेव	1000.00
115.	अग्रोहा एजुकेशनल सोसाइटी	अशोक विहार	800.00
116.	पीतम्बरा एजुकेशन सोसाइटी	एजीसीआर एन्क्लेव	800.00
117.	जनता शिक्षा प्रचार समिति	रोहिणी	800.00
118.	दिव्या निर्वाण कल्याण और चेरिटेबल सोसाइटी	प्रीत विहार	800.00
119.	ललित गीतांजलि माकन मेमो. वेलफेयर सोसाइटी	जनकपुरी	800.00
120.	गुड न्यूज इन एक्शन	द्वारका	851.75
121.	कृष्णा गीतांजलि फाउंडेशन सोसाइटी	विकासपुरी	800.00
122.	कैलाश मैमोरियल चेरिटेबल सोसाइटी	प्रीतमपुरा	800.00
123.	चड्ढा एजुकेशन सोसाइटी	प्रीतमपुरा	800.00
124.	रिनैसा एजुकेशनल सोसाइटी	शालीमार बाग	794.58
125.	शिव मार्डन एजुकेशनल सोसाइटी	पश्चिम विहार	2607.72
126.	शिव मार्डन एजुकेशनल सोसाइटी	पश्चिम विहार	2607.16
127.	रॉकफील्ड एजुकेशनल सोसायटी (रजि.)	रोहिणी	4000.00
128.	एम.डी. मेमोरियल चेरिटेबल एंड एजुकेशनल सोसाइटी	रोहिणी	1512.00
129.	कांता देवी चेरिटेबल एंड एजुकेशनल सोसाइटी	द्वारका	8095.50
130.	एपीजे एजुकेशन सोसाइटी	द्वारका	8094.00
131.	दी जनरल सेक्रेट्री देशमेश एजुकेशन सोसाइटी (रजि.)	वसुंधरा एन्क्लेव	8094.00
132.	निर्मल सोसाइटी फार एजुकेशन प्रमोशन	द्वारका	8094.00
133.	दी लार्ड चेतन्य एजुकेशन सोसाइटी	रोहिणी	8094.00
134.	जिन्दल चेरिटेबल सोसाइटी	अशोक विहार	8119.00
135.	नवभारती एजुकेशन सोसाइटी	द्वारका	8094.00
136.	किड्स एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	सरिता विहार	8094.00
137.	गिरिराज एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	रोहिणी	7729.77
138.	गंगा शिक्षा समिति (रजि.)	मयूर विहार	7914.00

1	2	3	
139.	लकी एजुकेशन सौ.	द्वारका	8094.00
140.	विजयश्री एजुकेशन कल्चरल एंड सोशल वैलफेयर सोसायटी	द्वारका	8094.00
141.	ब्ल्यू वेल्स एजुकेशनल सोसाइटी	द्वारका	8094.00
142.	सेठ सागरमल बगरोदिया चेरिटेबल ट्रस्ट	द्वारका	8094.00
143.	ग्रेट हर्ष एजुकेशनल वेलफेयर एंड चेरिटेबल सोसाइटी	द्वारका	8094.00
144.	दी नाग जागृति निकेतन एजुकेशन सोसाइटी	द्वारका	8094.00
145.	चंद्रा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी	द्वारका	8094.00
146.	कैलाश मेमोरियल (रजि.)	द्वारका	8094.00
147.	दी गुड समरिटन्स	जसोला	8000.00
148.	समर्पित एजुकेशनल वेलफेयर एंड चेरिटेबल सोसाइटी	द्वारका	8094.00
149.	राहुल ढाका विकास सोसाइटी (रजि.)	रोहिणी	8094.00
150.	एफ. डी. एस. चाइल्ड एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	दिलशाद गार्डन	6150.89
151.	ओ. पी. सूर्य मैमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी	मॉडल टाउन	8094.00
152.	माउंट आबू एजुकेशन सोसाइटी	रोहिणी	7300.00
वर्ष 2002			
153.	सेठ सागरमल बगरोदिया चेरिटेबल ट्रस्ट	रोहिणी	800.00
154.	बाबू बनारसी दास एजुकेशनल सोसाइटी	शास्त्री पार्क	32737.00
155.	एसीएमई एजुकेशन सोसाइटी	द्वारका	4047.00
156.	न्यू मिलेनियम एजुकेशन सो.	विश्वास नगर	2000.00
157.	स्ट्रैथ इंडिया एजुकेशनल सोसाइटी	पीतमपुरा	20235.00
158.	राष्ट्रीय स्वाभिमान	आई आई टी गेट	933.45
159.	श्री बनारसी दास चांदीवाला सेवा स्मारक ट्रस्ट सोसाइटी	द्वारका	2000.00
160.	हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी (रजि.)	रोहिणी	1375.00
161.	श्री लक्ष्मण दास सचदेवा मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी (रजि.)	रोहिणी	4000.00
162.	डी.ए.वी. मैनेजमेंट कमेटी	कैलाश हिल्स	7630.80
163.	रवि भारती शिक्षा समिति (रजि.)	दिलशाद गार्डन	4000.00

1	2	3	4
164.	रोहिणी एजुकेशनल सोसाइटी	रोहिणी	7527.42
165.	दी प्रेजीडेंट	दिलशाद गार्डन	500.00
166.	भगवान एजुकेशनल सोसाइटी	रोहिणी	4050.00
167.	सेट मैथ्यूज एजुकेशनल सोसाइटी	पश्चिम विहार	6069.88
168.	दी सेक्रेट्री आर्यव्रत वेलफेयर सोसाइटी	रोहिणी	4000.00
169.	मदर ज्ञान एजुकेशनल सोसाइटी	पीतमपुरा	5740.00
170.	दी टंडन एजुकेशनल सोसाइटी	पीतमपुरा	5350.00
171.	स्व. श्री बिहारी लाल एजुकेशनल सोसाइटी	रोहिणी	4335.00
172.	दी सेकेट्री चुन्नी लाल जयपुरिया चेरिटेबल सोसाइटी	पीतमपुरा	799.15
173.	मेहता एजुकेशनल सोसाइटी	द्वारका	800.00
174.	दा सकेट्री आधुनिक बाल शिक्षा समिति	मंडावली फाजलपुर	997.00
175.	यूनिवर्सल एजूकेशनल सो.	प्रीत विहार	800.00
176.	एस. पी. एस. फुल चैरिटेबल ट्रस्ट	रोहिणी	880.00
177.	दा सकेट्री तरूण बाल शिक्षा समिति	रोहिणी	800.00
178.	नीलकंठ एजूकेशनल सौ.	प्रशांत विहार	1250.20
179.	पूजा एजुकेशनल एंड कल्चरल सौ.	पीतमपुरा	801.17
180.	सदाना वेलफेयर सौ.	रोहिणी	800.00
181.	आक्सफोर्ड पब्लिक एजूकेशनल सौ.	ईस्ट ऑफ कैलाश	800.00
182.	एजूकेशनल सो. फॉर विकर सेक्शन	यमुना विहार	917.84
183.	राणा एजुकेशनल सौ.	मंडावली फाजलपुर	804.95
184.	श्री सत्य साई एजूकेशनल एंड वेलफेयर सौ.	अशोक विहार	800.00
185.	वैस्ट एंड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सौ.	द्वारका	851.75
186.	स्व. श्रीमती कौशल्या देवी मेमोरियल एजूकेशनल सौ.	मीरा बाग	801.15
187.	भारतीय जनसहयोग परिषद	रोहिणी	800.00
188.	वैल्यू एजूकेशनल सौ.	पीतमपुरा	800.00
189.	ब्ल्यूमिंग बडस् एजूकेशनल एंड वैल्फेयर सौ.	सर्वोदय एन्कलेव कलोनी	800.00
190.	माउंट कारमैट स्कूल सौ.	द्वारका	800.00
191.	सुरभी सर्वशिक्षा एवं कल्याण समिति	द्वारका	800.00

1	2	3	4
192.	न्यू ट्रेड एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर सौ.	रोहिणी	864.00
193.	आईडिएल एजूकेशनल एंड कल्चरल सौ.	पीतमपुरा	900.00
194.	डी ए वी पब्लिक स्कूल	पश्चिम विहार	2027.00
195.	होलीगंगा एजूकेशनल एंड कल्चरल सौ.	रोहिणी	800.00
196.	वंडरलैंड ऑफ लर्निंग एजूकेशनल सौ.	पीतमपुरा	791.00
197.	एम. एल. सेठी चैरिटेबल ट्रस्ट	रोहिणी	800.00
198.	रीमा एजूकेशनल सो.	रोहिणी	800.00
199.	तिरूपति एजूकेशनल सो.	रोहिणी	864.00
200.	हेमचन्द जैन मैमोरियल एजूकेशन एंड वैल्फेयर सौ.	रोहिणी	800.00
201.	गंगासरन मैमोरियल एजूकेशनल सौ.	राम विहार	800.00
202.	शिव एजूकेशनल सो.	द्वारका	800.00
203.	माता ठाकुर देवी एजूकेशनल एंड चैरिटेबल एंड सो.	पीतमपुरा	990.00
204.	दिल्ली पब्लिक स्कूल सो.	रोहिणी	810.00
205.	पी.डी. मैमोरियल एजूकेशनल एंड मैडिकल सो.	पीतमपुरा	800.00
206.	सोसायटी आफ ब्रादर्स आर्पेफ सैंट गबरियल दिल्ली मॉट फोर्ट स्कूल	शालीमार बाग	910.30
207.	सचिव महाराजा सूरमजल शिक्षा समिति	मंडावली फाजलपुर	1000.00
208.	संत मोहन शैक्षिक समिति	रोहिणी	800.00
209.	पिंक फ्लावर शिक्षा एवं कल्याण समिति	पीतमपुरा	800.00
210.	आधार इनेबलिंग समिति	आनंद विहार	805.65
211.	दिल्ली पब्लिक स्कूल	द्वारका	30000.00
212.	तुलसी शैक्षिक समिति	पीतमपुरा	800.00
213.	डीएवी कॉलेज न्यास व प्रबंध समिति	श्रेष्ठ विहार	5450.00
214.	गुरू अंगद पब्लिक स्कूल	अशोक विहार	2000.00
215.	दिल्ली तमिल शैक्षिक संघ	मयूर विहार	8094.00
216.	प्राइम शैक्षिक कल्याण समिति	मयूर विहार	795.00
217.	श्री सुरजनसिंह रिसाल सिंह	रोहिणी	2000.00
218.	सोसायटी फार ह्यूमन ट्रासफारमेशन एंड रिसर्च	रोहिणी	2000.00
219.	शारदा स्मारक शैक्षिक समिति	कड़कड़डूमा	600.00

[अनुवाद]

रहन-सहन की दशा

12. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत–बंग्ला देश सीमा से सटे भारतीय राजक्षेत्र में कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) जिले के ग्रामीणों की रहन–सहन की दशा की जानकारी है क्योंकि उनके गांव सीमा पर लगी बाड़ के दूसरी और बंग्ला देश राज्य क्षेत्र की सीमा में स्थित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे ग्रामीणों की दशा में सुधार हेतु क्या उपचारात्मक उपाए किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कूच–बिहार जिले के लोगों के सामने आ रही कठिनाईयों/शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जिला प्राधिकारियों को अपनी तरफ की बाड़ से आगे रह रहे गांव वासियों के रहन–सहन की दशा में सुधार करने के लिए उन्हें वहां से हटाने हेतु कदम उठाने के निदेश दिए हैं। तथापि, भारत–बांग्लादेश सीमा बाड़ पर भारतीय भू–भाग में रह रहे गांव वासियों को बांग्लादेश भू–भाग की तरफ बाड़ के पार अपने गांवों में प्रवेश के लिए गेट उपलब्ध कराए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ऐसे गांवों के नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए बाड से आगे दिन और रात दोनों समय नियमित रूप से गश्त भी लगाती है।

मुम्बई को वित्तीय आबंटन

13. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना में वृहद शहरों में अवसंरचना विकास योजना के लिए मुम्बई हेतु किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में मुम्बई में शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कई परियोजनाओं को शुरू ही नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना के अधीन लम्बित परियोजना को शीघ्र निपटाने हेतु क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में जमीन का धंसना

14. **श्री सुनील खां** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन मानदण्डों का अनुपालन न किए जाने के कारण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में विशेषतः रानीगंज कोलफील्ड्स क्षेत्र में बडे पैमाने पर जमीन धंस रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ई.सी.एल. के प्रबंधन ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ई.सी.एल. द्वारा स्थिरीकरण और बालू भराई की गई थी;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) कितनी कोयला खानों के बंद होने की संभावना है;

(ज) क्या लांगवाल माइनिंग के लिए बाहर से खरीदी गई मशीने ठीक ढंग से काम कर रही हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो ई.सी.एल. द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। ई.सी.एल. में अगम्य जलभराव वाले भूमिगत गड्ढों के स्थिरीकरण का कार्य कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण (ई.एम. एस.सी.) स्कीमों के अंतर्गत नौ स्थानों पर चल रहा है।

इन स्कीमों के अंतर्गत अक्तूबर, 2003 तक भरे गए रेत की मात्रा 161670 घन मीटर (संचयी) थी और अक्तूबर, 2003 तक खर्च की गई राशि 1001.98 लाख रुपए (संचयी) थी।

इसके अतिरिक्त, दो स्थानों का स्थिरीकरण सी.सी.डी.ए. निधि से किया गया है, जिसमें रेत भराई 33762 घन मीटर थी तथा खर्च की गई राशि 332.30 लाख रुपए थी।

(छ) ई.सी.एल. के अंतर्गत धंसाव के कारण किसी कोलियरी को बंद किए जाने की संभावना नहीं है।

(ज) और (झ) आयातित उपकरणों का कार्य–निष्पादन संतोषजनक है।

वर्तमान में तीन लांगवाल उपकरण प्रचालनरत हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

उपकरण का नाम	विनिर्देशन	खरीद का वर्ष	झांझरा में अवस्थापित किया गया
एक्स–धेमोमेन (गुलिक डोबसन)	4x550 टन	87–88	जनवरी, 1995
एक्स–चुरचा (डावटी)	4x680 टन	87–88	जून, 1998
एक्स–सतग्राम (मेको–एम.ए.एम.सी.)	4x550 टन	87–88	जनवरी, 2001

(ञ) प्रश्न नहीं उठता है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड

15. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई. डी. पी. एल. के पुनर्गठन हेतु मंत्रालय स्तर पर एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) रूग्ण औद्योगिक (विशेष) प्रावधान अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत बी आई एफ आर को एक संदर्भ भेजा गया था तथा आई डी पी एल को अगस्त, 1992 में रूग्ण घोषित कर दिया गया था। तदुपरान्त, बी आई एफ आर ने कंपनी के लिए पुनरूद्धार पैकेज का प्रयास किया था। सरकार ने अपनी ओर से नवंबर, 2001 में बी आई एफ आर को सूचित किया था कि सरकार आई डी पी एल के निजीकरण को सुकर बनाने हेतु इसके तुलन पत्र के परिमार्जन के लिए निम्नलिखित रियायतें/सुविधाएं प्रदान करना चाहती है:–

(क) सरकारी ऋण को इक्विटी में परिवर्तन करना

(ख) भारत सरकार द्वारा ब्याज/दंड ब्याज और गारंटी शुल्क की माफी

(ग) बकाया सांविधिक बकाया राशि का भुगतान और वी आर एस का निधियन

तथापि, आई डी पी एल का पुनरूद्धार नहीं हो पाया। अब बी आई एफ आर ने परिसमापन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यह बी आई एफ आर के समक्ष 4 दिसम्बर, 2003 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। तथापि, सरकार ने एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है और अब तक कंपनी के 5890 कर्मचारियों का विलगन हो गया है और इसकी नामावली में 702 कर्मचारी शेष बचे हैं।

इजरायली रक्षा उपकरण की बरामदगी

16. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 2003 में नई दिल्ली में इजरायली रक्षा उपकरणों की बरामदगी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस ने 24 सितम्बर, 2003 को कालकाजी से इस्त्राइल में निर्मित कुछ नकली बम/मिसाइल बरामद किए। इस मामले में की गई जांच–पड़ताल से किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का पता नहीं चला।

[हिन्दी]

सी.वी.सी. द्वारा मामलों का निपटाया जाना

17. **श्री राजनारायण पासी** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने एक महीने के दौरान उन्हें दिए गए सभी मामलों को निपटाने के पश्चात् एक प्रेस नोट जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैकों के श्रेणीवार ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो गत छह महीनों के दौरान आज तक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिन्हें मंत्रालयों द्वारा आयोग को सौंपा गया और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मंत्रालयों को अदालतों में मामले दायर करने की अनुमति दी गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग द्वारा मुहैया करवाई गई जानकारी के अनुसार, वह (उपर्युक्त आयोग) प्रत्येक माह एक प्रेस नोट जारी करता है, जिसमें उस माह की गतिविधियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाता है। यह प्रेस नोट, उपर्युक्त आयोग की वेबसाइट पर भी रखा जाता है। मई से अक्तूबर, 2003 की अवधि के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को भेजे गए 2473 मामलों में से 1253 मामलों में उपर्युक्त आयोग ने भारी शास्ति लगाए जाने, 1106 मामलों में लघु शास्ति लगाए जाने और 114 मामलों में मुकदमा चलाए जाने की सलाह दी। ऊपर बताई गई अवधि के ही दौरान इन 114 मामलों में से से 107 मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी।

[अनुवाद]

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

18. **श्री राजैया मल्याला** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि हेतु वहां की राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष 2002–2003 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम.पी.एफ योजना) के तहत आन्ध्र प्रदेश सरकार से 163.84 करोड़ रु. का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति ने 30.9.2003 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया तथा 153.19 करोड़ रु. हेतु मंजूरी दी गई।

एम. पी. एफ. योजना के वित्त पोषण का तरीका हाल ही में संशोधित किया गया है तथा तदनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य को एम.पी.एफ. योजना के तहत 75% केन्द्रीय सहायता दी जाएगी तथा 2003–04 से राज्य के लिए केन्द्रीय वार्षिक आबंटन 123.00 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है। होम गार्ड्स का आधुनिकीकरण भी इस योजना का भाग बना दिया गया है तथा राज्य सरकार इस योजना के तहत वार्षिक परिव्यय के अधिकतम 5% तक एक उप योजना शामिल कर सकती है। राज्य सरकार से तदनुसार एक योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है जिसकी प्रतीक्षा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के वामपंथ अतिवाद से प्रभावित जिलों को उन पुलिस आधुनिकीकरण मदों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषण किया जाएगा जो गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आई.ई.) की प्रतिपूर्ति की पृथक योजना के तहत स्वीकार्य थे।

[हिन्दी]

अपराधिक गतिविधियों में दिल्ली के पुलिसकर्मी

19. **श्री मानसिंह पटेल :**

कुंवर अखिलेश सिंह :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में जिलावार ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं;

(ख) क्या पोस्ट बॉक्स नं. 171 को दिल्ली पुलिस में व्याप्त आपराधिक गतिविधियों का भ्रष्टाचार के संबंध में आम जनता से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ङ) इन शिकायतों के आधार पर कितने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है; और

(च) की गई कार्रवाई के क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जिला वार सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) वर्ष 2001, 2002 तथा 31 अक्तूबर 2003 तक पोस्ट बॉक्स संख्या 171 की मार्फत 1428 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 13 सही पाई गई जैसा कि संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ङ) और (घ) सही पाई गई इन शिकायतों में 27 पुलिसकर्मी संलिप्त थे। इनमें से 16 पुलिस कार्मिकों को गैर संवेदनशील कार्यों पर स्थानानतरित कर दिया गया तथा एक की निन्दा की गई तथा शेष 10 कार्मिकों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की गई।

विवरण

जिला/यूनिट	प्राप्त शिकायतें
1	2
पूर्व	131
नई दिल्ली	12
उत्तर–पूर्व	174
केन्द्रीय	107
उत्तरी	81
उत्तर पश्चिमी	77
पश्चिम	101
दक्षिण	204
दक्षिण पश्चिम	169
विशेष शाखा	19
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय	22
यातायात	317
पालम एयरपोर्ट	2
प्रथम बटालियन/दिल्ली सशस्त्र पुलिस	2
पुलिस नियंत्रण कक्ष	10
योग	1428

बगैर पासपोर्ट विदेश यात्रा

20. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल** क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई एअरपोर्ट से एअर इंडिया की विमानों द्वारा युवकों और युवतियों को बगैर पासपोर्ट और वीजा के विदेशों में भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002 और 2003 के दौरान कितने मामले सामने आए और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई;

(ग) क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने इस मामले में गृह मंत्रालय को कोई सूचना दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन

पाठक) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार

21. **श्री रघुनाथ झा :**

श्री रामजी मांझी :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** क्रमशः दिनांक 05.12.2001, 05.12.2001, 20.11.2002, 4.12.2002, 25.02.2003, 22.07.2003 और 05.08.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2427, 2502, 253, 2447, 1075, 234 और 2128 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 253,2447 और 1075 के संबंध में सूचना एकत्र/प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भगोड़ों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

22. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा भगोडों के मामले में त्रि–दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश, जहां भारतीय भगोड़े विशेषकर अन्डरवर्ल्ड के सरगना और शातिर आतंकवादी छिपे हुए हैं सहित इंटरपोल के 50 से भी अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो सी.बी.आई. द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्मेलन से भारतीय भगोड़ों के इन देशों से प्रत्यर्पण में किसी प्रकार की कोई मदद मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) भगोड़ों पर तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिनांक 15 से 17 अक्तूबर, 2003 तक नई दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा इंटरपोल मुख्यालय, लीयोन, फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन में पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात सहित 47 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तथापि बांग्ला देश ने भाग नहीं लिया।

(ख) सम्मेलन में मुख्यतः भगोड़ों को गिरफ्तार करने के लिए नई रणनीति अपनाने, प्रत्यर्पण प्रक्रिया, भगोड़ा जांच–पड़ताल यूनिट स्थापित करने तथा रेड कार्नर नोटिसों आदि को कानूनी दर्जा प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आई पी एस जी (इन्टरपोल सेक्रटेरियट जनरल) (इन्टरपोल मुख्यालय) लीयोन फ्रांस द्वारा अनुमानित कार्यवृत्त पर विचार किया गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वांछित भगोडों के प्रत्यर्पण के स्थान पर निर्वासन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ग) और (घ) सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से भारत सहित इन्टरपोल के सभी सदस्य देशों को भगोड़ों के निर्वासन में सहायता मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

रॉक साल्ट में आयोडीन

23. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर मंडी जिले में, प्राप्य रॉक साल्ट में आयोडीन की उचित मात्रा पाए जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में संयंत्र लगाने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, नहीं। रॉक साल्ट में आयोडीन की मात्रा का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मांडी जिले में संयंत्र लगाने के लिए योजना तैयार नहीं की है।

[अनुवाद]

उग्रवादियों से वार्ता

24. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर के विभिन्न उग्रवादी संगठनों/कट्टरपंथियों से वार्ता करने का है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के तौर–तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक वार्ता शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने उप–प्रधानमंत्री के स्तर पर हुर्रियत कांफ्रेंस के साथ प्रारंभिक बैठक करने का प्रस्ताव किया है। बैठक के तौर–तरीके और समय का निर्णय सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी

25. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल कैंसर केयर फाउण्डेशन ने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को कैंसर इलाज संबंधी औषधियां सस्ती बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) नेशनल कैंसर केयर फाउण्डेशन ने राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) को कैंसर के इलाज संबंधी औषधियों को सस्ता बनाने के लिए अपना सुझाव भेजा है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषध और उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं तथा उनके मूल्य डी.पी.सी.ओ., 95 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। सितम्बर, 1994 में घोषित 'औषध नीति में संशोधन, 1986, में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर डी.पी.सी.ओ., 95 में मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत शामिल करने के लिए इन औषधों की पहचान की गई है। ये मानदंड विभिन्न औषधों के प्रयोग की व्यापकता और बाजार प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हैं। डी.पी.सी.ओ., 95 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधों में से कोई भी कैंसर रोधी औषध नहीं हैं।

हुडको की ऋण ब्याज दर

26. श्री के. येरननायडू : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हुडको से ऋण ब्याज दर को कम कर उसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की ऋण ब्याज दर के समतुल्य करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको) को हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस आवास निगम लि. आंध्र प्रदेश शहरी वित्त एवं अवस्थापना विकास लि. और आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज दरें कम करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) हडको के मानदंडों के अनुसार जो एजेंसियां हडको ऋणों के संबंध में दोषी नहीं हैं वे यथा लागू वित्तीय पैटर्न के अनुसार लागू पुनर्निर्धारण प्रभारों का भुगतान करके ब्याज पर पुनर्निर्धारित करने का विकल्प ले सकते हैं। हडको ने इस विकल्प का प्रस्ताव सभी चार एजेंसियों को दिया है और उन एजेंसियों द्वारा पुनर्निर्धारण का लाभ लिया जा सकता है यदि वे हडको ऋणों के संबंध में दोषी नहीं है।

बजटीय स्वीकृति

27. श्री अनिल बसु : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बजटीय स्वीकृति से अधिक कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने वित्त वर्ष के भीतर इस धनराशि के सदुपयोग के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

बिहार में भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्र

28. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण विभिन्न केन्द्रों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्रदान करता है;

(ख) क्या इन खिलाड़ियों को उनके खेलकूद प्रशिक्षण के साथ-साथ उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो बिहार में पटना, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्र में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) 'खेल' राज्य सूची का विषय है और राज्य स्तर पर उसे बढ़ावा देना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

वर्तमान में, भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस. टी.सी.)
2. सेना बाल खेल कम्पनी (ए.बी.एस.सी.)
3. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)
4. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी. सी.)
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

भारतीय खेल प्राधिकरण ने पटना में भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.) बिहार में मुजफ्फरपुर एवं किशनगंज में विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र (एस.ए.जी.) खोला जा चुका है जहां खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए संभाव्य प्रतिभा को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख) से (घ) भा. खे. प्रा. केन्द्रों में खेल प्रशिक्षण को इस ढंग से नियत किया गया है कि इससे भा.खे.प्रा. की योजनाओं में प्रवेश प्राप्त बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आती है। भा. खे. प्रा. की योजनाओं में प्रवेश प्राप्त बच्चे अपने स्कूल/कालेज की शिक्षा को भी साथ-साथ जारी रखता है। एस.ए.जी और एस. टी.सी. की योजनाओं में शैक्षिक खर्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष 1000/- रु. का प्रावधान रखा गया है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री जल संवर्धन योजना

29. श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री जल संवर्धन योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें योजना के पहले चरण में सम्मिलित किए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) जी, नहीं। "प्रधान मंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना (पी.एम.जी.जे.एस.वाई.)" के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू करने संबंधी एक प्रस्ताव, जिनका उद्देश्य देश के गंभीर रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संचयन और जल संरक्षण से संबंधित मामलों को हल करना है, अभी सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं

30. श्री रामशकल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चलायी गयी केन्द्र प्रायोजित विभिन्न ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और आज की तिथि तक इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी प्रगति की गयी है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। अलग–अलग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, मंजूरी, कार्यान्वयन तथा निष्पादन की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। भारत सरकार राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को शुरू करने के उनके प्रयासों को सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता देती है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटक हैं–ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य), ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (डी.डी.पी.), 67 प्रायोगिक परियोजनाओं में 1999 में शुरू किया गया क्षेत्र सुधार समूचे देश में सुधार सिद्धांतों को लागू करने के लिए 25.12.2002 को आरंभ की गई स्वजलधारा तथा प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रमों अर्थात् एक लाख हैंडपंपों को लगाना, एक लाख ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा 2003–04 के दौरान शुरू किए गए जल के एक लाख परम्परागत स्त्रोतों को पुनरूद्धार करना। इन घटकों के लिए राज्यवार तथा वर्षवार रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I से V तक में दिए गए हैं। राज्यों द्वारा शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं तथा उनकी मौजूदा स्थिति के ब्यौरे भारत सरकार स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (सामान्य) के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	
			रिलीज		आबंटन	रिलीज (24.11.03 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	11600.00	13601.10	166481.42	11688.00	5844.00
2	बिहार	0.00	0.00	3703.00	6319.00	3159.50
3	छत्तीसगढ़	1580.00	3977.00	2943.00	1901.00	1623.50
4	गोवा	888.59	727.50	0.00	105.00	0.00
5	गुंजरात	16255.00	9376.30	9844.75	5537.00	6805.00
6	हरियाणा	1880.18	2200.00	2402.00	1694.00	847.00
7	हिमाचल प्रदेश	5091.00	6452.00	8225.00	4919.00	2459.50
8	जम्मू–कश्मीर	3694.00	6292.10	11164.39	10833.00	5416.50
9	झारखंड	2359.50	1809.50	1949.80	2575.00	1287.50

1	2	3	4	5	6	7
10	कर्नाटक	8165.12	12714.00	13568.68	10104.00	5652.00
11	केरल	4022.42	5045.00	1899.30	3645.00	1675.26
12	मध्य प्रदेश	9529.00	9077.00	9586.08	6079.00	4270.50
13	महाराष्ट्र	16934.00	19659.00	19336.24	15710.00	7855.00
14	उड़ीसा	3106.50	4852.09	5829.80	5303.00	3151.50
15	पंजाब	1783.00	1985.50	3081.00	2269.00	1134.50
16	राजस्थान	16361.00	14919.08	18825.30	15852.00	9426.00
17	तमिलनाडु	7308.00	8956.00	7558.00	4869.00	3834.50
18	उत्तरांचल	2304.00	3447.88	3683.00	2635.00	1317.50
19	उत्तर प्रदेश	10884.83	13063.35	11349.46	11086.00	5543.00
20	प. बंगाल	7837.31	8947.63	10115.00	6827.00	3413.50
21	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00
22	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	दादरा और नगर हवेली	3.50	0.00	0.00	3.75	0.00
24	दमन और द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00
26	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00
	उपयोग (क)	131586.95	147102.03	161545.22	129965.00	74715.76
28	अरुणाचल प्रदेश	2182.50	2455.91	3650.00	4962.00	2481.00
29	असम	5459.78	5357.67	5252.50	8403.00	4201.50
30	मणिपुर	0.00	821.50	947.00	1833.00	916.50
31	मेघालय	1644.08	1215.51	2935.50	1967.00	983.50
32	मिजोरम	1161.99	1634.10	2097.00	1386.00	693.00
32	नागालैंड	822.61	1700.40	2181.00	1453.00	726.50
33	सिक्किम	325.00	696.80	895.50	603.00	301.50
34	त्रिपुरा	1521.00	2026.70	2427.60	1743.00	871.50
	उपयोग (ख)	13116.96	15908.59	20386.10	22350.00	11175.00
	कुल (क) + (ख)	144703.91	163010.62	181931.32	152315.00	85890.76

विवरण-II

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (मरुभूमि विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	
			रिलीज		आबंटन	रिलीज (24.11.03 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	1659.00	676.54	1342.50	1424.00	712.00
2.	गुजरात	1230.00	400.00	153.00	153.00	153.00
3.	हरियाणा	19.00	1275.92	944.00	968.00	484.00
4.	हिमाचल प्रदेश	293.50	5.21	4.00	8.00	4.00
5.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00	32.00	65.00	0.00
6.	कर्नाटक	254.50	1147.68	786.68	1208.00	604.00
7.	राजस्थान	41.51	5794.65	4770.66	6174.00	3087.00
	कुल	7607.00	9300.00	8032.84	10000.00	5044.00

विवरण-III

क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	जिला	राज्य	रिलीज की गई राशि (लाख रु. में)				
			1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04 (24.11.03 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चित्तूर	आंध्र प्रदेश		1122.00			1122.00
2	खमाम	आंध्र प्रदेश		1052.70		1000.00	1050.00
3	नालगौंडा	आंध्र प्रदेश		1122.00			1122.00
4	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश			1122.00		1122.00
5	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश		1122.00			1122.00
6	गुंटूर	आंध्र प्रदेश				1122.00	1122.00
7	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश				374.00	374.00

1	2	3	4	5	6	7	8
8	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	252.45				
9	प. सिवांग	अरुणाचल प्रदेश	196.35		196.35		
10	जोरहाट	असम	356.58				
11	कामरुप	असम	280.50				142.02
12	सोनितपुर	असम	331.04				
13	वैशाली	असम		26.00	1096.00		
14	दुर्ग	छत्तीसगढ़			1122.00		
15	मेहसाना	गुजरात	1122.00				
16	राजकोट	गुजरात	1122.00				1122.00
17	सूरत	गुजरात	1122.00				1122.00
18	करनाल	हरियाणा	422.71				422.00
19	यमुना नगर	हरियाणा	276.62				269.82
20	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश	557.25				
21	श्रीनगर	जम्मू–कश्मीर	704.33				
22	ऊधमपुर	जम्मू–कश्मीर	675.00				
23	धनबाद	झारखंड		26.00	1096.00		
24	बेल्लारी	कर्नाटक	1122.00				
25	मंगलौर	कर्नाटक	1122.00				1122.00
26	मैसूर	कर्नाटक	1122.00				
27	कंसारगौढ़	केरल		1122.00			1122.00
28	कोल्लम	केरल			1122.00		
29	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	821.29				
30	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश		1122.00			
31	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश		1122.00			
32	रायसेन	मध्य प्रदेश		1122.00			
33	सीहोर	मध्य प्रदेश	503.44				

1	2	3	4	5	6	7	8
34	अमरावती	महाराष्ट्र	592.05				592.05
35	धूले	महाराष्ट्र	1107.88				
36	नांदेड	महाराष्ट्र	1122.00				1122.00
37	रायगढ़	महाराष्ट्र	1042.14				1042.00
38	रि–भोई	मेघालय			272.10		
39	सिरचिप	मेघालय	74.45		74.45	74.45	
40	दीमापुर	नागालैंड	166.61				166.61
41	बालासौर	उड़ीसा		1122.00			450.00
42	गंजम	उड़ीसा			1122.00		1122.00
43	सुंदरगढ़	उड़ीसा		1122.00			1122.00
44	भटिंडा	पंजाब	210.28				
45	मोगा	पंजाब	96.43				
46	मुक्तसर	पंजाब		1119.98			
47	अलवर	राजस्थान		1122.00			1122.00
48	राजसमंद	राजस्थान				1122.00	
49	जयपुर	राजस्थान		1122.00			1122.00
50	सीकर	राजस्थान		595.81			595.81
51	द. सिक्किम	सिक्किम	363.02				
52	प. सिक्किम	सिक्किम	244.95				
53	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	1122.00		1122.00		
54	कुडालोर	तमिलनाडु	1122.00		1122.00		1122.00
55	पेराम्बलूर	तमिलनाडु		1122.00		1122.00	
56	बेल्लोर	तमिलनाडु	1122.00		300.00	1944.00	335.20
57	कांचीपुरम	तमिलनाडु				374.00	374.00
58	दिरघुनगर	तमिलनाडु				374.00	374.00
59	पं. त्रिपुरा	त्रिपुरा	770.07			770.07	770.0.7

1	2	3	4	5	6	7	8
60	आगरा	उत्तर प्रदेश		841.50			
61	चंदौली	उत्तर प्रदेश		701.25			
62	लखनऊ	उत्तर प्रदेश		1122.00			
63	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश		841.50			
64	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश		701.25			
65	मिदनापुर	प. बंगाल			1122.00		725.79
66	उ. 24 परगना	पं. बंगाल			1122.00		627.82
67	हरिद्वार	उत्तरांचल			300.00	822.00	
		कुल :	21265.45	20491.99	12310.90	9098.52	25141.19

विवरण-IV

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की सं.	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	1661	4003.1086
2	असम	54	370.1227
3	छत्तीसगढ़	102	131.4989
4	दादरा और नगर हवेली	1	4.7400
5	गुजरात	30	83.9870
6	हरियाणा	2	10.9750
7	हिमाचल प्रदेश	471	335.7800
8.	कर्नाटक	55	109.0700
9	केरल	120	272.8376
10	मध्य प्रदेश	91	264.4870
11	महाराष्ट्र	782	3722.0900
12	उड़ीसा	287	335.8377
13	राजस्थान	35	187.2590
14	तमिलनाडु	390	702.0426
15	उत्तर प्रदेश	655	565.9767
16	प. बंगाल	8	23.8840
	कुल	4744	11123.7055

स्वजलधारा (2003–2004) के अंतर्गत आबंटित तथा रिलीज की गई राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटित राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	1616.00	808.000
2	बिहार	874.00	
3	गोवा	15.00	
4	गुजरात	766.00	382.778
5	हरियाणा	234.00	110.636
6	हिमाचल प्रदेश	680.00	

1	2	3	4
7	जम्मू–कश्मीर	1498.00	
8	कर्नाटक	1397.00	698.520
9	केरल	504.00	252.020
10	मध्य प्रदेश	841.00	420.268
11	महाराष्ट्र	2172.00	
12	उड़ीसा	733.28	366.640
13	पंजाब	314.00	
14	राजस्थान	2192.00	1095.500
15	तमिल नाडु	673.21	336.600
16	उत्तर प्रदेश	1533.00	766.450
17	प. बंगाल	944.00	350.000
18	छत्तीसगढ़	263.00	
19	झारखंड	356.00	
20	उत्तरांचल	364.00	182.000
21	अरुणाचल प्रदेश	448.00	
22	असम	754.59	377.300
23	मणिपुर	154.00	
24	मेघालय	176.00	
25	मिजोरम	126.00	
26	नागालैंड	130.00	65.110
27	सिक्किम	54.00	
28	त्रिपुरा	156.00	78.465
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.00	
30	चंडीगढ़		
31	दादरा और नागर हवेली	8.00	4.000
32	दमन और द्वीव		
33	दिल्ली	6.00	
34	लक्षद्वीप		
35	पांडिचेरी	6.00	
	कुल	20000.00	6294.287

विवरण-V

प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्र.स.	राज्य का नाम	2003-2004	
		आबंटन	रिलीज (24.11.03 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	2887.65	1443.83
2	बिहार	890.73	445.37
3	छत्तीसगढ़	458.46	229.23
4	गोवा	25.65	12.83
5	गुजरात	549.19	274.60
6	हरियाणा	11.80	5.90
7	हिमाचल प्रदेश	1245.05	622.53
8	जम्मू–कश्मीर	1021.50	510.75
9	झारखंड	525.87	262.94
10	कर्नाटक	2507.13	1253.57
11	केरल	811.81	405.91
12	मध्य प्रदेश	1592.46	796.23
13	महाराष्ट्र	3673.34	1836.67
14	उड़ीसा	1274.67	637.34
15	पंजाब	493.20	246.60
16	राजस्थान	2633.66	1316.83

1	2	3	4
17	तमिलनाडु	329.40	164.70
18	उत्तरांचल	419.58	209.79
19	उत्तर प्रदेश	1350.54	675.27
20	प. बंगाल	1939.60	969.80
21	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21.43	10.72
22	चंडीगढ	0.27	0.14
23	दादरा और नागर हवेली	51.66	25.83
24	दमन और द्वीव	0.27	0.14
25	दिल्ली	1.62	0.81
26	लक्षद्वीप	1.62	0.81
27	पांडिचेरी	23.40	11.69
	उप–योग (क)	24741.56	12370.83
28	अरुणाचल प्रदेश	234.46	117.23
29	असम	4225.21	2112.61
30	मणिपुर	156.42	78.21
31	मेघालय	402.67	201.34
32	मिजोरम	88.65	44.33
33	नागालैंड	245.61	122.81
34	सिक्किम	56.25	28.13
35	त्रिपुरा	224.19	112.10
	उप–योग (ख)	5633.46	2816.76
	कुल (क) + (ख)	30375.02	15187.59

[अनुवाद]

आई. टी. बी. पी. पर्वतारोही दल

31. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में आई. टी. बी. पी. पर्वतारोही दल का एक जबान मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दल में आई. टी. बी. पी. के कितने जवान मारे गये थे;

(ग) क्या सरकार ने इस अभियान में मारे गये जवानों के संबंधियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के सात कार्मिकों और ऊंचे स्थानों (हाई ऐलटिट्यूड) पर काम करने वाले दो कुली भारी हिमस्खलन में फंस गए और उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में पंचा चुली चोटी से लौटते समय मारे गए।

(ग) और (घ) इस घटना की जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वारी के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी पूरी होने के पश्चात् मृतक के उत्तराधिकारी को स्वीकार्य भुगतान जारी किए जाएंगे।

गरीबी उपशमन योजनाएं

32. श्री शिवाजी माने :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री मंजय लाल :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 2003 के प्रथम सप्ताह में माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार की गरीबी उपशमन योजनाएं विफल सिद्ध हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने देश के ग्रामीण लोगों के लिए इन योजनाओं को अधिक अर्थक्षम और इन्हें लाभदायी बनाने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

(घ) क्या जिला स्तर की सतर्कता और निगरानी समितियां बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही हैं और राज्यों के अधिकांश जिलों विशेषकर बिहार राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक कोई बैठक नहीं बुलायी गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो चंडीगढ़ में आयोजित की गयी

सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) मार्च, 2003 के पहले सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम अर्थात् सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में उपलब्ध धनराशि और खाद्यान्न के कम उपयोग, धन रिलीज करने के बारे में देरी और खाद्यान्न को समय पर उठाने में देरी आदि के बारे में कुछ कमियों का उल्लेख है।

(ग) देश में ग्रामीण विकास की योजनाओं को गरीब ग्रामीणों के लिए और अधिक व्यवहार्य बनाने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए मानीटरिंग की एक कारगर प्रणाली लागू की गई है।

(घ) जी, नहीं। बिहार सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां कार्यरत हैं और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार उनकी बैठकें की जा रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रालय का कोई ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डीजल की खपत

33. डा. बलिराम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2003 से 15 नवम्बर, 2003 तक नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरोली की जल परियोजना के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न मशीनों द्वारा कुल कितने घंटे कार्य किया गया और उक्त अवधि के दौरान प्रति घंटे और प्रति माह डीजल की कितनी खपत प्रतिमाह हुई;

(ख) विनिर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न मशीनों की प्रति घंटे डीजल की कितनी खपत निर्धारित की गई है और उक्त अवधि में तत्संबंधी अन्तर कितना रहा है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मशीनों को चलाने के लिए डीजल की वास्तविक खपत से अधिक खपत दिखायी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जनवरी, 2003 से 15 नवम्बर, 2003 तक नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जयन्त परियोजना में प्रचालनरत विभिन्न हैवी अर्थ मूविंग मशीनों (हैम) द्वारा किए गए माह–वार उपकरण वार कुल कार्य घण्टे तथा डीजल उपकरणों हेतु उक्त अवधि के लिए माह–वार डीजल खपत तथा प्रति घण्टा औसत खपत संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) निर्माता कंपनी द्वारा निर्धारित विभिन्न मशीनों की प्रति घण्टा डीजल खपत तथा विभिन्न उपकरणों की वास्तविक खपत का अंतर निम्न प्रकार है:–

उपकरण	लीटर/घंटों में ओ.ई.एम. के अनुसार औसत खपत	लीटर/घण्टे में वास्तविक औसत खपत	उनका अन्तर
डम्पर	50–78	60.68	ओ.ई.एम. द्वारा निर्दिष्ट रेन्ज के भीतर
डोजर	100 प्रतिशत लोड पर 83.46	42.56	
मोटर ग्रेडर	100 प्रतिशत लोड पर 60.4	24.24	
पे लोडर	100 प्रतिशत लोड पर 60.4	20.01	
पी.सी. – 300 एक्सकवेटर	100 प्रतिशत लोड पर 60.4	20.77	
डीजल ड्रिल	34–38	46.73	

ड्रिल हेतु डीजल खपत ओ.ई.एम. द्वारा अनुशंसित उपभोग स्तर की तुलना में उच्च है। यह अंतर ड्रिल किए गए स्ट्राटा के पदार्थों तथा वांछित वेधन दर पर निर्भर करता है। ड्रिलों की डीजल खपत का एन. सी. एल. द्वारा निरन्तर प्रबोधन किया जाता है।

(ग) यह सही नहीं है कि मशीन को चलाने के लिए डीजल की खपत को वास्तविक खपत से अधिक दर्शाया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

जनवरी 2003 से 15 नवंबर 2003 तक माह–वार तथा उपकरण–वार कार्य घंटे, डीजल खपत तथा प्रतिघंटा खपत

उपकरण	माह	जनवरी, 03	फरवरी, 03	मार्च, 03	अप्रैल, 03	मई, 03	जून, 03	जुलाई 03	अगस्त, 03	सितम्बर, 03	अक्तूबर, 03	15 नवंबर 03	कुल (जनवरी, 03-15 नवंबर, 03)
डम्पर	कार्य घंटे	22468	25890	24450	24042	22935	22558	21963	20363	18014	19172	10568	232423
	लीटर में डीजल खपत	1424295	1674769	1536449	1503736	1401426	1290965	1354307	1204470	998264	1109667	804424	14102842
	लीटर/घंटे में खपत/घंटा	63.39	64.69	62.84	62.55	61.10	57.23	61.86	59.15	56.42	57.88	57.19	60.68
डोजर	कार्य घंटे	4091	4422	3759	3856	3892	4065	4308	4575	5080	4543	2359	44950
	लीटर में डीजल खपत	174358	186653	171715	148459	160387	166470	202133	199547	96086.5	199343	207822	1913273.5
	लीटर/घंटे में खपत/घंटा	42.62	42.21	45.68	38.50	41.29	40.95	46.92	43.62	40.91	43.88	40.73	42.56
मोटर ग्रेडर	कार्य घंटे	494	543	326	376	356	346	471	357	393	462	270	4394
	लीटर में डीजल खपत	8579	10668	9348	9171	8926	9504	12499	8568	11005	11120	7121.5	106527.5
	लीटर/घंटे में खपत/घंटा	17.37	19.68	28.67	24.39	25.07	27.47	26.54	24.00	28.00	24.07	26.38	24.24
पे–लोडर	कार्य घंटे	213	334	125	272	304	61	426	390	227	327	63	2724
	लीटर में डीजल खपत	4000	8396	2300	5383	6475	1200	11383	9893	4523	6027	3145	64725
	लीटर/घंटे में खपत/घंटा	18.78	25.14	18.40	19.79	21.30	19.67	26.72	25.37	19.93	24.55	49.92	23.61
पी सी– 300 शॉवेल	कार्य घंटे	215	230	238	213	207	228	349	125	460	427	116	2810
	लीटर में डीजल खपत	5500	5000	5300	3850	4600	3900	7900	3730	8381	7915	2275	58351
	लीटर/घंटे में खपत/घंटा	25.58	21.74	22.27	18.08	22.22	17.11	22.64	29.84	18.22	18.54	19.28	20.77
ड्रिल (डीजल)	कार्य घंटे	223	261	193	213	187	231	274	227	171	213	160	2353
	लीटर में डीजल खपत	12200	11847	11900	10200	7800	10200	12400	10125	7200	8865	7215	109952
	लीटर/घंटे में खपत/घंटा	54.71	45.39	61.66	47.89	41.71	44.16	45.26	44.60	42.11	41.62	45.09	46.73

मुठभेड़ में अर्धसैनिक बलों के मारे गये कार्मिक

34. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार देश में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अर्ध सैनिक बलों के कितने कार्मिक/अधिकारी मारे गये;

(ख) क्या इनके परिवारों को उचित सुरक्षा/रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बल-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के 112 कार्मिक और 4 अधिकारी मारे गए।

(ख) और (ग) दुश्मन द्वारा की गई कार्रवाई, युद्ध या सीमा पर झड़पों या उग्रवादियों/आतंकवादियों/अतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिकों/अधिकारियों के निकटतम संबंधी को 7.50 लाख रु. की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है। सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पिछले एक वर्ष के दौरान, अनुकम्पा के आधार पर क्रमशः 53 और 32 व्यक्तियों को नियुक्त किया है।

पुलिस सुधार

35. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस के असंवेदनशील व्यवहार को समाप्त करने के लिए पुलिस सुधारों से संबंधी धर्मवीर आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एफ. आई. आर. और हिरासत में दोषी व्यक्तियों से पूछताछ के लिए आचार संहिता बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी हाँ, श्रीमान। श्री धर्मवीर आयोग की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों को उचित आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। पुलिस कार्मिकों में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में केन्द्र सरकार समय-समय पर जोर देती रही है। उन्हें मानवाधिकार मुद्दों और कमजोर वर्गों, महिलाओं तथा बच्चों के मामलों में संवेदनशील दिखाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना राज्य पुलिस बल की कानूनी ड्यूटी है और राज्य सरकारों को समय-समय पर सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि पुलिस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें। जहां तक हिरासत में अभियुक्त से पूछताछ का संबंध है, इसे कानून की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

सेवा में विस्तार

36. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और इस वित्त वर्ष के दौरान आज की स्थिति तक सेवानिवृत्ति के पश्चात् कितने अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाया गया अथवा उनकी पूर्व पदों अथवा उच्च पदों पर नियुक्ति की गई; और

(ख) सेवाकाल में विस्तार करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.आई.एस.एफ. का द्विविभाजन

37. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सी. आई. एस. एफ. प्रबंधन अपने को दी गई जिम्मेदारियों को कहां तक निभा पाया है;

(ख) क्या तेजी से विस्तार हो रहे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का द्विविभाजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सी. आई. एस. एफ. द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रकार का अध्ययन करने और उनका वर्गीकरण करने और उनकी संवेदनशीलता के आधार पर उनको श्रेणी में बांटने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सी. आई. एस. एफ. के पुनर्गठित होने की संभावित समय–सीमा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपनी अतिरिक्त सुरक्षा ड्यूटी का संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को द्विभाजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात भूकंप पीड़ितों का पुनर्वास

38. **श्री हरिभाई चौधरी :**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्राप्त केन्द्र सरकार की बड़ी सहायता और विदेशी सहायता के संदर्भ में भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में की गयी प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता और कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है और अब तक किये गये पुनर्वास कार्य का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) अभी पूरा किये जाने वाले शेष पुनर्वास कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (घ) सूचना गुजरात सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आश्रितों को लाभ

39. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास किसी दुर्घटना की स्थिति में खान श्रमिकों के आश्रितों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) खानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा, खान अधिनियम, 1952 तथा खनिज विशेष श्रमिक कल्याण निधि अधिनियमों जैसे लौह अयस्क खान (मैग्नीज अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान) श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1972 आदि और योजनाओं–यथा–कोयला खान भविष्य निधि बीमा योजना, 1948, कोयला खान निक्षेप सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कोयला खान पेंशन योजना, 1948 से शासित होती है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियां

40. **श्री गंता श्रीनिवास राव** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सभी जीवन रक्षक औषधियों को सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से मुक्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में औषधि प्रयोक्ताओं का खुदरा और थोक विक्रेताओं द्वारा पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इस मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की थी कि यदि किसी औषध की "जीवन रक्षक" के रूप में पहचान की जाती है, तो उस पर सीमा–शुल्क शून्य और आबकारी शूल्क भी शून्य होना चाहिए। सरकार का उत्तर, वित्त विधेयक, 2003 में सन्निहित है।

(ग) और (घ) सूचीबद्ध औषधों और उनपर आधारित सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय औषध (मूल्य निर्धारण) प्राधिकरण (एन पी पी ए) द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। किसी सूचीबद्ध सूत्रयोग के लिए निर्माता को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है, अर्थात् वह निर्धारित मूल्य से अधिक की वसूली नहीं कर सकता है। निर्धारित मूल्य के किसी उल्लंघन के लिए डी पी सी ओ, 95 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। गैर–सूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य निर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, सरकार यदि जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो गैरसूचीबद्ध सूत्रयोग सहित किसी भी सूत्रयोग का मूल्य निर्धारित अथवा संशोधित कर सकती हैं। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य को कार्यान्वित करने के लिए राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण क्षेत्र स्तर पर परिवर्तन एजेन्सी है।

कोलफील्डों में कोयला धोवनशालाओं की स्थापना

41. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने बिल्ड–ओन–ऑपरेट सिद्धांत के अंतर्गत ताप विद्युत संयंत्रों को धुले कोयले की आपूर्ति हेतु कोल फील्डों में कोयला धोवनशालाओं की स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने कोलफील्डों में धोवनशालाओं की स्थापना में रूचि दिखाई है; और

(घ) उनके लिये किन नियम और शर्तों के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत क्षेत्र में संभावित निदेशकों तथा कोयला उपभोक्ताओं की रूचि जानने के लिए तथा धुले कोयले के ईष्टतम उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रचलन वाली आधुनिक तथा अत्याधुनिक तकनोलोजी के साथ बिल्ट–ओन–आपरेट (बी.ओ.ओ.) संकल्पना के अधीन कोयला वाशरियों की स्थापना के लिए, उनकी कम्पनियों/फर्मों (वैश्विक) की तकनीकी सक्षमता तथा मजबूत वित्तीय स्थिति का प्रारंभिक आंकलन के लिए स्वेच्छा स्वीकृति जारी की गई थी। सी. आई. एल. पट्टे पर भूमि, प्रभार्य आधार पर निर्माण के दौरान पानी, रेलवे साइडिंग की व्यवस्था करेगा, बशर्ते उपभोक्ताओं के माध्यम से उपलब्ध हो।

कोयला वाशरी अथवा अयस्क/खनिज परिष्करण संयंत्र की आयोजना तथा डिजाइन निर्माण तथा प्रचालन के संबंध में अपेक्षित तकनीकी अनुभव, अपनी वित्तीय क्षमता (वार्षिक टर्नओवर,, शुद्ध लाभ–निवल पूंजी आदि) चाहे संभावित निदेशकों के नाम मे हो अथवा उनके सहयोगियों के नाम में हो का ब्यौरा, यदि कोई कनसोरटियम/सहयोग हो तो उसका ब्यौरा, इस कार्य के लिए संभावित सहयोगी/सहयोग की व्यापक रूपरेखा, कोयला लिकेज का ब्यौरा आदि उनके द्वारा 30 नवम्बर, 2003/दिसम्बर, 2003 के प्रथम सप्ताह में संबंधित अनुषंगी कम्पनियों के अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध–निदेशक को प्रस्तुत किया जाए।

पर्यावरणीय मामलों के अनुसार परित्यक्तों के निपटान के लिए भूमि की व्यवस्था करना बी.ओ.ओ. निवेशकों की जिम्मेदारी होगी। बी. ओ. ओ. निवेशक उपभोक्ताओं की ओर से कोयले की धुलाई करेंगे और इस प्रकार धुलाई प्रभारों को केवल कोयला उपभोक्ताओं के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। इच्छुक निवेशकों को, यदि वे कोई और ब्यौरा चाहते हों, सी. आई. एल. की अनुषंगी कम्पनियों के सी.एम.डी. से सम्पर्क करना आवश्यक होता है। स्वेच्छा स्वीकृति आमंत्रित करने वाली सूचना में सी. आई.एल. की छः अनुषंगी कम्पनियों में सृजित की जाने वाली अनुमानित धुलाई क्षमता का भी उल्लेख किया गया था।

(ग) चूंकि प्रस्ताव प्राप्त होने की अन्तिम तिथि नवम्बर (2003) के अन्तिम दिन है, इसलिए इस स्तर पर पार्टियों के नाम बताना संभव नहीं है।

(घ) बी. ओ. ओ. संकल्पना के अधीन वाशरियों की स्थापना करने के लिए व्यापक निबंधन तथा शर्तें प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दी गयी हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री की सुरक्षा

42. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री ब्रह्मानंद मंडल :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर 2003 में प्रधान-मंत्री की सुरक्षा में फिर सेंध लगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बार-बार इस तरह की चूकों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या 24 घंटे हेलीकाप्टर सेवा हेतु प्रधानमंत्री निवास में हेलीपेड के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास परिसर में हैलीकोप्टर के उड़ान भरने और उतरने की सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

मुआवजे का भुगतान

43. श्री बीर सिंह महतो :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोयला खदान दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों के निकटस्थ संबंधी को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ख) क्या कुछ मामलों में मृतकों के निकट संबंधियों को अब तक मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.) में हुई कोयला खान-दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारजनों को भुगतान की गई मुआवजे की राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	मुआवजे की राशि (लाख रु. में)	
	सी.आई.एल.	एन.एल.सी.
2000	163.57	5.86
2001	171.02	12.87
2002	161.40 (अनन्तिम)	3.20

(ख) एन. एल. सी. में सभी मामलों में मुआवजा अदा कर दिया गया है। तथापि, सी. आई. एल. में कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है।

(ग) प्रत्येक के सामने उल्लिखित कारणों से सी.आई. एल. में निम्नलिखित मामलों में मुआवजे की अदायगी नहीं की गई है:-

कम्पनी	दुर्घटना की तिथि	खान	मृतक का नाम	मुआवजा अदा न होने के कारण
ई.सी.एल.	22.03.2001	धोरा 10 पिट	श्री एस. घोष, प्रबंधक	लागू नहीं
बी. सी. सी. एल.	29.10.2002	नुदखुरकी ओ.सी.	श्री आर.बी. पाण्डे, कार्यपालक	लागू नहीं
सी.सी.एल.	25.08.2000	जारंगडिह	श्री गणेश राम	आत्म हत्या का मामला
	23.08.2001	सेन्ट्रल सौन्दा	श्री दीपक शर्मा, ठेकेदार	पात्र नहीं
एस.ई.सी.एल.	30.05.2001	कोरिया	श्री बलिराम	न्यायाधीन
	16.07.2002	चिरिमिरी	श्री नाथू	पात्र नहीं

(घ) प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

मुकदमा चलाने की अनुमति

44. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने और सी.बी.आई. जांच शुरू करने की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरूद्ध वर्ष, 2003 के दौरान मुकदमा चलाने और जांच शुरू करने हेतु सी.बी.आई. ने अनुमति मांगी है और ये अधिकारी किन विभागों में किन पदों पर काम कर रहे हैं; और

(ग) सरकार ने कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की अनुमति दे दी है और कितने अधिकारियों के खिलाफ फैसला अभी लिया जाना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी संकलित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

आपदा प्रबंधन

45. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आपदा प्रबंधन हेतु गैर–सरकारी संगठनों से सहायता लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो गैर–सरकारी संगठनों से किस तरह की सहायता ली जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) आपदाओं को कम करने, रोकने और उनसे निपटने के लिए तैयारी में सामुदायिक जागरूकता तथा समुदाय को शामिल करना महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी संगठनों से जागरूकता पैदा करने और न्यूनीकरण तथा स्थिति से निपटने के प्रयास करने के लिए समुदाय को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये जाने की आशा की जाती है। सरकार द्वारा देश के 17 राज्यों के 169 अधिकतम प्रवण जिलों में चलाए गए आपदा जोखिम प्रबंधन योजना में अन्य बातों के साथ–साथ क्षेत्र विशिष्ट आपदा न्यूनीकरण तथा प्रतिस्थापन तौर–तरीकों के लिए परामर्श प्रक्रिया में गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता पर तथा राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत तथा ग्राम/वार्ड स्तर पर बनाई गई आपदा प्रबंधन समितियों में ऐसे संगठनों को शामिल करने पर बल दिया गया है।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति

46. श्री पवन कुमार बंसल :
डा. एन. वेंकटस्वामी :
श्री किरीट सोमैया :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलिन बस्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विषेषताएं क्या हैं और किन कारकों की ओर ध्यान रखा जायेगा;

(ग) क्या राज्य सरकारों को किसी मसौदे का प्रस्ताव भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन लोगों का जीवन किस सीमा तक बेहतर होने की संभावना है;

(च) उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की सभावना है;

(छ) मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ज) उनकी स्थिति सुधारने और जीवन स्तर बेहतर करने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (च) राष्ट्रीय स्लम नीति विचाराधीन है।

(छ) स्लम विकास चूंकि राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में स्लमों का सर्वेक्षण और उसका जायजा लेती है। तथापि, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) ने 1995–96 में स्लमों पर एक अध्ययन किया और 'अ कंपेंडियम ऑन इंडियन स्लम्स–1996' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 और 2001 में देश की अनुमानित स्लम आबादी क्रमशः 462. 603 लाख और 618.258 लाख थी।

(ज) स्लम विकास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न शहरों में स्लमों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं, कार्यक्रम और स्कीमें तैयार करती हैं तथा अपनी संबंधित राज्य योजनाओं में उसके लिए आवश्यक प्रावधान करती हैं। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर स्लम वासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केन्द्र द्वारा अगस्त, 1998 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए आबंटित केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

वर्ष 2001 वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) शुरू की गई ताकि शहरी स्लमों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आश्रम मुहैया किया जा सके अथवा मौजूदा आश्रय को उन्नत बनाया जा सकें। इसमें निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत समुदाय शौचालयों की व्यवस्था के लिए भी घटक है।

भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन

47. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कृत्रिम मैदान विशेषकर फ्लड लाइट सुविधा वाले मैदानों की कमी से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियागिताओं में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन प्रभावित होता है;;

(ख) यदि हां, तो देश में हॉकी खेलने हेतु फ्लड लाइटवाले एस्ट्रोटर्फ मैदानों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ग) हॉकी खिलाड़ियों को प्रतियागिताओं से पहले सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दिलाने हेतु देशभर में पर्याप्त फ्लड लाइट वाले एस्ट्रोटर्फ मैदानों के निर्माण हेतु कौन से नये कदम उठाये गये है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) भारतीय हॉकी टीम के प्रशिक्षण के लिए हमारे पास देश में कृत्रिम टर्फ पर्याप्त संख्या में है। तथापि, फ्लड लाइट सुविधाओं के साथ एस्ट्रोटर्फ की कमी हाकी टीम के प्रदर्शन को अधिक प्रभावित नहीं करती है। क्योंकि सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों में एक दिन में अधिकतम मैचों को आयोजित करने के लिए फ्लड लाइटों की आवश्यकता होती है।

(ख) वर्तमान में, फ्लड लाइट के साथ एस्ट्रोटर्फ केवल हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में उपलब्ध है, जिसे हाल ही में प्रथम एफ्रो–एशियाई खेलों के आयोजन के लिए स्थापित किया गया।

(ग) सरकार ने चरणबद्ध ढंग से एस्ट्रोटर्फ के लिए फ्लड लाइट सुविधाओं के सृजन की योजना बनाई है। प्रथम चरण में, मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रीय हाकी स्टेडियम, नई दिल्ली और भारतीय खेल प्राधिकरण उद्धव दास मेहता (भैया जी) केन्द्रीय केन्द्र, भोपाल में ऐसी सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

पुलिस बलों में भ्रष्टाचार

48. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :**

श्री सुबोध राय :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में पुलिसबलों में भ्रष्टाचार की दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संलिप्त पुलिस अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या तत्संबंधी परिणामस्वरूप राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को काफी नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने पुलिस बलों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के कारणों का पता लगाने हेतु राज्य सरकारों की बैठक बुलाई है या बैठक बुलाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति पर काबू पाने हेतु क्या निर्देश/दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) उपलब्ध सूचना पिछले तीन वर्षों के दौरान पुलिस बलों में भ्रष्टाचार की दर में वृद्धि नहीं दर्शाती है।

(ख) वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के विरूद्ध प्रारम्भ किए गए मामलों को दर्शाते हुए एक राज्यवार विवरण संलग्न है। राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया/नहीं कराया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती हैं जिनमें पुलिस बलों से संबंधित सभी मामलों पर विचार–विमर्श किया जाता है।

(च) रोकथाम, निगरानी और पता लगाने और दण्डात्मक निवारक कार्रवाई के माध्यम से पुलिस बलों सहित लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के नियंत्रण और रोकथाम के लिए तंत्र प्रणाली, पहले से ही विद्यमान है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य सतर्कता संगठन इस कार्य में लगे हुए हैं। पुलिस बलों के अधिकारियों सहित लोक सेवकों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले आचार नियमों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार के विरूद्ध निवारक के रूप में भी कार्य करते हैं। स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के सरकार के संकल्प में भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान चलाना एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

क्रम.सं.	राज्य/संवर्ग का नाम	भा.पु.से. अधिकारियों की संख्या जिनके विरूद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई।		
		2001	2002	2003
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
2.	ए.जी.एम.यू.टी.	2	शून्य	शून्य
3.	असम और मेघालय	शून्य	1	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	5	13	2
7.	हरियाणा	1	1	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य
9.	जम्मू–कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
10.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
12.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	1	1	शून्य
14.	महाराष्ट्र	1	शून्य	शून्य
15.	मणिपुर–त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
16.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
17.	उड़ीसा	7	1	शून्य
18.	पंजाब	1	शून्य	शून्य
19.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य
20.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
21.	तमिलनाडु	6	6	2
22.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	1
23.	उत्तर प्रदेश	1	शून्य	शून्य
24.	पश्चिम बंगाल	3	1	शून्य
	कुल	29	24	5

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

49. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या प्रयास किए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 1.12.1997 से समग्र भारत में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मार्फत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए है और इसका उद्देश्य, (i) शहरी गरीबों को स्व–रोजगार उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, और (ii) सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभदायक सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए श्रमिकों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर शहरी बेरोजगारों और अल्प–रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने का अवसर देना है।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों के आधार पर, 31.10.2003 के अनुसार 4,72,452 लाभग्रहियों को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है और 4.8 व्यक्तियों को विभिन्न कौशल कार्यों में प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 28.546 डीडब्ल्यूसीयूए गठित किए गए हैं और इसके तहत 67,270 महिला लाभग्रहियों को सहायता दी गई है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत 99,863 थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटियां भी गठित की गई हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के समुदाय संरचना संघटक के दायरे में लाए गए लाभग्रहियों की संख्या 316.50 लाख है और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के मजदूरी रोजगार घटक के तहत सृजित कार्य दिवसों की संख्या 486.91 लाख है।

[अनुवाद]

शहरी आश्रयहीनों हेतु रैन बसेरा

50. **डा. एन. वेंकटस्वामी** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.10.2003 की तिथि के अनुसार शहरी आश्रयहीनों हेतु रैन बसेरा योजना के तहत राज्य–वार कितने रैन बसेरों की स्वीकृति दी गई और कितने रैन बसेरों का निर्माण किया गया; और

(ख) योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) शहरी आश्रयहीनों के लिए रैन बसेरा स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत रैन बसेरों की कुल संख्या और 31.10.2003 की स्थिति अनुसार स्कीम के अंतर्गत राज्यवार स्वीकृत और जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

शहरी आश्रयहीनों के लिए रैन बसेरा स्कीमों की स्वीकृति की स्थिति

(लाख रु. में) (31.10.2003 की स्थिति अनुसार)

राज्य	स्कीमों की सं.	स्वीकृत ऋण राशि	स्वीकृत सब्सिडी	बिस्तरों की सं.	जारी ऋण	जारी सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2	213.58	20.16	20.16	213.58	20.16
बिहार	6	87.73	29.67	29.67	51.29	18.22

1	2	3	4	5	6	7
चंडीगढ़	2	0	4.74	474	0	4.74
छत्तीसगढ़	1	0	10	100	0	0
झारखंड	3	78.96	22.84	2284	78.96	19.74
केरल	3	30.10	3.58	358	30.10	3.58
मध्य प्रदेश	3	0	68.01	6801	0	51.84
उड़ीसा	2	6.09	3.28	328	6.09	2.28
राजस्थान	11	17.63	8.39	886	9.69	3.78
तमिलनाडु	1	6	1.5	150	6	1.5
उत्तर प्रदेश	2	49.67	16.95	1695	49.67	11.97
कुल	36	489.76	189.12	18059	445.38	137.81

अन्तर-राज्य परिषद की बैठक

51. **श्रीमती कान्ति सिंह :**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 2003 में काफी समय बाद अन्तर–राज्य परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में हुई चर्चाओं के मुख्य बिन्दु क्या थे और वहां क्या निर्णय लिये गये;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार बैठक में सरकारिया आयोग और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुशांसित सुरक्षापायों को शामिल करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो संशोधन विधेयक संसद के समक्ष कब तक लाये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सुशासन का ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु किसी उप समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति का स्वरूप क्या है और उसके विचारार्थ विषय कौन–कौन से हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 27–28 अगस्त 2003 को श्रीनगर में आयोजित की गई। "प्रशासनिक संबंध" "आपातकालीन प्रावधान" 'केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती" ठेका मजदूरी/ठेका नियुक्तियां, 'कुशल प्रशासन" तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट पर विचार किया गया। बैठक में लिए मुख्य निर्णय निम्नानुसार हैं:–

1. प्रशासनिक संबंध

संविधान के अनुच्छेद 256 तथा 257 के तहत निदेश देने से पूर्व सावधानीपूर्वक विचार करने तथा अनुच्छेद 365 के अनुप्रयोग के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशें स्वीकार की गई।

2. आपातकालीन प्रावधान

(i) अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम अंतिम उपाय के तौर पर किया जाना चाहिए।

(ii) बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए पर्याप्त रक्षोपायों को उपयुक्त तौर पर संविधान में समाविष्ट किया जाना चाहिए।

3. केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती

संघ सरकार द्वारा किसी राज्य में अपनी और से सशस्त्र सेनाएं तैनात करने से पूर्व जहां कहीं संभव हो, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, राज्य सरकार से परामर्श करने के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिश स्वीकार की गई।

4. ठेका मजदूरी/ठेका नियुक्तियां

(i) परिषद ने नोट किया कि आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970 में संशोधन करने के लिए मसौदा विधेयक को केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ii) विभिन्न श्रम कानूनों में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए फिलहाल एक अन्तर्मंत्रालीय स्थायी समिति स्थापित की जाएगी।

5. कार्यान्वयन रिपोर्ट

अन्तर्राज्यीय परिषद ने ध्यान दिया कि सरकारिया आयोग की 247 सिफारिशों में से इसने सातवीं बैठक तक 230 सिफारिशों पर निर्णय ले लिया था। इसमें से 170 को कार्यान्वित कर लिया गया, 7 कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में थीं तथा 53 परिषद तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वीकार्य नहीं पाई गई।

6. कुशल प्रशासन

कुशल प्रशासन के विषय पर आगे विचार करने के लिए तथा परिषद की अगली बैठक में विचार–विमर्श किए जाने हेतु कुशल प्रशासन पर कार्य योजना का खाका तैयार करने के लिए परिषद की एक उप समिति बनाई जाएगी।

(ग) और (घ) अन्तर्राज्यीय परिषद एक सिफारिश करने वाला निकाय है। संघ सरकार द्वारा उनकी सिफारिशों पर मत निर्धारित किया जाएगा।

(ङ) और (च) अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय ने कुशल प्रशासन पर अन्तर्राज्यीय परिषद की उप समिति स्थापित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

सरकारी कर्मचारियों को उपहार के संबंध में सी.वी.सी. के आदेश

52. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने सरकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण त्यौहारों और अन्य पार्टियों/कार्यक्रमों/त्यौहारों पर उपहार स्वीकार करने की प्रथा पर हाल में प्रतिबंध लगाने वाला आदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सरकारी संगठनों के अधिकारियों द्वारा उपहार स्वीकार करने से रोकने हेतु क्या तरीका अपनाया जा रहा है;

(घ) क्या सी. एस. एस. नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों पर 25 रुपए से अधिक मूल्य के उपहार स्वीकार करने पर रोक है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त आदेश जारी करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी एजेन्सियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उपहार दिए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में एक परिपत्र जारी किया है। संबंधित संगठनों के मुख्य सतर्कता–अधिकारियों को अपने–अपने संगठन में होने वाले व्यय पर नजर रखने को कहा गया है।

(घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण), नियमावली, 1964 में यह प्रावधान किया गया है कि समूह "क" और "ख" पदों पर कार्यरत अधिकारियों के मामले में कोई भी अधिकारी 1000/– रुपए से अधिक मूल्य का कोई भी उपहार और समूह "ग" और "घ" पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में कोई भी कर्मचारी 250/–रुपए से अधिक मूल्य का कोई भी उपहार, सरकार से मंजूरी लिए बिना स्वीकार नहीं करे।

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने उपर्युक्त परिपत्र, सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहार स्वीकार किए जाने का चलन हतोत्साहित करने की दृष्टि से जारी किया है।

[हिन्दी]

जाली पासपोर्ट/वीजा

53. डा. अशोक पटेल : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक जाली पासपोर्ट/वीजा के राज्यवार कितने मामले सामने आये;

(ख) इसमें संलिप्त लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या जाली पासपोर्ट/वीजा जारी करने के धंधे को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में कपार्ट की गतिविधियां

54. श्री के. पी. सिंह देव :
श्री अनन्त नायक :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उड़ीसा में कपार्ट द्वारा कौन सी गतिविधियां शुरू की गई और कौन सी परियोजना लागू की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कपार्ट को परियोजनावार कितनी राशि आबंटित/मंजूर की गई;

(ग) इसके अन्तर्गत अब तक क्या उपलब्धि रही है;

(घ) उन परियोजनाओं में उसमें से कितनी धनराशि वास्तव में व्यय की गई है;

(ङ) क्या स्वीकृत धनराशि और वास्तव में उपयोग की गई धनराशि के बीच बड़ा अन्तर है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) विगत तीन वर्षों से आज तक उड़ीसा में जन सहयोग, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, लाभार्थियों को संगठित करने, वाटरशेड विकास एवं अपंगता से जुड़ी गतिविधियों के लिए कपार्ट द्वारा गैर सरकारी संगठनों को 242 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। कपार्ट ने इस अवधि में उड़ीसा में गैर–सरकारी संगठनों एवं स्व–सहायता समूहों के ग्रामीण उत्पादों की बिक्री को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कार्यशालाओं और ग्राम श्री मेलों का भी आयोजन किया।

(ख) से (घ) एकल शीर्ष 'कपाट को सहायता' के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा राज्य या योजना का उल्लेख किए बिना कपार्ट को एक एकमुश्त बजट आबंटित किया जाता है, तथा कपार्ट मुख्यालय भी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को निधियां आबंटित करता है। जिसमें एकमुश्त आधार पर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर को विगत तीन वर्षों से आज तक आबंटित/स्वीकृत निधियां, उपलब्धियां और वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों में क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के कार्यक्षेत्र में किया गया व्यय जारी की गई राशि के 86 प्रतिशत से अधिक रहा है।

विवरण

क्षेत्रीय समिति–भुवनेश्वर द्वारा आबंटित/स्वीकृत निधि एवं हुई उपलब्धि के ब्यौरे

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	आबंटित/ स्वीकृत निधियां	किया गया व्यय	उपलब्धि का प्रतिशत
2000–2001	06.75	05.84	86.5
2001–2002	01.90	02.59	136.31
2002–2003	05.20	05.13	98.65
2003–2004 (अक्तूबर, 2003 तक)	05.00	01.94	38.80 (अनंतिम)

कर्नाटक में पेयजल परियोजना

55. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की कुछ पेयजल परियोजनायें केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं की अनुमानित लागत सहित उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को शुरू करने के उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। अलग–अलग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को बनाने, स्वीकृत करने, क्रियान्वित और निष्पादित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। इस तरह से ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेल नीति

56. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल नीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नीति में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजित करने की परिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खेल नीति 2001 तैयार कर ली है और घोषित की है। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:–

1. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना;

2. अवस्थापना का उन्नयन और विकास करना और उच्च गुणवत्ता के खेल उपस्करों तक पहुंच सुनिश्चित करना;

3. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान करना;

4. वैज्ञानिक सहायता और खिलाड़ियों को कोचिग सहायता देने में सुदृढ़ता लाना;

5. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन;

6. महिलाओं, आदिवासियों और ग्रामीण युवाओं की सहभागिता में बढ़ोत्तरी;

7. खेलों के संवर्धन के लिए निगमित क्षेत्र को शामिल करना;

8. कोचों, खेल वैज्ञानिकों, निर्णायकों, रेफरी और अंपायरों का प्रशिक्षण और इनका विकास;

9. खेलों के माध्यम से पर्यटन का विकास, देश में खेल संस्कृति मजबूत करने के लिए प्रचार माध्यम का इस्तेमाल; और

10. खेलों के माध्यम से वैश्वीकरण का विकास।

(ग) और (घ) भूमंडलीकरण के शीर्ष के अंतर्गत, नई खेल नीति क्षेत्र और विश्वभर में सहभागिता और मैत्री को बढ़ाने के लिए एक माध्यम के रूप में खेल और संबंधित गतिविधियों के इस्तेमाल पर जोर देती हैं।

[हिन्दी]

फास्फेरिक एसिड का मूल्य निर्धारण

57. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (भारतीय उर्वरक संघ) आयात किए जा रहे फास्फेरिक एसिड का मूल्य निर्धारित करता है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के एजेंटों द्वारा उद्धत मूल्य और भारतीय उर्वरक संघ द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने फास्फेरिक एसिड की आपूर्ति हेतु मूल्य उद्धत किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ ए आई) के तत्वाधान में कतिपय फॉस्फेटिक उर्वरक उत्पादकों का एक संघ है जो वर्ष के दौरान आपूर्ति किये जाने वाले फॉस्फोरिक एसिड के मूल्य के संबंध में फास्फोरिक एसिड के आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ बातचीत करता है। समिति जिसमें संबंधित उत्पादों के मुख्य कार्यकारी/वरिष्ठ कार्यकारी स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं आपूर्तिकर्ताओं के साथ फास्फोरिक एसिड के मूल्य के बारे में बातचीत करते हैं। मूल्य तथा अनुबंध करार की शर्तों पर विस्तृत समझौता हो जाने के पश्चात फास्फोरिक एसिड की खरीद से संबंधित सभी वाणिज्यिक लेन–देन सीधे क्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के मध्य होते हैं।

(ख) और (ग) संघ द्वारा वर्ष 2003–04 के लिए फॉस्फोरिक एसिड के तय किये गये मूल्य एक ही तटपर एक या दो पोर्ट डिस्चार्ज के लिए 150 दिन के ब्याज मुक्त उधार के साथ 356 अमेरिकी डालर प्रति टन पी2 ओ5 लागत एवं भाडा है। आपूर्तिकर्ताओं के नाम तथा उनके द्वारा उद्धत मूल्य इस प्रकार है:–

क्र.सं.	कम्पनी	मात्रा (मी.टन.) पी2 ओ5	मूल्य अमरीकी डालर/मी.टन पी2 ओ5
1.	जी सी टी टयूनीशिया	260000	एफओबी = 324.00 सीएवंएफ = 398.00
2.	जेपीएमसी जार्डन	35000 + (–) 10%	एफओबी = 355.00 सीएवंएफ = 402.00
3.	एलसीसी लेबनॉन	35/40000 + (–) 5%	एफओबी = 329.85 सीएवंएफ = 399.85
4.	ओसीपी मोरक्को	520000	एफओबी = 320.00 सीएवंएफ = 396.00

[अनुवाद]

स्वच्छता का प्रबंध संबंधी दक्षिण एशियाई सम्मेलन

58. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही स्वच्छता का प्रबंध संबंधी दक्षिण एशियाई सम्मेलन आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सम्मेलन के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सम्मेलन से देश में शत–प्रतिशत स्वच्छता के प्रबंध का लक्ष्य प्राप्त करने में किस प्रकार से सहायता मिलेगी; और

(घ) इस एशियाई सम्मेलन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ढाका में 21 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 2003 तक स्थानीय सरकार, ग्रामीण एवं सहकारिता मंत्रालय, बंगलादेश सरकार द्वारा स्वच्छता पर एक कार्यकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का कुल उद्देश्य दक्षिण एशिया में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की प्रगति को तेज करना था ताकि जोहान्सबर्ग में 2002 में स्थायी विकास संबंधी विश्व सम्मेलन (डब्ल्यू.एस.एस.डी) में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य तथा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहयोग परिषद् (डब्ल्यू.एस.एस.सी.सी.), जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम–दक्षिण एशिया (डब्ल्यू.एस.पी–एस.ए., विश्व बैंक), विश्व स्वास्थ्य संगठन, डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता (डानिडा), अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.यू.के.) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.), जल सहायता आयोजना बंगलादेश द्वारा सह आयोजित किया गया था। ढाका में आयोजित दक्षिण एशिया सम्मेलन में भाग लेने वाले नौ एशियाई देशों के प्रतिनिधि मंडलों के अध्यक्षों ने हर दो वर्ष में मंत्रियों, एजेंसियों के अध्यक्षों, विकास में साझीदारों और ऐसे व्यक्तियों, जो स्वच्छता के क्षेत्र में व्यवहार्य क्षेत्रीय सहयोग शुरू करने और उसे संपुष्ट करने में सक्षम हों, की बैठक करने का निर्णय लिया जिसकी पहली बैठक पाकिस्तान में 2005 में तथा दूसरी भारत में वर्ष 2007 में आयोजित की जाएगी।

(घ) भारत में वर्ष 2007 में स्वच्छता संबंधी दक्षिण एशिया सम्मेलन आयोजित करने के लिए संभावित खर्च की राशि का अनुमान लगाना इस समय असामायिक है और यह अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी सहायता एजेंसियों से प्राप्त वित्तीय सहायता पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

दिल्ली के पुनर्विकास और पुनर्गठन हेतु मास्टर प्लान

59. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली के पुनर्विकास और पुनर्गठन हेतु कोई 20 वर्षीय मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मास्टर प्लान के संबंध में पड़ोसी राज्यों से विचार–विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण की मास्टर प्लान को कब तक सार्वजनिक किए जाने और लागू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) सरकार ने दिल्ली प्लान 2021 तैयार करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है। जब क्षेत्रीय योजना तैयार की जाती हैं तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन. सी. आर. पी. बी.) के सदस्य राज्यों की राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है। एन. सी. आर. पी. बी. का गठन वर्ष 1985 में किया गया तथा इसके पास हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर बनाये गये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अधिदेश हैं। राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई तथा वर्तमान में चालू क्षेत्रीय योजना 2001 में इस क्षेत्र के व्यापक विकास पर ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय योजना 2021 को तैयार करने के लिए सदस्य राज्यों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया गया है। दिनांक 1 अगस्त 1990 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान 2001 अभी चालू हैं।

विवरण

मास्टर प्लान–2021 का निर्माण–दिशानिर्देश

शहरी विकास विभाग ने दिल्ली के तीसरे मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को नीति संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों में यह मानते हुए कि नियोजन के गत 40 वर्षों में अनेक सकरात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, दिल्ली को प्रभावित करने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए नवीनतम अवधारणाओं की जरूरत पर बल दिया गया है।

* दिल्ली में नियोजित शहरी विकास और आवास के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करना;
* भारी मात्रा में अधिग्रहण की पूर्व नीति और डीडीए द्वारा भूमि के निपटान के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत करना ताकि अधिग्रहण, विकास और निपटान के बीच के अंतराल को कम किया जा सके और किसानों को शहरीकरण के लाभ में हिस्सेदारी दी जा सके;
* समुचित कार्यनीतियों पर विचार करना, यथा कार्य स्थल, रिहायश और परिवहन में सहयोग विकसित करना ताकि बाजार के परिवर्तनों के अनुकूल हो सके और साथ ही निम्नलिखित मुद्दों का भी समाधान हो सकें:–

– मिश्रित रिहायशी और वाणिज्यिक भू–उपयोग;

– औद्योगिक परिसरों का वाणिज्यिक/कार्यालयी उपयोग;

– गैर–औद्योगिक क्षेत्रों में 70 प्रतिशत अथवा इससे अधिक उद्योगों का जमाव और उन्हें वास्तव में औद्योगिक उपयोग समर्थ बनाना;

* अनधिकृत कालोनियों को शहरी विकास की मुख्य धारा में प्रभावी तौर पर सम्मिलित किया जाना;
* मौजूदा स्लम व झुग्गी झोंपड़ी समूहों को विवेकसम्मत ढंग से मिलाकर पुनर्स्थापित करके व स्व.स्थाने विकास करके उन्हें उन्नत बनाना;
* पुराने और निम्न कोटि के क्षेत्रों तथा अनधिकृत रूप से

विकसित क्षेत्रों को पुनर्विकास की मौजूदा कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाओं की समीक्षा करके पुनर्विकास करना और समुचित प्रोत्साहन मुहैया कराना (जैसे पुराने शहर और 'विशेष क्षेत्र' में उच्चतर एफ ए आर);

* मैट्रो कारिडोरों के साथ–साथ आधा कि.मी. गहनता तक अपेक्षित अवस्थापना विकास सहित सघन विकास करना ताकि परिवहन और शहरी विकास के मध्य सहयोग हो सके;

* डीडीए कालोनियों का, उच्चतर एफ ए आर के प्रोत्साहन का उपयोग करके, जो मल्होत्रा समिति के सिफारिशों के परिणामस्वरूप अब अनुमत्य है, स्वयं के प्रबंधन वाली रिहायशी कम्युनिटियों के मार्फत पुनर्विकास करने की अनुमति देना; मास्टर प्लान के अनुलग्नक के रूप में अवस्थापना विकास के लिए संदर्शी योजनाएं तैयार करना; जिसे दिल्ली सरकार तथा इसके संगत संगठनों, नगरपालिका निकायों, डीडीए तथा निर्माण व अवस्थापना कार्यों में लगे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के बीच संपूर्ण समन्वयन करके तैयार किया जाना है।

* नए प्रौद्योगिकीय विकास के आलोक में उर्ध्वाकार निर्माण (भूमि के नीचे सहित) की अनुमति की समीक्षा, जिससे भू–दायरा कम हो सके और हरित व साझा स्थानों में वृद्धि हो सके;

* अनधिकृत निर्माण और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण सहित मास्टर प्लान प्रावधान को लागू करने के लिए मौजूदा विधिक ढांचे की जांच करना व सुदृढ़ बनाना।

* हरित क्षेत्रों के विकास, बायो–डायवर्सिटी पार्क, विरासत सुरक्षा व संरक्षण पर बल।

[अनुवाद]

बंगाल-भूटान सीमा पर विवाद

60. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल–भूटान सीमा के साथ–साथ उग्रवाद में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से उग्रवादी गतिविधियों पर काबू पाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) पिछले वर्षों में उग्रवाद में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं दिखाई दी।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि भारत–भूटान सीमा की चौकसी पूर्णकालिक आधार पर केन्द्रित अर्द्धसैनिक बल द्वारा की जाए। यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय अतिवादी ग्रुपों की गतिविधियों सहित सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष सेवा ब्यूरो (एस.एस.बी.) को भारत–भूटान सीमा पर तैनात किया जाए।

स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों के लिए डी.डी.ए. योजना

61. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) का विचार स्वतंत्रता सेनानियों और आगामी 4–5 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) पहले की आवास स्कीमों में बकाया पंजीकृत व्यक्तियों के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्वतंत्रता सेनानियों और अगले 4–5 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य व्यक्तियों के लिए ऐसी कोई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

आई.ए.एस. अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

62. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रतिनियुक्ति पर अन्य राज्यों के आई. ए. एस. अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ अधिकारियो को उनके संबंधित कैडर राज्यों में वापस भेजने का आदेश दिए जाने के बाद भी उसे अभी तक लागू नहीं किया है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भ्रष्टाचार के संबंध में सी.बी.आई. जांच में संलिप्त अधिकारियों के बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) इस समय, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, झारखण्ड से उड़ीसा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), 1954 के नियम 6(1) के अनुसार, संबंधित सरकारों की सहमति से, केन्द्रीय सरकार, किसी अवधि विशेष के लिए अन्तर–संवर्ग प्रतिनियुक्ति की अनुमति दे देती है। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को उसके मूल संवर्ग में वापस भेजने का अलग से आदेश जारी किया जाना आवश्यक नहीं होता। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के मामले में, उसकी प्रतिनियुक्ति 09.01.2003 से आगे दो वर्ष की अवधि तक बढ़ा दिए जाने के बारे में उड़ीसा–सरकार का अनुरोध मिला है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो ने, अन्य राज्यों से उड़ीसा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में कार्रवाई किए जाने की सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्र

63. श्री अमीर आलम : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने हेतु कोई नया प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किन–किन स्थानों की पहचान की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या और स्थान निम्नानुसार है:–

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस. टी.सी.) – (वाराणसी, मथुरा, सुल्तानपुर और बलिया)

(2) विशेष क्षेत्र खेल (एन. ए. जी.)–2 (इलाहाबाद और मेरठ)

(3) भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी. सी.)–7 (रायबरेली, सैफई, इटावा, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, झांसी और बरेली)

(4) उत्कृष्टता केन्द्र (सी. ओ. एक्स.)–1 (लखनऊ)

(ख) और (ग) भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ में एक उप–केन्द्र स्थापित कर रहा है। इस उप–केन्द्र पर पूरे उत्तर प्रदेश राज्य से आने वाले खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण के सुअवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। इस उप–केन्द्र पर (हाकी, वालीबाल, बास्केटबाल, कबड्डी एवं फुटबाल) के खेल मैदान, तरणताल, सिन्डर एथलेटिक ट्रैक और बहु–उद्देशीय हाल (बैडमिन्टन, बॉस्केटबाल, वालीबाल, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती, जुडो, कराटे, ताइक्वांडो एवं भारोत्तोलन) की खेल सुविधाएं होंगी।

पर्वतीय राज्यों को ऋण

64. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से पर्वतीय राज्यों में आवास निर्माण के उद्देश्य हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से बाल्मिकी अम्बेडकर योजना के अंतर्गत आवास निर्माण राशि को 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करने संबंधी कोई प्रस्ताव हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) आवास एक राज्य का विषय है। भारत सरकार एक सुविधादाता के रूप में कार्य करती हैं न कि प्रदाता के रूप में। तदापि, इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) विभिन्न राज्य एजेंसियों को आवासीय स्कीमों के लिए मांग आधारित अवधारणा पर आवास के लिए वित्त मुहैया कराता है। राज्य एजेंसिया हडको से वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।

हिमाचल प्रदेश में, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत (31.10.2003 तक) स्कीमें/ऋण इस प्रकार है:–

(i) **दो मिलियन आवासीय कार्यक्रम**

स्वीकृत स्कीमें	–	151
स्वीकृत ऋण	–	216 करोड़ रु.

(ii) **हडको निवास के अंतर्गत अलग-अलग स्कीमें**

अनुमोदित आवेदनों की संख्या	–	7541
स्वीकृत ऋण	–	281 करोड़ रु.

(iii) उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में (31.10.2003 तक) 74,665 रिहायशी यूनिटें स्वीकृत की गई हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से हडको को कंडाघाट में 126 रिहायशी यूनिटों के निर्माण के लिए एक आवासीय स्कीमें प्राप्त हुई हैं। जिसमें 618.41 लाख रु. की ऋण सहायता की मांग की गई है। यह हडको के दिशानिर्देश के अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है।

(ग) और (घ) वाल्मीकी अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत रिहायशी यूनिट लागत में वृद्धि के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

65. **श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ''फलाई ऐश' और 'राइस हस्क ऐश' के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो संस्थान की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान गठित करने का मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास इकाइयों का निर्माण

66. **श्री अरूण कुमार** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवासीय इकाइयों की वार्षिक मांग एक लाख है किंतु दिल्ली विकास प्राधिकरण एक वर्ष में केवल 3000 से 4000 आवासीय इकाइयों का ही निर्माण कर पा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में आवासीय इकाइयों के बैकलॉग की वर्षवार संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास संबंधी कार्य वर्ष 1967–68 से शुरू किया है और विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों के लिए 36 स्कीमों की घोषणा की है। इसने दिनांक 31.10.2003 तक 3,33,929 आबंटन किये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत दस वर्षों में 59,875 फ्लैटों का निर्माण किया है। इसने आवासीय प्लाटों के आबंटन तथा समूह आवास सोसायटियों (ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज) के जरिए भी आवासीय यूनिटों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण में आवास स्टॉक की वृद्धि भूमि के अधिग्रहण तथा नागरिक अभिकरणों (सिविक एजेंसियों) द्वारा बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पर भी निर्भर करता है। वर्तमान में निम्नलिखित तीन स्कीमों में पिछला बकाया (बैंकलॉग) है:–

स्कीम	पिछला बकाया (बैकलॉग)
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979	10,573
अम्बेडकर आवास योजना, 1989	3,808
जनता हाऊसिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1996	7,128
कुल	21,509

दमण पुल

67. **श्री मोहन एस. देलकर** : क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दमण पुल के गिरने के बारे में कोई जांच शुरू की है जिसमें 30 मासूम अल्पायु लडकियों और लडकों ने अपनी जान गंवाई थी;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान। तथापि दुर्घटना में मारे गए 30 व्यक्तियों में से 28 बच्चे थे।

(ख) और (ग) मामले की जांच करने के लिए नियुक्त अधिकारी को 15 दिसम्बर, 2003 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है ताकि सरकार मामले में उपयुक्त कार्रवाई कर सके।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के रख-रखाव वाले अस्पताल हेतु आबंटित धनराशि

68. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार नेवेली में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के रख–रखाव वाले अस्पताल हेतु आबंटित और वितरित धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य है कि वह सामाजिक दायित्व के रूप में अर्जित लाभ का एक निश्चित हिस्सा चिकित्सा और शैक्षणिक और सुविधाओं पर खर्च करें; और

(ग) यदि हां, तो नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) द्वारा अपने चलाए जा रहे अस्पताल में गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित तथा संवितरित की गई राशि नीचे दिए गए अनुसार है:–

वर्ष	आबंटित (करोड़ रु. में)	संवितरित (करोड़ रु. में)
2000–2001	9.92	13.83
2001–2002	13.30	18.98
2002–2003	16.44	18.68

(ख) जी, नहीं। तथापि, एन. एल. सी. अपने कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा आम जनता के कल्याणकारी क्रियाकलापों पर काफी राशि स्वैच्छिक रूप से व्यय कर रही है।

(ग) एन.एल.सी. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सीय तथा शैक्षणिक सुविधाओं पर व्यय की गई राशि नीचे दिए अनुसार है:–

वर्ष	चिकित्सीय सुविधाएं (करोड़ रु. में)	शैक्षणिक सुविधाएं (करोड़ रु. में)
2000–2001	13.83	4.10
2001–2002	18.98	4.75
2002–2003	18.68	4.40

[हिन्दी]

नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी नियमों का उल्लंघन

69. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई फार्मास्युटिकल कंपनियां मनमाने मूल्यों पर जीवन रक्षक दवाओं की बिक्री कर रही हैं और नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ये दवाएं कौन सी हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्ष 2000 से आज तक किसी बड़ी कंपनी को मनमाने मूल्य वसूलने का दोषी पाया है; और

(घ) यदि हां, तो ये कंपनियां कौन सी हैं और आज तक प्रत्येक कंपनी पर लगाया गया और वसूल किया गया अर्थदंड दवा–वार कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पारंपरिक ग्राम कुटीर उद्योग

70. श्री सुरेश चन्देल : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पारंपरिक ग्राम कुटीर उद्योगों की बिगड़ती स्थिति के कारण, ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं जिससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और नगरों और ग्रामों के बीच असंतुलन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण लोगों के नगरों की ओर पलायन की रोकथाम करने हेतु ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) से (ग) जी, नहीं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सेक्टर अनिवार्य तौर पर परम्परागत ग्रामीण कोटेज उद्योगों से युक्त हैं। सरकार साकारात्मक परिणामों सहित, समय–समय पर ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के सम्वर्धन और विकास के लिए कदम उठाती रही है। इस सेक्टर को प्रदान की जाने वाली सहायता में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आई.ई.जी.पी.) के तहत मार्जिन मनी सहायता, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकीय तथा विपणन सहायता शामिल है। परिणामस्वरूप, ग्रामोद्योगों ने उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2002–03 के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग ने 10.193 करोड़ रुपये की बिक्री की और 66.45 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया, जबकि वर्ष 2001–02 में 8911 करोड़ रुपये की बिक्री और 62.64 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था।

देश में इस सेक्टर को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सरकार ने 14.5.2001 को एक खादी पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में मुख्यतः पैकेजिंग और डिजाइन सुविधाओं का सृजन, मार्किटिंग सम्वर्धन के उपाय, ब्राड बिल्डिंग, कलस्टर विकास, इत्यादि की व्यवस्था सम्मिलित है।

उपर्युक्त को मद्दे नजर रखते हुए यह देखा गया है कि परम्परागत ग्रामीण और काटेज उद्योगों में सुधार आ रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन ग्रामीण कॉटेज उद्योगों की गिरती हालत के कारण नहीं है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों से वीसा

71. **श्रीमती प्रभा राव :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगमन पर विदेशी पर्यटकों को वीसा देने हेतु नियमों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चार से अधिक की संख्या में दल के रूप में आने वाले तथा केवल मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रेवल एजेन्सी द्वारा प्रायोजित विदेशी पर्यटकों को लौडिंग परमिट दिए जाने तथा बहुउद्देशीय प्रवेश सुविधा दिए जाने का है;

(घ) यदि हां, तो यह परमिट कितनी अवधि के लिए दी जाएगी;

(ङ) क्या सरकार ने कतिपय देशों के नागरिकों को यह सुविधा नहीं देने का भी निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके नागरिकों को आगमन पर परमिट नहीं दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) चार या चार से अधिक ग्रुपों में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को लैंडिंग परमिट दिए जाने की सुविधा पहले से विद्यमान है।

(घ) ऐसे लैंडिंग परमिट अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

(च) श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, और ईथोपिया के राष्ट्रिक लैंडिंग परमिट सुविधा पाने के पात्र नहीं हैं।

कोल बियरिंग पैचेज की आऊटसोर्सिंग

72. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने दस कोल बियरिंग पैचेज की आऊटसोर्सिंग करने की योजना बनाई है;

जिनमें से दो झारखंड में अवस्थित हैं और आठ पश्चिम बंगाल में अवस्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 5 सितम्बर, 2003 को पांडवेश्वर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के अंतर्गत ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा 'आऊटसोर्सिंग बिड' की गई;

(घ) यदि हां, तो क्या कोल बियरिंग पैचेज की आऊटसोर्सिंग ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और केन्द्र सरकार के निजीकरण प्रयासों का एक हिस्सा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) ई. सी. एल. में ग्यारह पैचों को बाहरी स्त्रोतों द्वारा खनिज किए जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है जहां आग लगने और अवैध खनन की संभावना है और जो विभागीय रूप से खनिज किए जाने हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इनमें से 9 पश्चिम बंगाल में और 2 झारखंड में स्थित हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित पैच निम्नानुसार हैं:–

ए. पश्चिम बंगाल में स्थित पैच

(1) बिलपहाड़ी

(2) शंकरपुर

(3) एगरा

(4) पटमोहना

(5) बकतारनगर

(6) लाचीपुर

(7) दमालिया

(8) सोनपुर बाजारी 'बी' ओ. सी. पी.

(9) नकराकुंडा "बी" ओ. सी. पी.

बी. झारखंड राज्यों में स्थित पैच :

(1) हुरा – सी

(2) कुमारधूबी 5–के ओ. सी. पैच

(ग) पाण्डवेश्वर क्षेत्रों में हैम की बाहरी स्त्रोतों की प्राप्ति के माध्यम से बिलपहाड़ी पैच में खनन का कार्य 5 सितम्बर, 2003 को आरंभ हुआ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

नाल्को के कर्मचारियों हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना

73. श्री परसुराम माझी : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कब से और किस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल एल्युमिनियम. कम्पनी लिमिटेड (नालको) अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए विविध विधानों एवं योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा कुछेक अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनायी गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। इससे कर्मचारियों को, नालको कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923, समूह बीमा योजना (4.11. 1981 से लागू) तथा नालको कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी जीवन आश्वासन योजना (1.1.1986 से लागू) के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। अंशदायी सामाजिक सुरक्षा उपायों में नालको हितकारी निधि योजना तथा सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा अंशदायी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ शामिल हैं।

(ग) संविधियों एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के अधीन सामाजिक सुरक्षा लाभ सभी कर्मचारियों पर संबंधित संविधियों/योजनाओं के अंतर्गत उनकी लाभ की पात्रता के

अनुसार लागू हैं। सामाजिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:–

(i)	नालको–हितकारी निधि योजना	–	54
(ii)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा अंशदायी योजना	–	40
(iii)	भविष्य निधि योजना	–	260
(iv)	ग्रेच्युटी	–	318
(v)	समूह बीमा	–	58

भारत-पाकिस्तान मैच

74. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2004 के दौरान भारत–पाकिस्तान क्रिकेट श्रृंखला आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (क) और (ख) सरकार क्रिकेट मैच/श्रृंखला आयोजित नहीं करती है और ऐसी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) करता है। तथापि, किसी भी देश के साथ क्रिकेट श्रृंखला के लिए यह मंत्रालय बी.सी.सी.आई. के प्रस्ताव पर राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण पर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के विचार आमंन्त्रित करके उनके परामर्श से विचार करता है। वर्ष 2004 के दौरान भारत–पाकिस्तान क्रिकेट श्रृंखला मैचों के लिए इस मंत्रालय को अब तक बी.सी.सी.आई. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

यूरिया का आयात

75. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष में पूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटने के लिए यूरिया का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि देश की यूरिया उत्पादक इकाइयाँ यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु अपने देश को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कदम उठाए हैं?

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने यूरिया उत्पादन हेतु वैकल्पिक किफायती फीडस्टॉक का उपयोग किए जाने की किसी संभावना की खोज की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नही। देश यूरिया की उत्पादन क्षमता में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। वर्ष 2000–01 में कृषि के प्रयोजनार्थ यूरिया का आयात नहीं किया जा रहा है। किसानों को बिक्री हेतु पाइपलाईन भंडार की सम्पूर्ति करने हेतु केवल वर्ष 2001–02 में 2.2 लाख मी. टन यूरिया का आयात किया गया था जो घरेलू उत्पादन का 1.15% बैठता है।

(ङ) और (च) जी, हां। आगामी वर्षों में यूरिया की अधिक मांग को पूरा करने के लिये असम में बी वी एफ सी एल का पुनरूद्धार किया जा रहा है जिससे इसकी प्रचालन क्षमता में 3.15 मी. टन की वृद्धि होगी। ओमान में भारतीय सहकारी समितियों नामतः इफको और कृभको तथा ओमान ऑयल कम्पनी के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई है जिससे जून/जुलाई, 2005 में प्रारंभ हो जाने के पश्चात भारत को 16.5 लाख मी. टन यूरिया उपलब्ध होगा। इसके अलावा उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक बहु–राज्यीय सहकारी समिति "कृभको" हजीरा में 10.56 लाख मी. टन वार्षिक क्षमता का एक नया अमोनिया यूरिया संयंत्र स्थापित करने के संबंध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इन परियोजनाओं से देश शेष 10वीं योजनावधि में लगभग आत्मनिर्भर बना रहेगा।

(छ) और (ज) जी, हां। प्राकृतिक गैस (एन जी)/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी), यूरिया के उत्पादन हेतु न केवल वरीय फीडस्टॉक है अपितु यह एक स्वच्छ, दक्ष और लागत प्रभावी ऊर्जा स्त्रोत भी है। इसलिये, मौजूदा गैस अनाधारित यूरिया इकाईयों को फीडस्टॉक/ईंधन के लिये एन जी/एल एन जी में परिवर्तित करने की योजनाएं चल रही हैं। इससे, फीडस्टॉक की लागत के कारण राजसहायता में पर्याप्त बचत होने तथा इसके परिव्ययस्वरूप ऊर्जा बचत होने की आशा है। तथापि, गैस अनाधारित यूरिया इकाईयों का परिवर्तन नये गैस क्षेत्रों और आयातित एल एन जी तथा एन जी/एल एन जी के सुपुर्दगी मूल्य के माध्यम से एन जी की अतिरिक्त उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नकली दवाएं

76. श्री बी. के. पार्थसारथी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकली दवाओं का निर्माण और संवितरण चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है और इसका दावा व्यापार में एक–चौथाई से ज्यादा का हिस्सा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खतरे की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 2000–2001, 2001–2002 तथा 2002–2003 के दौरान 36947, 38824 तथा 36314 नमूने का परीक्षण किया गया था, जिनमें से क्रमशः 112, 96 तथा 125 नकली पाए गए थे जो परीक्षण किए गए नमूनों के 0.3, 0.25 तथा 0.34% हैं।

सीमापार से आतंकवाद

77. श्री ए. नरेन्द्र :

श्री प्रबोध पाण्डा :

डा. अशोक पटेल :

श्री पदमसेन चौधरी :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश की पश्चिमी सीमा और सीमा पार से चलने वाले आतंकवाद की क्या स्थिति है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक पकड़े गए तथा मारे गए आतंकवादियों/घुसपैठियों की माह–वार संख्या कितनी है और उनकी राष्ट्रीयता क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तानी आतंकवादी ने भारत में घुसपैठियों को भेजने के लिए अन्य पड़ोसी देशों का चयन आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए निवारणात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में सीमापार आतंकवाद की समस्या से निपटने हेतु कोई कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार के पास सीमा पार से आतंकवाद के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाने हेतु राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सतत परामर्श करने की कोई क्रियाविधि है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परामर्श के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) चालू वर्ष के दौरान पश्चिमी सीमा पर घुसपैठ तथा सीमा पार से आतंकवाद जारी रहा।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए/मारे गऐ विदेशी भाडे के सैनिकों का ब्यौरा उनकी राष्ट्रीयता सहित निम्नानुसार हैः–

वर्ष	गिरफ्तार किए गए	मारे गए
2001	–	625 (425 पाकिस्तानी/पाक अधिकृत कश्मीर, 9 अफगानी तथा 191 अन्य)
2002	10*(10 पाकिस्तानी/पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर)	508 (447 पाकिस्तानी/पाक अधिकृत कश्मीर, 5 अफगानी तथा 56 अन्य)
2003	4 (4 पाकिस्तानी/पाक अधिकृत कश्मीर)	392 (359 पाकिस्तानी/पाक अधिकृत कश्मीर तथा 33 अन्य)

* कोष्ठक में दर्शाए गए आंकडे राष्ट्रीयता दर्शाते हैं।

(ग) ऐसी रिपोर्टें हैं कि पाकिस्तान/पाकिस्तानी आई. एस. आई. द्वारा भारत में घुसपैठिए भेजने हेतु नेपाल तथा बांग्लादेश का प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में पाक समर्थित आतंकवादी गुटों/पाकिस्तानी आई. एस. आई. द्वारा सीमापार से फैलाए गए आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, राज्य पुलिस बलों तथा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण तथा घुसपैठ रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ–साथ निरंतर बदले जाने वाले घुसपैठ के रास्तों के समीप बहुस्तरीय (मल्टी टायर्ड) तथा मल्टी मोडल तैनाती करने के अलावा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरूद्ध अन्य कार्रवाई करना शामिल है।

अतिरिक्त सीमा चौकसी बल खड़े करके, प्रत्येक सीमा पर अग्रणी आसूचना एजेंसी को पदनामित करके तथा सीमाओं पर हाई–टैक इलैक्ट्रोनिक निगरानी उपकरण तैनात करके सीमाओं को सुदृढ़ किया जाता है। सरकार ने सीमा पार से आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त कार्रवाई दल स्थापित किए हैं।

(च) और (छ) आतंकवाद की समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति तथा संसद की विभिन्न समितियों तथा विशेष उल्लेखों तथा संसद प्रश्नों के जरिए राजनीतिक पार्टियों से निरन्तर परामर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अब प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली मुख्य सचिवों/पुलिस महानिदेशकों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य से उभरते खतरों के प्रति राज्य सरकारों को सुग्राही बनाया जाता है।

उड़ीसा के नगरों एवं शहरों में भूमिगत सीवेज

78. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा के नगरों एवं शहरों में भूमिगत सीवेज में सुधार करने हेतु उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

ए. यू. डब्ल्यू. एस. पी. के अंतर्गत आबंटित धनराशि

79. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एक्सिलीरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अंतर्गत राज्यवार किन नगरों में पेयजल की समस्या का समाधान किया गया है; और

(ख) वर्ष 2003–04 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार किन नगरों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

एस. जी. एस. वाई. और पी. एम. आर. डब्ल्यू एस. योजना के अंतर्गत पेयजल

80. श्री मोहन रावले :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान और आज तक केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार

योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार हेतु संस्वीकृत प्रस्ताव मांगे गए और संस्वीकृत धन का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं का समय से कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार से पिछले एक वर्ष से लेकर आज तक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अंतर्गत छह विशेषकर परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं। जिनमें से चार परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं। सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य चल रहा है।

जहां तक प्रधानमत्री ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी. एम. जी. वाई) का ग्रामीण जल आपूर्ति घटक योजना आयोग को अंतरित कर दिया गया है। ग्रामीण बसावटों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है। अलग–अलग ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, स्वीकृत करने, कार्यान्वित और निष्पादित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। इसलिए, ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति भारत सरकार से आवश्यक नहीं है और न ही इन योजनाओं के ब्यौरे तथा उनकी स्थिति की जानकारी केन्द्र स्तर पर रखी जाती है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां, ग्रामीण आबादी, डीडीपी/डीपीएपी/एचएडीपी के अंतर्गत क्षेत्र आदि कवर न की गई/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित गांवों की संख्या को ध्यान में रखकर निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों को आबंटित की जाती है। उक्त मानदंड के अनुसार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003–04 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को आबंटित राशि 15710.00 लाख रु. है।

विवरण

पिछले वर्ष से लेकर आज तक महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए प्राप्त/स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कुल लागत	स्थिति
1.	एस जी एस वाई के अंतर्गत विशेष परियोजना–ग्रामीण क्षेत्रों में जन–उत्थान कार्यक्रम, जिला–जलगांव, महाराष्ट्र	1400.00	स्वीकृत
2.	एस जी एस वाई के अंतर्गत विशेष परियोजना ग्रामीण–क्षेत्रों में जन–उत्थान कार्यक्रम, जिला–नंदुरबार, महाराष्ट्र	1296.11	स्वीकृत
3.	पशु प्रजनन डेयरी फार्म, नागपुर, महाराष्ट्र की स्थापना के लिए एस जी एस वाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	550.00	स्वीकृत
4.	जिला–बुलधाना, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु प्रजनन डेयरी फार्म–लोक उद्धार की स्थापना के लिए एस जी एस वाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	1445.00	स्वीकृत
5.	वीर्य प्रशीतन प्रयोगशाला की स्थापना एवं पशु सहायता केन्द्र (बी ए सी) के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष परियोजना, अहमदनगर, महाराष्ट्र	743.18	प्रक्रियाधीन
6.	नागेश्वर चेरिटेबल ट्रस्ट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र के लिए एस जी एस वाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	211.00	प्रक्रियाधीन

वसुंधरा एनक्लेव क्षेत्र का डीडीए से एम सी डी में हस्तांतरण

81. श्री भान सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसुंधरा एनक्लेव क्षेत्र का डीडीए से दिल्ली नगर निगम में हस्तांतरण करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि विद्युत, सड़कें, सीवर नाली और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं उस क्षेत्र में पहले से उपलब्ध हैं। जलापूर्ति नलकूप के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीवरेज, सीवर नालियों, सड़कों, बागवानी, पावर जल आपूर्ति आदि जैसी सेवाओं को अपने अधिकार में लेने हेतु दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से पहले ही अनुरोध किया है। डीडीए ने एम सी डी और दिल्ली जल बोर्ड को योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। सड़कों, सीवर नालियों और बागवानी के संबंध में संयुक्त निरीक्षण पहले ही कर लिया गया है। सीवरेज प्रणाली की बहिस्त्राव व्यवस्था अर्थात सीवरेज पम्पिंग स्टेशन डीजेबी/एमसीडी को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता

82. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य में शहरी विकास और विभिन्न नगरपालिकाओं के विकास हेतु 814 रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैलिस्टिक फिंगर प्रिंटिंग

83. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और दिल्ली पुलिस देश में प्रत्येक बन्दूक की बैलिस्टिक फिंगर प्रिंटिंग पर विचार कर रही है ताकि इसका प्रयोग अपराध में होने पर उसके मालिक का पता लग सके; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा जांच–पडताल में अपराध का पता लगाने के इस मार्ग को अपनाने की सम्भावना वैचारिक और विचार–विमर्श स्तर तक ही है।

रेजीडेंसी कार्डस

84. श्री भास्करराव पाटील :

डा. चरण दास महंत :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री अधीर चौधरी :

क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने गैर–नागरिकों की पहचान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने देश में रह रहे गैर–नागरिकों को रेजीडेंसी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है;;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेजीडेंसी कार्ड योजना शुरू करने से राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना प्रभावित होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) देश के सभी नागरिकों और देश में गैर–नागरिकों को बहु–उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह स्कीम पाइलट के रूप में, 13 राज्यों नामतः जम्मू और कश्मीर, गुजरात, उत्तरांचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गोवा, तमिलनाडु, पांडिचेरी और दिल्ली के विभिन्न जिलों में कुछ चयनित उप जिलों में लगभग 29 लाख की कुल आबादी को शामिल करते हुए प्रारंभ की गई है। यह परियोजना प्रायोगिक स्वरूप की है और इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकीय विकल्पों, जो भी आवश्यक समझे जाएंगे, को परखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से प्रवास

85. श्री रामजीवन सिंह : क्या शहरी विकास और ग्रामीण उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से वार्षिक प्रवास कितना होता है और सरकार द्वारा किए गए हाल के आंकलन के अनुसार आज तक प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या शहर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य कस्बों में प्रवासियों को भेजने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो योजना के अनुसार अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुमानतः कितने प्रवासी भेजे गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा शहर में अनुमानतः कितने अनधिकृत निर्माण वाले घरों/दुकानों/कालोनियों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के किस प्रकार से सफल होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) भारत की जनगणना, 1991 के अनुसार 1981–91 के दशक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में करीब 15.86 लाख प्रवासी आए हैं। इनमें से 65.76% पडौसी राज्यों, यथा हरियाणा (11.51%), राजस्थान (6%) तथा उत्तर प्रदेश (48.25%) से आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 1989 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना 2001 तैयार की थी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र का संतुलित और सुसंगत विकास करने के साथ–साथ दिल्ली में आबादी के दबाव को कम करना है। भारत की जनगणना, 2001 में विस्तृत प्रवासी आंकड़े उपलब्ध न हो पाने के कारण इस अवधि के दौरान दिल्ली से भेजे गए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या बताना संभव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की आबादी की वृद्धि दर 1981–91 के दशक में रजिस्टर्ड 51.45% से कम होकर 1991–2001 के दशक में 46.31% हो गई है।

(घ) अनधिकृत निर्माणों सहित मकानों/दुकानों/कालोनियों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि, स्थानीय प्राधिकारी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए कानून के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई करते हैं।

(ङ) सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान–2021 का मसौदा तैयार करने में सुविधा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली में विभिन्न मुद्दों/मामलों को व्यापक और समग्र ढंग में निपटाया जा सके।

विकासात्मक परियोजनाएं

86. श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर–व्यपगत केन्द्रीय पूल संसाधनों के अन्तर्गत भारत–भूटान सीमा और असम पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्रों को विशेष विकासात्मक पैकेज के लाभ प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों के सम्बंध में क्या कदम उठाए गये हैं और उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने अपनी निधि से भारत – भूटान सीमा और असम–पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्रों में किसी विकासात्मक योजना/परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया है जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत

पिछले पांच वर्षों में उक्त क्षेत्रों में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) केन्द्रीय अव्यपगत संसाधन पूल के अन्तर्गत विशेष रूप से भारत–भूटान और असम–पश्चिम बंगाल सीमा क्षेत्रों से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अन्तर्गत सहायता राज्य सरकार की प्राथमिकता के आधार पर परियोजना विशेष के लिए ही दी जाती है। अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अन्तर्गत विकास पैकेज हेतु एक मुश्त प्रावधान नहीं दिया जाता है।

(घ) नहीं श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पूर्वोत्तर परिषद (एन. ई. सी.) को एक क्षेत्रीय आयोजना संस्था होने का अधिदेश प्राप्त है और यह क्षेत्रीय स्वरूप की परियोजनाओं का निधियन करती है। इसलिए, एन.ई. सी. ने इस क्षेत्र के राज्यों में विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों के विकास हेतु परियोजनाएं प्रारंभ नहीं की हैं।

अंशदायी पेंशन-योजना

87. **श्री कमल नाथ :**

डा. जसवंत सिंह यादव :

क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सरकारी पेंशन–योजनाओं के संबंध में कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन–योजना से संबंधित मामले पर विभिन्न केन्द्रीय और राज्य–सरकारी यूनियनों के साथ चर्चा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) इस समय, केन्द्र–सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई अंशदायी पेंशन–योजना नहीं है; ऐसी योजना, आरम्भ में, केन्द्र–सरकार की सेवा में आने वाले नए लोगों के लिए कार्यान्वित की जानी प्रस्तावित है। हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1997 की एस एल पी (सी) संख्या 22316 ओ टी आई एस इलीवेशन कर्मचारी–संघ बनाम भारत –संघ के मुकदमें में कर्मचारी–पेंशन–योजना, 1995 के बारे में अपना निर्णय उद्घोषित किया। फिर भी, उपर्युक्त योजना, केन्द्र–सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

(ख) और (ग) अपने उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी–पेंशन–योजना, 1995 की वैधता को पुष्ट किया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त नई पेंशन–योजना, आरंभ में, केन्द्र–सरकार की सेवा में आने वाले नए लोगों पर लागू होगी। उपर्युक्त नई पेंशन–योजना के बारे में संयुक्त परामर्शदायी तंत्र (जे.सी.एम.) और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संघों से पहले परामर्श नहीं किया गया।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों से परामर्श

88. **श्री अनिल बसु** : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों से परामर्श किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों को अक्तूबर, 2003 तक कितनी राशि जारी की गई है और जारी करने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जाती है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) जी, हां।

(ख) के. वी. आईसी. के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार के परामर्श से क्रेडिट प्लान को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक में अंतिम रूप दिया जाता है। आर.ई.जी.पी. के अन्तर्गत

राज्यों के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के अध्यक्ष को विभिन्न निर्णायक समितियों में नामित किया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) जिला स्तर पी एम आर वाई समिति द्वारा और केन्द्र सरकार स्तर पर उच्चधिकार प्राप्त समिति द्वारा तथा ग्रामीण योजना और क्रेडिट विभाग (आर.पी.सी.डी.) भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई में अनुवीक्षण सैल द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। लाभार्थियों का चुनाव टॉस्क फोर्स द्वारा जिला स्तर पर किया जाता है। पी. एम. आर. वाई. के अन्तर्गत राज्यों को प्रशिक्षण आकस्मिकता तथा अन्य उद्यमिता विकास इत्यादि के लिए राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। प्रशिक्षण के लिए निधियां उद्योग क्षेत्र के लिए प्रति लाभार्थी 1000 रुपये तथा व्यापार एवं सेवा क्षेत्र के लिए प्रति लाभार्थी 500 रुपये की दर पर जारी की जाती है। राज्यों को आकस्मिकता के लिए 250/– रुपये प्रति लाभार्थी जारी किए जाते हैं। अन्य उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए निधियां राज्यों की आवश्यकता के आधार पर जारी की जाती है। विभिन्न राज्य सरकारों के लिए लक्ष्य जनसंख्या, बेरोजगार लोगों और कार्य निष्पादन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

एक अन्य योजना ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर आई) जो इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन हैं, राज्यों में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति (एस एल आई सी) के माध्यम से जिला स्तर पर जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति (डी एल आई सी) और केन्द्र सरकार स्तर पर अन्तः मंत्रालयीन टास्क फोर्स (आई एम टी टी एफ) के माध्यम से कार्यन्वित की जाती है। योजना में 5 लाख रुपये प्रति कलस्टर तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

कृषि एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय में सचिव, कृषि एवं ग्रामोद्योग की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं।

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2003–04 के दौरान (अक्तूबर 2003 तक) जारी की गई राशि नीचे दी गई है।

योजना	जारी की गई (रुपये करोड़ में)
पी एम आर वाई	18.40/–
एन पी आर आई	016
आर ई जी पी	155.00/–

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

89. **श्री चिंतामन वनगा :**

श्री कालया श्रीनिवासुलु :

श्री गुनीपाटी रामैया :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1999–2002 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कुल परिवारों में से मात्र 4.59 प्रतिशत को ही शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन में पिछड़े रहे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत सभी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है;

(ङ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्य की वित्तपोषण प्रणाली का अनुपात 75:25 नहीं हैं,

(च) क्या कई राज्यों में योजना के अंतर्गत स्वरोजगारों की पहचान हेतु परिकल्पित तीन सदस्यीय दल का कई राज्यों में गठन नहीं किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या कई राज्यों में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का या तो अन्यत्र उपयोग/दुरूपयोग किया गया है या उन्हें व्यय ही नहीं किया गया है;

(झ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ट) सरकार द्वारा दोषी राज्यों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ठ) सरकार द्वारा योजना की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की कवरेज धीमी थी और ऐसी आशा थी क्योंकि यह एक प्रक्रियान्मुखी योजना है तथा इसमें सामूहिक नीति की नई अवधारणा को अपनाया गया है। योजना के कार्यान्वयन के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का अधिकांश समय विकास कार्यकर्त्ताओं एवं बैंक कर्मियों के प्रशिक्षण एवं सक्रियकरण, विभिन्न स्तरों पर समितियों के गठन, मुख्य गतिविधियों के अभिनिर्धारण, परियोजना रिपोर्टों की तैयारी, स्वसहायता समूहों के गठन के लिए सामाजिक जुटाव तथा स्वसहायता समूहों के प्रशिक्षण आदि में प्रयुक्त किया गया था। इसके बाद, योजना के अंतर्गत गठित समूह गठन के एक वर्ष के बाद ही आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु योग्य बनते हैं। अब लोगों ने सामूहिक नीति की अवधारणा को स्वीकार करना शुरू कर दिया है जो स्वसहायता समूह के सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों के प्रतिशत आंकड़ों से स्पष्ट प्रतीत होता है। स्वसहायता समूह के सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों का प्रतिशत 37.25 प्रतिशत (1999–2000 में) से बढ़कर 50.16 प्रतिशत (2002–2003) हो गया है।

(ग) बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में उपलब्ध निधियों से संबंधित व्यय के मामले में अत्यधिक कमी हो गई थी।

(घ) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्योन्मुखी नीति को छोड़ दिया गया है जिससे कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार हो सके। अतः योजना के संशोधित दिशानिर्देश में गरीबी रेखा से नीचे के समस्त लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(ङ) असम और मणिपुर जैसे कुछेक पूर्वोत्तर राज्य अपना राज्य मैचिंग अंश रिलीज नही कर सके।

(च) और (छ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2003 की रिपोर्ट सं. 3 के अनुसार आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर तथा कर्नाटक राज्यों तथा दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या उसके प्रतिनिधि, एक बैंकर तथा पंचायत के प्रधान को मिलाकर तीन सदस्यीय दल को, दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधान के अनुसार गठित नहीं किया गया था। दल के गठन सहित दिशानिर्देशों के अनुसरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिसके लिए उप पर समय–समय पर जोर दिया जाता रहा है।

(ज) से (ट) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2003 की रिपोर्ट सं. 3 में बताया गया है कि 1999–2000 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 58.39 करोड़ रु. तक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के निधियों के अन्यत्र उपयोग/दुरूपयोग के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

(ठ) कार्यक्रम के सफल परिणामों को हासिल करने तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के प्रभावी एवं सक्षम कार्यान्वयन के लिए केन्द्र स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक विभिन्न समितियां गठित की गयी हैं। इन समितियों में जन प्रतिनिधि (संसद सदस्य/विधायक/पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि), बैंकर ग्रामीण विकास कर्मी, गैर–सरकारी संगठन, लाईन विभागों के प्रतिनिधि आदि शामिल हैं।

ये समितियां निम्नानुसार हैं:–

(i) ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति

(ii) जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति

(iii) राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति

(iv) केंद्र स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति

(v) राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां

उपरोक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से प्राप्त होने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से वास्तविक प्रगति की निगरानी की जाती है। क्षेत्र

अधिकारी योजना के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें सौपे गए राज्यों के दौरे के माध्यम से भी निष्पादन की निगरानी की जाती है।

मुम्बई में बम विस्फोट

90. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या उपप्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 2003 में मुम्बई बम विस्फोटों के पश्चात् केन्द्र ने हिंसा से निपटने के लिए राज्यों को त्वरित कार्य बल का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या अगस्त और सितम्बर 2003 में मुम्बई और अन्य स्थानों पर अनेक बम विस्फोट हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इनके लिए उत्तरदायी मुख्य संगठन कौन–कौन से हैं;

(घ) क्या देश में बढ़ते बम विस्फोटों को रोकने में सुरक्षा बल असफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र द्वारा इन राज्यों को क्या मदद और सहायता प्रदान की गई है;

(च) क्या केन्द्र को राज्य सरकारों से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) त्वरित कार्य बल (आर.ए.एफ.) दंगों या दंगे जैसी स्थितियों के लिए है और तदनुसार ही बल को, इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए, राज्यों मांग पर तैनात किया जाता है।

(ख) मुम्बई में 25 अगस्त, 2003 को हुई बम विस्फोट की दो घटनाओं के अलावा, अगस्त और सितम्बर 2003 के दौरान बम विस्फोट की अन्य कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

(ग) संदेह है कि मुम्बई में बम विस्फोट की दो घटनाओं के लिए लश्कर–ए–तैयब्बा जिम्मेवार हैं।

(घ) और (ङ) उग्रवादियों द्वारा कभी कभी बम विस्फोट की छुटपुट घटनाएं की जाती हैं लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। केन्द्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों ने आतंकवाद को काफी हद तक नियंत्रण में रखने के लिए अच्छा काम किया है।

(च) जी नही, श्रीमान।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

जय प्रकाश रोजगार योजना

91. श्री रामशकल : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जय प्रकाश रोजगार योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे अन्तिम रूप कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई समय–सीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

दूसरे देशों में भागे अपराधी

92. श्री शिवाजी माने : क्या उपप्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अपराध करने के पश्चात बडी संख्या में अपराधी दूसरे देशों में भाग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वे किन–किन देशों में छिपते रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनके प्रत्यर्पण हेतु उन देशों की सरकारों से सम्पर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक मामले में इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इंटरपोल मुख्यालय ने राज्य पुलिस एजेन्सियों/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर,

उन व्यक्तियों के विरूद्ध 255 रेड कार्नर नोटिस जारी किए हैं जिनके विदेशों में पाए जाने की संभावना है। इनमें से 116 रेड नोटिस पिछले तीन वर्षों में, 30.10.2003 तक, जारी किए गए और इन नोटिसों से संबंधित अभियुक्तों के आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बुलगारिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, बहरीन, भूटान, ब्राजील, हांगकांग, चीन, कनाडा, मिश्र, फ्रांस, फिजी, पुर्तगाल, पाकिस्तान, कतार, रूस, श्रीलंका, थाईलैंड, इत्यादि में पाए जाने की सम्भावना है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 22 मामलों, जिनमें भगोड़ों का पता लग गया है, प्रत्यावर्तन के अनुरोध भेजे गए हैं जिनमें से 11 व्यक्तियों को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और संबंधित देश प्रत्यावर्तन कार्रवाई में उपयुक्त सहयोग दे रहे हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकलांगों को लाभ

93. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों को वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से विकलांगों की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार (एस. जी. एस. वाई.) और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस. जी. आर. वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं से विकलांग व्यक्तियों को भी फायदा हुआ है। एस. जी. एस. वाई. विकलांग व्यक्तियों सहित ग्रामीण गरीबों के कमजोर वर्गों पर विशेष रूप से केन्द्रित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., पुणे को बंद किया जाना

94. श्री श्रीनिवास पाटील :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., पुणे द्वारा गत तीन वर्षों में अच्छे कार्यनिष्पादन के बावजूद भी सरकार इस यूनिट को बंद करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के सामने आ रही समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के पास हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स के स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एच.ए.एल., पिम्परी, पुणे सरकारी क्षेत्र की एक रूग्ण कंपनी है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को संदर्भित है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा आई.डी.बी.आई., मुम्बई को संचालन एजेन्सी नियुक्त किया गया है। एच.ए.एल. का पुनरूद्धार सहित भविष्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की कार्यवाही और अंतिम निर्णय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रसायन-उर्वरक उद्योग से नियंत्रण समाप्त करना

95. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रसायन–उर्वरक उद्योग से पूरी तरह नियंत्रण समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कब तक नियंत्रण समाप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि उदार औद्योगिक नीति अपनाये जाने के पश्चात् उद्योग से नियंत्रण समाप्त करना अनिवार्य हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। वर्तमान में, केवल यूरिया ही सांविधिक मूल्य और आंशिक वितरण नियंत्रण के तहत है जबकि फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों को 25.8.1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था। वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यूरिया की बिक्री सांविधिक रूप से अधिसूचित किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर और नियंत्रण मुक्त फॉस्फेटिक व पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर की जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट के अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूचित किए जाते हैं।

वर्ष 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और उद्यमी पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त के तहत देश के किसी भी भाग में उर्वरक उत्पादक इकाइयां स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। चूंकि यूरिया पर मूल्य नियंत्रण है और इसकी बिक्री सांविधिक रूप से अधिसूचत किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य पर की जा सकती है और नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री निदेशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर की जाती है। अतः प्रत्येक उर्वरक उत्पादक इकाई, चाहे वह सरकारी, सहकारी या निजी क्षेत्र में है, संबंधित रियायत योजना में शामिल होने के लिए उर्वरक विभाग को सूचित करती है और स्वीकृति प्राप्त करती है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु निधियां

96. श्री नरेश पुगलिया : क्या उपप्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय में अपना हिस्सा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (एम.पी.एफ.स्कीम) केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 लागत हिस्सेदारी के आधार पर 1969–70 से चलायी जा रही थी। केन्द्रीय सहायता दो प्रकार से दी जाती थी – 50% सहायतानुदान के रूप में और 50% ऋण के रूप में। 2000–01 से इस स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक केन्द्रीय आबंटन को बढ़ाकर 1000 करोड़ रु. कर दिए जाने के बाद अधिकांश राज्य सरकारें अधिक केन्द्रीय सहायता का अनुरोध करती रही है, क्योंकि वे अपने हिस्से का उतना ही अंशदान देने में असमर्थ हैं। तदनुसार एम. पी. एफ. स्कीम के कार्यान्वयन के तौर–तरीकों को संशोधित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे हाल ही में अनुमोदित किया गया है। संशोधित स्कीम में, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यों द्वारा जिस स्तर पर विद्रोह/उग्रवाद/सीमा पार से आतंकवाद का सामना किया जा रहा है, राज्यों को मुख्यतः उसी आधार पर 3 श्रेणियों, ए, बी,–1 और बी–2 में बांटकर धन आबंटन के तरीके को बदलना शामिल है। संशोधित स्कीम के तहत इन तीनों श्रेणियों के राज्यों को 2003–04 से केन्द्रीय धन का आबंटन 100%, 75% और 60% की दर से होगा। इस स्कीम के तहत होम गार्ड के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित धन भी दिया जाएगा और राज्य सरकारें होम गार्डस के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं में अलग से एक उप–योजना शामिल कर सकते हैं और इस स्कीम के तहत राज्य की कुल वार्षिक योजना का अधिकतम 5% तक धन आबंटित कर सकते हैं।

संबंधित राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की उप–योजनाओं को पूरा धन केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा चाहे वे राज्य श्रेणी–ए, बी–1, या बी–2 किसी में भी आते हों

और इसी प्रकार की पुलिस आधुनिकीकरण संबंधी मदें जो गृह मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा प्रभाग द्वारा चलायी जा रही सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति स्कीम के तहत स्वीकार्य है उप योजनाओं में शामिल की जाएगी।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए चलाई जा रही सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, स्कीम के तहत पुलिस आधुनिकीकरण के लिए शामिल की गई मदों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के संबंध मे आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग द्वारा चलाई जा रही एस. आर. ई. स्कीम के अन्तर्गत कवर मदों का 2003–04 से एम. पी. एफ. स्कीम के साथ मिला देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर डिवीजन द्वारा राज्य पुलिस बलों के विशेष आधुनिकीकरण के लिए चलाई जा रही स्कीम, जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों को माल के रूप में सहायता दी जाती है, का 2003–04 से एम.पी.एफ. स्कीम के साथ विलय कर दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय आबंटन को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रु. प्रति वर्ष कर दिया गया है।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियां

97. **श्री माणिकराव होडल्या गावित :**

श्री अम्बरीश :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2003 के दौरान आज तक कश्मीर और देश के अन्य भागों में राज्य–वार कितनी आतंकवादी गतिविधियां सामने आई हैं;

(ख) ऐसी घटनाओं में शामिल आतंकवादी संगठन कौन से है;

(ग) पूर्व वर्ष की तुलना में इन घटनाओं में कितने आतंकवादी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक मारे गए/घायल हुए और कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(घ) सरकार द्वारा अभी तक कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और उनके विरूद्ध किस प्रकार की जांच कराई गई; और

(ङ) उसके क्या निष्कर्ष निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) वर्ष 2003 (अक्तूबर, 2003 तक) के दौरान राज्यवार आतंकवादी गतिविधियों की संख्या निम्न प्रकार है:

जम्मू-कश्मीर :	**2887**
पूर्वोत्तर राज्य :	
असम	297
मेघालय	172
त्रिपुरा	337
अरुणाचल प्रदेश	32
नागालैण्ड	177
मिजोरम	3
मणिपुर	206
वामपंथी अतिवादी प्रभावित राज्य :	
आन्ध्र प्रदेश	520
बिहार	200
झारखण्ड	296
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	61
छत्तीसगढ़	166
उड़ीसा	46
उत्तर प्रदेश	12
पश्चिम बंगाल	4

(ख) आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए कुछेक मुख्य संगठन निम्न प्रकार हैं:

लश्कर–ए–तैयबा

जैश–ए–मोहम्मद

हरकत–उल–मुजाहिद्दीन/हरकत–उल–अंसार/हरकत–उल–

जेहाद–ए–इस्लामी

यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यू.एल.एफ.ए.)

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)

पीपल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)

पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी. ए.के.)

कांग्लेईपाक कॉम्यूनिस्ट पार्टी (के सी पी)

कांग्लेई याओल कान्बा लिुप (के वाई के एल)

मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)

आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ)

नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी)

अचिक नेशनल वॉलनटिअर काउंसिल (ए एन वी सी)

स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया

हिनन्यूट्रेप नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी)

कॉम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्कसिस्ट–लेनिनिस्ट)–पीपल्स वार

माओवादी कॉम्यूनिस्ट सेंटर (एम सी सी)

नागालैंड सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह)

नागालैंड सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैंड (कापलांग)

इसके अलावा, कुछ अन्य कट्टरवादी संगठन भी सरकार के प्रतिकूल नोटिस में आए हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2002 और 2003 (31.10.2003 तक) के दौरान मारे गए आतंकवादियों, सुरक्षा कर्मियों, सिविलियनों और सम्पत्ति की क्षति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:–

	2002		2003 (31.10.2003)	
	मारे गए व्यक्ति	नक्सलवादी घटनाओं में नष्ट हुई सम्पत्ति	मारे गए व्यक्ति	नक्सलवादी घटनाओं में नष्ट हुई सम्पत्ति
आतंकवादी	2419	29.24 करोड़ रु.	1846	13.51 करोड रु.
सुरक्षा कर्मी	695		446	
सिविलियन	1849		1457	

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष में अक्तूबर, 2003 तक पूर्वोत्तर राज्य में 863 अतिवादी और वामपंथी अतिवादी प्रभावित राज्यों में 1204 अतिवादी और जम्मू और कश्मीर में 31 जुलाई, 2003 तक 373 गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी अतिवादियों के विरूद्ध संगत कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

सीमा पार करने वाले कश्मीरी युवक

98. श्री सुशील कुमार इन्दौरा :

श्री रामजीलाल सुमन :

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उग्रवादियों ने कश्मीरी युवकों का अपहरण किया और उन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उग्रवादी शिविरों में ले गए;

(ख) यदि हां, तो 2002–2003 के दौरान कितने युवकों को सीमा पार ले जाया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा उग्रवादियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने

सूचित किया है आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी युवकों के अपहरण या अपने सहायता तंत्र के जरिए बेरोजगार युवकों को आतंकवादियों में शामिल होने का लालच दिए जाने की रिपोर्टें हैं।

(ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सुरक्षा बलों और आसूचना एजेन्सियों के ठोस प्रयासों से आतंकवाद को भड़काने के कार्य में लगे सभी समर्थकों के खिलाफ कानून के अनुसार नियमित कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा बलों ने इस वर्ष, अनेक स्थानीय युवकों को आतंकवादियों के चुगल से छुडाया है।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. को लाभ/हानि

99. **श्री पी. डी. एलानगोवन :**

श्री सुनील खां :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लि. को विगत तीन वर्षों में हुए लाभ और हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सी. आई. एल. को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव कोयला कंपनियों का विनिवेश अथवा निजीकरण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कालीदासपुर कोयला खदान की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन सड़कों की कब तक मरम्मत/निर्माण करने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) को लाभ (+)/हानि(–) का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

2000–01	(–)	1414.47 करोड़ रु.
2001–02	(+)	1754.56 करोड़ रु.
2002–03	(+)	2865.50 करोड़ रु.

सी. आई. एल. को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए उत्पादकता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार तथा लागत में कटौती जैसे कई कदम उठाए गए हैं।

(ग) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, "जोरसा मोर" से कालिकादासपुर परियोजना की लगभग 5 कि.मी. तक की सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। यह सड़क पश्चिम बंगाल सरकार से संबंधित है। इसका रख–रखाव ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई सी. एल.) द्वारा नहीं किया जाता है।

शहरी परिवहन हेतु कानून

100. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी परिवहन हेतु व्यापक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी ऐसे कानून की जरूरत नहीं समझी गई है।

राज्यों में बाढ़ के कारण घरों को क्षति

101. **श्री के. पी. सिंह देव : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा में हाल ही की बाढ़ के कारण कुल कितने घरों को क्षति हुई/कितने घर नष्ट हुए;

(ख) इन राज्यों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने घर स्वीकृत किए गए;

(ग) योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभी तक इस कार्य में राज्य–वार कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) बाढ के कारण क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए मकानों की संख्या की निगरानी मंत्रालय द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) इंदिरा आवास योजना आबंटन आधारित योजना है। इस योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में जिलों के बीच पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य वार लक्ष्य, दी गई केन्द्रीय सहायता और कार्य की प्रगति को दर्शाने वाली वित्तीय और वास्तविक रिपोर्ट विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना/समग्र आवास योजना/ऋण–सह–सब्सिडी योजना
राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन 2003–2004

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्षित मकानों की संख्या	रिलीज की गयी केन्द्रीय सहायता	निर्मित मकानों की संख्या	टी ए एफ पर खर्च का प्रतिशत	रिपोर्ट किया जाने वाला महीना
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	109355	6853.47	57992	85.22	अक्तूबर, 03
2	अरुणाचल प्रदेश	4718	318.35	1626	35.94	सितम्बर, 03
3	असम	106149	7062.33	10446	21.58	अगस्त, 03
4	बिहार	297054	18767.69	41857	13.01	जुलाई, 03
5	छत्तीसगढ	18700	1843.62	4399	40.28	सितम्बर, 03
6	गोवा	707	38.78	71	28.91	सितम्बर, 03
7	गुजरात	31428	2765.64	10212	68.33	अक्तूबर, 03
8	हरियाणा	10626	1165.77	2768	44.13	अक्तूबर, 03
9	हिमाचल प्रदेश	4416	298.54	512	27.78	सितम्बर, 03
10	जम्मू–कश्मीर	5283	369.20	1433	20.10	सितम्बर, 03
11	झारखंड	87277	5346.44	8340	13.36	जून, 03
12	कर्नाटक	56565	4544.41	15192	37.11	सितम्बर, 03
13	केरल	35052	2209.56	15664	66.91	सितम्बर, 03
14	मध्य प्रदेश	65258	6402.37	15215	47.99	सितम्बर, 03
15	महाराष्ट्र	100365	6197.73	24514	56.48	सितम्बर, 03
16	मणिपुर	5625	166.14	65	5.48	अगस्त, 03
17	मेघालय	7474	297.80	2296	66.50	अगस्त, 03

1	2	3	4	5	6	7
18	मिजोरम	1794	119.40	478	46.33	अगस्त, 03
19	नागालैंड	4825	321.00	669	19.03	जून, 03
20	उडीसा	88035	21997.99	59409	38.56	अक्तूबर, 03
21	पंजाब	7040	412.69	2253	69.18	अक्तूबर, 03
22	राजस्थान	29654	3070.39	20150	56.21	अक्तूबर, 03
23	सिक्किम	1293	86.06	1059	83.89	सितम्बर, 03
24	तमिलनाडु	54915	6864.39	17006	49.57	अक्तूबर, 03
25	त्रिपुरा	10912	726.00	3486	62.50	अक्तूबर, 03
26	उत्तर प्रदेश	200224	12514.00	17533	14.45	अगस्त, 03
27	उत्तरांचल	19536	1299.78	4858	43.64	अक्तूबर, 03
28	प. बंगाल	118023	6956.43	20511	25.03	सितम्बर, 03
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	998	0.00	456	55.32	सितम्बर, 03
30	दादरा और नागर हवेली	524	33.35	0	0.00	असूचित
31	दमन और द्वीव	217	0.00	4	4.91	अगस्त, 03
32	लक्षद्वीप	17	2.84	6	35.31	अक्तूबर, 03
33	पांडिचेरी	495	41.28	94	28.82	सितम्बर, 03
	कुल	1484554	119093.44	360574	34.40	

केन्द्रीय सतर्कता-आयोग में लंबित मामले

102. श्री रामप्रसाद सिंह : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता–आयोग ने अपनी दूसरी चरण की सलाह देने हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की स्थिति क्या है; और

(घ) लम्बन की ऐसी स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग द्वारा मुहैया करवाई गई जानकारी के अनुसार, वह, सामान्यतः उसे कोई मामला मिलने की तारीख से लगभग चार से छह सप्ताह के भीतर उसमें अपनी दूसरे स्तर की सलाह दे देता है। अक्तूबर, 2003 के अंत में, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग के पास 131 मामले एक मास से कम अवधि से, 17 मामले एक मास से अधिक अवधि परंतु दो मास से कम अवधि से और 2 मामले दो मास से अधिक अवधि से लंबित चल रहे थे। केन्द्रीय सतर्कता–आयोग, कम से कम मामले लंबित रहने देने की दृष्टि से अपनी सलाह विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर ही दे देने का प्रयास करता है।

उड़ीसा में खानें

103. श्री अनन्त नायक : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उड़ीसा में स्थान–वार कितनी लौह/मैग्जीन और फेरोक्रोम की खानें हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र की कंपनियों को पट्टे पर दी गई खानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की खानों की तुलना में सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही खानों में उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही खानों द्वारा खनिजों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2002–03 के दौरान उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क वाली कार्यरत खानों की कुल संख्या 75 (क्योंझर–46, मयूरभंज–8, सुदंरगढ–21), मैग्नीज संबंधी 42 (क्योंझर–24, सुदंरगढ़–18) तथा क्रोमाइट संबंधी 17 (धेनकनाल–2, जाजपुर–12, क्योंझर–3) थी। उड़ीसा राज्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों को स्वीकृत किए गए पट्टों का ब्यौरा निम्नवत है:–

खनिज	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
लौह–अयस्क	18	45
मैंग्नीज अयस्क	8	34
क्रोमाइट	6	11

(ग) से (ङ) वर्ष 2001–02 की अपेक्षा वर्ष 2002–03 के दौरान उड़ीसा राज्य में निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क मैग्नीज तथा क्रोमाइट के उत्पादन में कोई तीव्र गिरावट नहीं थी।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

104. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और अभी तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार योजना की किस प्रकार निगरानी करती है;

(घ) क्या सरकार ने देश में सभी लोगों को 2010 तक स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विभिन्न राज्यों के बीच स्वच्छता के स्तर में भारी अंतर है

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए एक क्रैश कोर्स शुरू करने का है; और

(ज) यदि हां, तो कुछ राज्यों के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (संपूर्ण स्वच्छता अभियान) के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

(ग) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के लेखों की वार्षिक लेखा–परीक्षा की जाती है। जिला कार्यान्वयन एजेंसियों (ज़ैड पी/डी.डब्ल्यू. एस.एम./डी.आर.डी.ए.) द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा/ए.जी. प्रमाण–पत्रों में की गई टिप्पणी को ध्यान में रखा जाता है और दूसरी या अनुवर्ती किस्तों की रिलीज के समय उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन का सत्यापन करने के लिए बहु–विषयक समीक्षा मिशनों को जिलों में भेजा जाता है। समीक्षा मिशन की अनुकूल सिफारिशों

के आधार पर ही निधियों के केन्द्रीय अंश की दूसरी या अनुवर्ती किस्त रिलीज की जाती है। क्षेत्रीय कार्यशालाओं में राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की जाती है।

(घ) और (ङ) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कार्यक्रम मांग आधारित है। तथापि प्रयास यह है कि जोहानेसबर्ग में सितम्बर, 2002 में स्थायी विकास पर आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में, बुनियादी स्वच्छता सुविधा से रहित लोगों के अनुपात को वर्ष 2015 तक आधा कर देने के निर्धारित सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को वर्ष 2010 तक हासिल किया जाए।

(च) जी, हां।

(छ) और (ज) सपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) मांग आधारित कार्यक्रम है, जो भागीदारी आधार पर कार्यान्वित किया जाता है। बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के प्रति ग्रामीण लोगों में व्यावहारिक एवं मनोवृत्तिक बदलाव लाना और उसके फलस्वरूप माध्यम से इसके लिए मांग सृजित करना संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन के मुख्य सिद्धांत हैं। संपूर्ण स्वच्छहता अभियान परियोजना कार्यान्वित करने वाले राज्यों में स्वच्छता सुविधा की व्यापक मांग सृजित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आई. ई. सी.) और क्रियाकलाप पुनः तैयार किए गए हैं ताकि स्थिति विशेष तीव्र आई. ई. सी. कार्यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

कापार्ट द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता

105. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें लगे गैर–सरकारी संगठनों की सूची क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं हेतु कापार्ट द्वारा इन गैर–सरकारी संगठनों को राज्य–वार और योजना–वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या राज्य के विशेषकर आंध्र प्रदेश के दूरवर्ती और फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों को कोई प्राथमिकता दी जा रही है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार की कापार्ट को आबंटित राशि में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई में मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम

106. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर, 1995 के दौरान मुंबई के मलिन बस्ति के निवासियों के लिए एक मलिन बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार से अनुमोदन मांगा था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तुत योजना का ब्यौरा क्या है और उसमें केन्द्र सरकार की कितनी भूमि संलग्न है; और

(ग) नमक की क्यारियों वाली भूमि का ब्यौरा क्या है और मलिन बस्तियों के पुनर्वास हेतु यह भूमि प्रदान करने अथवा इस प्रयोजनार्थ 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने नवम्बर 1995 में एक पत्र भेजा था जिसमें मलिन बस्ती पुनर्विकास और सुधार स्कीमें चलाने के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/अभिकरणों से संबंधित तथा मलिन बस्तियों द्वारा कब्जा की गई भूमि हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव था।

(ग) मुम्बई में नमक की क्यारियों वाली भूमि की स्थिति सहित गांव–वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। नमक की क्यारियों वाली अधिशेष भूमि के उपयोग से संबंधित मुद्दों की जांच करने हेतु मंत्रियों का ग्रुप गठित किया गया है।

विवरण

मुम्बई में नमक की क्यारियों वाली भूमि का गांव–वार ब्यौरा

क्र.सं.	गांव	कुल भूमि (है.)
1.	दहिसर	175.00
2.	मलवानी	18.00
3.	पहाड़ी	40.00
4.	मुलन्द	456.00
5.	नहूर	86.00
6.	भंडप	220.00
7.	कंजूर	598.00
8.	वडाला	164.00
9.	अनिक	54.00
10.	टर्भी	148.00
11.	मंडले	105.00
12.	चेम्बूर	57.00
13.	घाटकोपार	56.00
	योग	2177.00

नमक की क्यारियों वाली भूमि का सार

1. विकास के लिए उपलब्ध क्षेत्र		346.00 है.	
2. विकास योजना के संशोधन के साथ विकास के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्र			
	(i) एन डी जेड के अन्तर्गत क्षेत्र	71.00 है.	
	(ii) सी आर जेड–।। के अन्तर्गत क्षेत्र	74.00 है.	321.00है.
	(iii) सी आर जेड–।।। के अंतर्गत क्षेत्र	176.00 है.	
3. निम्न को पहले से आबंटित क्षेत्र			
	(i) राज्य सरकार अभिकरणों (भंडुप सीवरेज परियोजना के लिए दिए गए और सी आर जेड–1 के अन्तर्गत आ रहे हैक्टेयर क्षेत्र सहित)	194.00 है.	
		75.00 है.	269.00है.
	(ii) केन्द्र सरकार अभिकरणों	75.00 है.	
4. स्वामित्व संबंधी विवादों के अंतर्गत क्षेत्र		134.00 है.	
5. अतिक्रमण के अंतर्गत क्षेत्र			
	(i) बहु–मंजिलें विकास	156.00 है.	
	(ii) मलिन बस्ती	18.00 है	174.00है.
6. क्षेत्र जो विकास के लिए उपलब्ध नहीं है:			
	(i) सी आर जेड–। के अंतर्गत क्षेत्र	923.00 है.	
	(ii) नाहूर गांव में न्यायालय मामले में गवाया गया क्षेत्र	10.00 है.	933.00है.
शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के हस्तांतरण के अधीन नमक की क्यारियों वाली कुल भूमि		2177.00 है.	

[हिन्दी]

उग्रवादियों द्वारा खिलौना विमानों का प्रयोग

107. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **उप प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा रिमोट से चलने वाले खिलौना विमानों की तस्करी करके अति–विशिष्ट व्यक्तियों और देश के विमानों को निशाना बनाने का षडयंत्र किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति

108. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तर पर गरीबों की स्थिति और खराब हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आर्थिक क्रियाकलापों में बार–बार बाधा पहुँचने से गरीब महिलाओं तथा आदिवासियों के जीविकोजपार्जन में परेशानी होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, ग्रामीण मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के सुधार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई), इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी), संपूर्ण अभियान (टी एस सी) और वाटरशेड विकास कार्यक्रम जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, क्षेत्र विकास और ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने पर बल देती हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाएं

109. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार में केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास परियोजनाएं अपेक्षित स्तर तक सफल नहीं रही;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं बिहार सहित अधिकांश राज्यों में कुल मिलाकर सफल रही है। वर्ष 2002–2003 के दौरान निधियों के उपयोग का कुल आबंटन 106 प्रतिशत और पूरे देश के लिए उपलब्ध कुल निधि का 82 प्रतिशत था और बिहार में यह प्रतिशतता वर्ष 2002–2003 के दौरान क्रमशः 80 प्रतिशत और 72 प्रतिशत थी।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर योजनाओं को और अधिक कारगर तरीके से तथा दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वित करने पर जोर दे रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की दृष्टि से और गरीबों को लाभ मिल सके यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मानीटरिंग की प्रभावी प्रणाली बनाई गई है।

[अनुवाद]

विश्व खनन कांग्रेस

110. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में विश्व खनन कांग्रेस आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या सहित कांग्रेस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) लिए गए निर्णय तथा उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) विश्व खनन कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति, दी इन्स्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) ने कोयला, खान, इस्पात, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, वाणिज्य एवं उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन, पावर तथा लघु उद्योग मंत्रालयों की सहायता से नई दिल्ली में 1 से 5 नवम्बर, 2003 तक 19वें विश्व खनन कांग्रेस का आयोजन किया।

(ख) सम्मेलन का विषय था – 'माइनिंग इन दी 21 सेन्चुरी – को वादीस?' इस सम्मेलन में 49 देशों के 1405 प्रतिनिधियों (1029 भारतीय प्रतिनिधियों तथा विदेश के 376 प्रतिनिधियों) ने भाग लिया।

(ग) कांग्रेस का घोषणा पत्र 10 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है, नामतः (1) उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण तथा पुनरूद्धार और पुनर्वास के महत्वपूर्ण निर्णायक क्षेत्रों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हेतु प्रयास करना; (2) गवेषण, भू–विज्ञान तथा अनुसंधान संगठनों के सुदृढ़ीकरण में निवेश बढ़ाना; (3) पर्यावरण और नए तकनीक के उपकरणों से खनन के बीच संगतता सुनिश्चित करना; (4) उपयुक्त सस्टेनेबिलिटी मानदण्ड विकसित करना; (5) गवेषण, निष्कर्षण, सुरक्षा तथा पर्यावरणीय प्रबंधन में समस्याओं के नवीन समाधानो की खोज करने के प्रयासों को तीव्र करना; (6) जैव प्रौद्योगिकी में

अनुसंधान प्रयासों को तीव्र करना; (7) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय कार्य–निष्पादन में सुधार लाना; (8) खनन इंजीनियरिंग व्यावसायिकों की उभरती भूमिका हेतु उपयुक्त सामान्य तथा विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु संगठित विश्वव्यापी प्रयास करना (9) निजीकरण, उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियों की पुनसंरचना करना; तथा (10) विश्व–भर के चयनित खनन स्थलों को विश्व विरासत स्थलों के रूप में घोषित करना।

जीवन रक्षक दवाइयां

111. **डा. बलिराम** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन रक्षक दवाइयों पर दी गई सीमा शुल्क छूट उपभोक्ता को नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि एन पी पी ए ने सीमा शुल्क रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को न देने के लिए कंपनियों को नोटिस भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो कंपनियों, दवाइयों के नाम क्या हैं तथा इसमें कितनी राशि शामिल है; और

(ङ) दोषी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है जिसमें सीमा शुल्क छूट उपभोक्ताओं को नहीं दी गई हो। इस संबंध में किसी कम्पनी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

उर्वरक संयंत्र

112. **श्री पी. डी. एलानगोवन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की राज्य–वार, कंपनी–वार कुल परिसंपत्ति कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रमुख उर्वरक संयंत्रों में संयंत्र–वार कितना निवेश किया गया है

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक प्रमुख उर्वरक संयंत्र द्वारा वर्ष–वार कुल कितना उत्पादन प्राप्त किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रमुख संयंत्रों में से प्रत्येक को वर्ष–वार कुल कितनी हानि हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क), (ख) और (घ) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों/सहकारी समितियों के संयंत्रों की अवस्थिति, उनकी अचल सम्पति (सकल ब्लाक), भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश, गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें हुआ लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के उर्वरक संयंत्रों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए उत्पादन से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/ सहकारी समिति का नाम	संयंत्रों का नाम और उनकी अवस्थिति	31.3.2003 के अनुसार कंपनी की स्थायी परिसंपत्ति	गत तीन वर्षों (2000–01 से 2002–03) के दौरान भारत सरकार द्वारा साम्य में किया गया निवेश	लाभ (+) / हानि (–)		
				2000–01	2001–02	2002–03
1	2	3	4	5	6	7
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिं. (एफसीआई)	सिन्दरी (झारखंड) रामगुण्डम (आंध्र प्रदेश) तालचर (उड़ीसा) गोरखपुर (मध्य प्रदेश) कोरबा (मध्य प्रदेश) जेएमओ (राजस्थान)	1129.42	21.50	(–) 951.36	(–) 1104.11	(–) 1166.31

1	2	3	4	5	6	7
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी)	बरौनी (बिहार) दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) हल्दिया (पश्चिम बंगाल)	343.55	172.33	(–) 767.72	(–) 799.66	(–) 1059.56
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (बीवीएफसीएल)	नामरूप (असम)	456.22	7.68	–	–	(–) 32.06
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लि. (आरसीएफ)	ट्राम्बे (महाराष्ट्र) थाल (महाराष्ट्र)	2280.46	शून्य	(+) 64.97	(+) 24.21	(–) 48.07
नेशनल फर्टिलाइजर लि. (एनएफएल)	पानीपत (हरियाणा) भटिंडा (पंजाब) नांगल (पंजाब)	2839.27	शून्य	(+) 27.31	(+) 40.61	(+) 286.27
पाइराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स लि./ (पीपीसीएल)	अमझोर (बिहार) सलादीपुर (राजस्थान) देहरादून (उत्तरांचल)	108.99	शून्य	(–) 108.30	(–) 114.20	(–) 143.45
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल)	मनाली (तमिलनाडु)	861.25	शून्य	(–) 29.76	(–) 66.10	(+) 4.12
फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिं. (एफएसीटी)	उद्योग मंडल (केरल) कोचीन (केरल)	1444.77	शून्य	(–) 151.95	(+) 0.57	(–) 199.93 (अनंतिम)
कृषक भारती कोपरेटिव लि. (कृभको)	हजीरा (गुजरात)	1021.06	शून्य	(+) 138.10	(+) 187.33	(+) 34.01
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लि. (इफको)	कलोल (गुजरात) कांडला (गुजरात) आंवला (उत्तर प्रदेश) फूलपुर (उत्तर प्रदेश)	4296.77	शून्य	(+) 231.00	(+) 308.37	(+) 557.21

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र उपक्रमों और सहकारी समितियों द्वारा पोषकों के रूप में कम्पनी/ संयंत्र–वार उर्वरकों का उत्पादन

नाइट्रोजन

कम्पनी/संयंत्र का नाम	उत्पादन (000 मी. टन)		
	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
सहकारी क्षेत्र :			
एफसीआईसिंदरी आधुनिक*	109.2	35.1	0.0
एफसीआईगोरखपुर*	0.0	0.0	0.0
एफसीआईरामागुण्डम*	0.0	0.0	0.0
एफसीआई–तालचर*	0.0	0.0	0.0
योग (एफसीआई)	109.2	35.1	0.0
एनएफएल–नांगल-I	26.8	10.4	13.5
एनएफएल–नांगल--II	138.1	210.8	220.1
एनएफएल - भटिंडा	220.2	236.5	235.5

1	2	3	4
एनएफएल - पानीपत	226.7	235.3	225.4
एनएफएल - विजयपुर	373.0	392.6	397.7
एनएफएल - विजयपुर विस्तार	392.5	392.6	398.8
योग (एचएफसी)	1377.3	1478.2	1491.0
बीवीएफसीएल - नामरूप-I*	0.0	0.0	0.0
बीवीएफसीएल- नामरूप-II*	0.0	0.0	0.0
बीवीएफसीएल- नामरूप-III	76.9	29.6	85.7
योग (बीवीएफसीएल)	76.9	29.6	85.7
एचएफसी - दुर्गापुर *	0.0	0.0	0.0
एचएफसी - बरौनी *	0.0	0.0	0.0
योग (एचएफसी)	0.0	0.0	0.0
फैक्ट–उद्योगमंडल	91.0	87.8	69.4
फैक्ट – कोचीन-I	126.6	10.2	4.4
फैकट–कोचीन-II	126.6	123.9	103.7
योग (फैक्ट)	344.2	221.9	177.5
आरसीएफ–ट्राम्बे	45.0	52.7	45.6
आरसीएफ–ट्राम्बे-IV	52.4	55.9	51.7
आरसीएफ–ट्राम्बे-V	132.6	18.1	9.6
आरसीएफ-थाल	611.6	667.5	707.2
योग (आरसीएफ)	841.6	794.2	814.1
एमएफएल - चेन्नई	311.0	230.5	256.5
योग (सरकारी)	3060.2	2789.5	2824.8
सहकारी क्षेत्र			
इफको-कांडला	257.3	307.0	368.0
इफको-कलोल	224.4	253.1	247.5
इफको- फुलपुर-I	239.2	235.5	253.6
इफको - फुलपुर-II	392.7	394.5	397.8
इफको - आवला-I	374.5	324.8	398.4
इफको- आवला-II	394.7	397.6	398.0
योग (इफको)	1882.8	1912.9	2063.3
कृभको - हजोरा	750.1	779.3	737.6
योग (सहकारी)	2632.9	2691.8	2800.9
योग (सरकारी + सहकारी)	5693.1	5481.3	5625.7
फॉस्फेट्स			
सहकारी क्षेत्र			
फैक्ट–उद्योगमंडल	41.0	41.4	31.1
फैक्ट–कोचीन-II	126.6	123.9	103.7
योग (फैक्ट)	167.6	165.3	134.8
आरसीएफ- ट्राम्बे	45.0	52.7	45.6
आरसीएफ-ट्राम्बे–IV	52.4	55.9	51.7
योग (आरसीएफ)	97.4	108.6	97.3
एमएफएल–चेन्नई	128.3	99.3	73.4
पीपीसीएल -अमझौर*	0.0	0.0	0.0
पीपीसीएल - सलादीपुरा*	0.2	0.0	0.0
योग (पीपीसीएल)	0.2	0.0	0.0
योग (सरकारी)	393.5	373.2	305.5
सहकारी क्षेत्र			
इफको - कांडला	664.4	793.3	949.5
योग (सरकारी + सहकारी)	1057.9	1166.5	1255.0

* उत्पादन लंबित

नगर विकास परियोजनाएं और एमआरटीएस

113. **श्रीमती प्रभा राव** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सिंगापुर को नगर विकास परियोजनाओं और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स (एमआरटीएस) जहां 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है, में निवेश करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में सिंगापुर द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से नगर तथा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा कोयला खानों को निजी कंपनियों को सौंपना

114. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की सलमपुर क्षेत्र में चल रही पांच कोयला खानों को निजी कंपनियों को सौंपने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खेयर – बंघ कोयला खान में भारी मात्रा में कोयला भंडार होने के बावजूद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड प्राधिकरण ने अत्यावश्यक कोयला उठाने वाली अपनी भारी मशीनों को अन्यत्र भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. प्राधिकरण द्वारा बेगानिया कोयला खान में उत्पादन रोक दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या समवी कोलियरी में भारी मात्रा में कोयला भंडार होने के बावजूद, ईस्टर्न कोलफील्ड्स प्राधिकरण वहां पर कोयला उठाने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को तैनात करने में उदासीन है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) यह एक तथ्य नहीं है। खोइराबाद कोलियरी के उत्तरी भाग में एक आग क्षेत्र है जिसका निष्कर्षण टुकड़ों मे हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) को बाहरी स्त्रोतों से लेकर किया जा रहा है। चरण–। में निष्कर्षण पूरा हो चुका है और चरण–।। में निष्कर्षण के लिए प्रस्ताव अनुमोदन के प्रक्रियाधीन है।

(ङ) बेगुनिया कोलियरी में अभी प्रचालन हो रहा है। अप्रैल, 2003 से अद्यतन तिथि तक इस कोलियारी का उत्पादन 23497 टन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) संग्रामगढ़ कोलियारी (पहले जिसे समाडीह कोलियारी के नाम से जाना जाता था और समवी कोलियारी के नाम से नहीं) में सालनपुर "ए" सीम में विकास का कार्य अभी भी जारी है। अप्रैल, 2003 से अद्यतन तिथि तक इस खान से हुआ कोयला उत्पादन 30114 टन है। इसके अलावा, संग्रामगढ ओपनकास्ट पैच नामक एक और पैच को हैम की बाहरी स्त्रोतों से प्राप्ति कर खनन किए जाने के लिए चिन्हित किया गया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

नक्सलवाद

115. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री प्रबोध पाण्डा :

श्री प्रदीप यादव :

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

डा. चरणदास महंत :

श्री बी. वेंकटेस्वरलु :

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

श्री उत्तमराव पाटील :

डा. एन. वेंकटस्वामी :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री अधीर चौधरी :

श्रीमती निवेदिता माने :

श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

श्री अनन्त नायक :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सलाइट/पीपुल वार ग्रुप को राज्य–वार उस हिंसा का ब्यौरा क्या है जिसमें वर्ष 2001, 2002, 2003 तथा आज तक राज्य–वार अनेक व्यक्ति मारे गए/घायल हुए तथा संपत्ति की क्षति हुई;

(ख) विभिन्न राज्यों में नक्सलवाद से निपटने के लिए समन्वय समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या नक्सलवादी समूहों और आतंकवादी समूहों ने वर्ष 2001 से साथ मिलकर काम करने के लिए भी हाथ मिलाया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) राज्यों द्वारा नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए प्रस्तुत की गई राज्य–वार कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने देश में नक्सलवादी हिंसा से निपटने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष स्कंध बनाने का निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) उक्त समस्या से निपटने में असफलता के क्या कारण हैं; और

(झ) उक्त समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क)

राज्य का नाम	2001		2002		2003 (31.10.03 तक)	
	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	461	180	346	96	520	116
बिहार	169	111	239	117	200	102
झारखंड	335	200	353	157	296	105
मध्य प्रदेश	21	2	17	3	12	1
छत्तीसगढ़	105	37	304	55	166	58

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	34	7	83	29	61	25
उड़ीसा	30	11	68	11	46	15
उत्तर प्रदेश	22	12	20	6	12	8
पश्चिम बंगाल	9	4	17	7	4	1

विगत तीन वर्षों के दौरान वामपंथी हिंसा में नष्ट सम्पति का ब्यौरा :

2001 25.46 करोड़ रु.

2002 29.24 करोड़ रु.

2003 (31 अक्तूबर, 03 तक) 13.51 करोड़ रु.

(ख) गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को लेकर केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र गठित किया गया है ताकि इन राज्यों द्वारा वामपंथी अतिवाद को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की नियमित रूप से पुनरीक्षा तथा समन्वय किया जा सके।

(ग) और (घ) इस संबंध में सरकार के पास कोई पुष्ट रिपोर्टें नही है।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से, प्रभावित क्षेत्रों में विकास सहित सुरक्षा पहलुओं को शामिल करते हुए समेकित कार्य योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके उत्तर में, योजना आयोग ने पिछड़े जिले पहल (बी.डी.आई.) योजना के अधीन सभी नक्सलवाद प्रभावित जिलों को शामिल कर लिया है। इस योजना में, अभिज्ञात पिछड़े जिलों में भौतिक तथा सामाजिक संरचना में अति महत्वपूर्ण अंतर को पूरा करने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति जिला प्रति वर्ष 15 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जहां तक सुरक्षा का संबंध है, राज्यों द्वारा नक्सलवाद से लड़ने पर किए गए व्यय की केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए सुरक्षा संबंधी वयय (एस.आर.ई.) योजना 1996 से प्रचालन में है।

(च) और (छ) वामपंथी अतिवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए निद्धिष्ट संख्या में के.रि.पु. बल की बटालियनें उद्धिष्ट की गई हैं। उन्हें दीर्घावधि आधार पर तैनात किया जाएगा तथा राज्य उनकी तैनाती के लिए आपरेशनल योजनाएं देंगे।

(ज) और (झ) सरकार ने वामपंथी अतिवाद की समस्या का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिसमें राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण, रणनीतिक योजना, आसूचना आधारित नक्सलवाद विरोधी आपरेशनों के लिए विशेष कार्य बल, विकासात्मक पहलू पर ध्यान केन्द्रित करना, निम्नतम स्तर पर लोक शिकायत उन्मूलन प्रणाली को चुस्त–दुरूस्त बनाना आदि शामिल है। सरकार वामपंथी अतिवाद की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा राज्यों को आवश्यकता के आधार पर अर्ध सैनिक बलों की सहायता भी प्रदान करती है।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

116. श्री वी. के. पार्थसारथी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की इस बात पर विचार करते हुए किसानों को उर्वरकों की खरीद पर अतिरिक्त विशेष राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है कि अधिकाश उर्वरक इकाइयों का विनिवेश किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। वहनीय मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराकर कृषकों को राजसहायता/रियायत का लाभ देना सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उपक्रमों के विनिवेश से पृथक है।

निम्न लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत आबंटित राशि

117. श्री ए. नरेन्द्र :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को निम्न लागत स्वच्छता योजना कार्यान्वित करने के लिए राज्य–वार कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) नौवीं योजना अवधि के दौरान इसके अंतर्गत वर्ष–वार और राज्य–वार कितने कस्बे विभिन्न राज्यों में विशेषकर आंध प्रदेश, उत्तरांचल और कर्नाटक में शामिल किए गए और अब तक कितने शौचालय बनाए गए;

(ग) इन राज्यों में दसवीं योजना के दौरान शौचालयों के निर्माण हेतु राज्य–वार वास्तविक योजना लक्ष्य क्या है; और

(घ) दसवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) गत तीन वर्षों में समेकित कम लागत सफाई स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–। मे दिया गया है।

(ख) नौवीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल तथा कर्नाटक में शामिल किये गये कस्बों की संख्या तथा निर्मित यूनिटों की संख्या का वर्ष–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–।। में दिया गया है।

(ग) और (घ) स्कीम के मांगमूलक होने के कारण कोई राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

विवरण–।

गत तीन वर्षों में राज्य सरकारों को जारी भारत सरकार की सब्सिडी का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गयी भारत सरकार की सब्सिडी (लाख रुपये)		
		2000–01	2001–02	2002–03
1.	आन्ध्र प्रदेश	132.57	706.91	410.58
2.	मध्य प्रदेश	0.43	160.21	1978.58
3.	महाराष्ट्र	0.00	16.24	49.62
4.	मणिपुर	0.00	0.00	15.46
5.	राजस्थान	142.11	55.87	53.94
6.	त्रिपुरा	0.00	0.00	58.79
7.	उत्तर प्रदेश	21364	0.00	0.00
8.	प. बंगाल	523.80	0.00	36.84
9.	छत्तीसगढ़	0.00	46.04	108.65
10.	उत्तरांचल	0.00	0.00	271.24
	कुल राज्य	2933.75	984.67	2983.60

विवरण ।।

नौवीं योजना अवधि में आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल तथा कर्नाटक में शामिल किए गए कस्बों तथा निर्मित यूनिटों का वर्ष–वार ब्यौरा

वर्ष (योजना अवधि)	आंध्र प्रदेश		उत्तरांचल		कर्नाटक	
	शामिल किए गए कस्बे	निर्मित शौचालय	शामिल किए गए कस्बे	निर्मित शौचालय	शामिल किए गए कस्बे	निर्मित शौचालय
1997–98	0	2421	0	0	0	788
1998–99	27	23746	0	0	0	0
1999–2000	12	286384	0	0	0	0
2000–01	0	0	36	4325	0	0
2001–02	1	0	10	0	0	0

आतंकवाद विरोधी दल

118. श्री मोहन रावले : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु, जैविक और रसायन युद्ध का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी बल को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन बलों को इजराइल, ब्रिटेन और अमरीका में विशेषिकृत कोर्स हेतु प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन देशों ने ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव की बात मान ली है; और

(च) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) रेडियोएक्टिव सामग्री और जैविक/रासायनिक एजेंटों का इस्तेमाल करके होने वाले आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की चार बटालियनें उद्दिष्ट की गई हैं। नोडल प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान कर ली गई है और गुणात्मक जरूरतों (क्यू आर), प्रशिक्षण संकाय और पाठ्य विवरण को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जनवरी 2004 से आरम्भ होगा।

(ग) से (घ) देश के पास ऐसी विपदाओं से निपटने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की क्षमता है। तथापि, कुछ कार्मिकों को कतिपय पहलुओं में यू एस ए में भी प्रशिक्षित किया गया है। यदि आवश्यकता हुई तो, आगे और विशेषज्ञता वाले प्रशिक्षण ऐसे देशों में भी आयोजित किए जा सकते हैं, जहां ऐसी क्षमताएं उपलब्ध हैं।

शराब की तस्करी

119. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली में शराब की तस्करी के संबध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शराब की कितनी तस्करी की गई और कितनी जब्त की गई;

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जब्त की गई शराब के निपटान हेतु क्या मानदंड अपनाया गया और उससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में शराब की तस्करी जैसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। तथापि, उन्होंने हाल ही में, शराब की तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे महत्वपूर्ण प्रवेश स्थानों की पहचान की है और इस संकट को रोकने के लिए अपने अभियान के एक भाग के रूप मे दिल्ली में सक्रिय ज्ञात शराब के अवैध विक्रेताओं की एक सूची भी तैयार की है। पिछले 3 वर्षों के दौरान और 31 अक्तूबर, 2003 तक जब्त अवैध अथवा तस्करी कर लाई गई शराब की मात्रा निम्न प्रकार है:–

वर्ष	जब्त की गई शराब की मात्रा
2000	183566.490 लीटर
2001	116905.900 लीटर
2002	136404.000 लीटर
2003 (31 अक्टूबर 2003 तक)	186312.000 लीटर

(ग) दिल्ली में शराब तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए उपायों में अवैध शराब के व्यापार में लिप्त ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना, ऐसी गतिविधियों के लिए प्रोन संदिग्ध क्षेत्रों में विशेष पिकेटों की स्थापना; शराब के लिए प्रोन संदिग्ध क्षेत्रों की तस्करी से सम्बंधित आसूचना एकत्र करना शामिल है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना

120. **श्री भास्करराव पाटील :**

डा. चरणदास महंत :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्री अधीर चौधरी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले के विपणन संबंधी शिकायतों से निपटने हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विपणन संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो राजसहायता – वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहायक कंपनी–वार उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पहले ऐसी शिकायतों से किस प्रकार निपटा गया था; और

(च) शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना ऐसी शिकायतों का शीघ्रता से समाधान किस सीमा तक करने जा रहा है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) सी. आई. एल. ने सी. आई. एल. के विपणन प्रभाग कोलकाता में एक शिकायत निवारण सैल का गठन किया है। जिसके प्रधान मुख्य महाप्रबंधक (बिक्री तथा विपणन) हैं। सैल ने अगस्त, 2003 से कार्य करना आरंभ किया है और उपभोक्ताओं के विपणन मुद्दों संबंधी शिकायतों को देखता है। सैल निदेशक मंडल, कोल इंडिया लिमिटेड को नियमित आधार पर फरियाद/शिकायतों की प्राप्ति तथा निपटान के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(ग) अभी तक सैल को 22 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से आठ मामलों का पहले ही निपटान किया जा चुका है।

(घ) निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नवत है:–

अनुषंगी कंपनी	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	निवारण किए जाने वाली शेष शिकायतों की संख्या
ई.सी.एल.	14	4	10
बी.सी.सी.एल.	1	1	0
सी.सी.एल.	1	0	1
डब्ल्यू.सी.एल.	1	0	1
एस.ई.सी.एल.	3	1	2
सी.आई.एल.	1	1	0
विविध (एस. एण्ड एम. से संबंधित नहीं)	1	1	0
जोड़	22	8	14

(ङ) निदेशक (कार्मिक), कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई.एल.) के अधीन एक शिकायत सैल पहले ही कार्य कर रहा है जो उपभोक्ताओं की शिकायतों सहित सभी प्रकार की शिकायतों को देखता है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता अपनी शिकायतों के बारे में सी.आई.एल. तथा संबंधित कोयला कंपनी को सीधे लिखते हैं जिनका संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मैरिट के अनुसार निपटान किया जाता है।

(च) सी. आई. एल. के विपणन प्रभाग में गठित शिकायत निवारण सैल कोयले के विक्रय और विपणन से उठने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों पर फोकस करता है और शिकायतों के निपटान में हुई प्रगति के बारे में निदेशक मंडल को नियमित आधार पर रिपोर्ट करता है। यह आशा है कि इस सैल के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों का काफी हद तक शीघ्रता से समाधान होगा।

भारत-भूटान सीमा पुलिस

121. श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या **उप-प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में स्थानीय बोड़ो जन जातीय युवाओं मुख्यतः आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों की भर्ती करके भारत–भूटान सीमा क्षेत्र में उल्फा तथा एन डी एफ बी द्वारा प्रभावी ढंग से चलाए जा रहे सीमा पार के आतंकवाद को रोकने के लिए एक भारत–भूटान सीमा पुलिस का गठन करने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

अग्निशामक सेवाओं का आधुनिकीकरण

122. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में अग्निशमन और अग्निशामक सेवाओं के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख शहरों में बहुमंजिली इमारत में आग लगने से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाएं अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रमुख शहरों में अग्निशमन सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश से मदद मांगी है;

(च) यदि हां, तो अग्नि सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रशिक्षण तथा उपकरण के मामले में मांगी गयी तथा प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2003–2004 में इस प्रकार की सहायता हेतु राज्य–वार कितना आबंटन किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) से (घ) अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को अग्निशमन नियंत्रण और अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए यथोचित मार्गनिर्देश तैयार करके और सम्भारिकी और वित्तीय सहायता देकर राज्यों का मार्गदर्शन और सहायता करती है। राज्य सरकारों को भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता का अनुपालन करने की सलाह दी गई है जिसमें बहु–मंजिला इमारतों के लिए अग्निशमन सुरक्षा प्रावधानों के ब्यौरे हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (छ) प्रश्न नहीं उठता है।

गुजरात दंगे

123. डा. जसवंतसिंह यादव :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **उपप्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेस्ट बेकरी मामला सहित पांच दंगों संबंधी मुकदमों की नए सिरे से गुजरात से बाहर सुनवाई करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके अनुपालन में क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेस्ट बेकरी

मामले के नाम से ज्ञात वर्ष 2002 का सत्र मामला संख्या 248 में फास्ट ट्रेक न्यायालय सं. 1, वड़ोदरा के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा तारीख 27.6.2003 को दिए गए फैसले और निर्णय को अपास्त करने तथा एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा आगे की जांच करने और मामले की सुनवाई गुजरात राज्य से बाहर किसी सक्षम न्यायालय में कराने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए, एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। इस विशेष अनुमति याचिका को 2003 की रिट याचिका आपराधिक सं. 109 में परिवर्तित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फरवरी तथा मई 2002 के बीच हुई साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं से उत्पन्न कुछेक मामलों जो गुजरात राज्य में लंबित है को गुजरात न्यायालय से बाहर के न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए अंतरण याचिका वर्ष 2003 की सं. 194–202 भी दायर की।

(ग) और (घ) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतिम आदेश पारित नहीं किए हैं।

मुम्बई शहरी बुनियादी ढांचागत परियोजना

124. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई शहरी बुनियादी ढांचागत परियोजना की परियोजना लागत में केन्द्र तथा राज्य के बीच भागीदारी के लिए प्रस्ताव लम्बे समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण

125. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज संसाधनों का कोई सर्वेक्षण कराया है जैसा कि दि. 15.4.2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 3323 में उल्लेख हुआ है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण किया गया है और अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या आज की तिथि तक किसी नए खनिज का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो खनिजवार तथा स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय–भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) ने बिहार राज्य के जमुई, बांका, भागलपुर नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, गया, और नालंदा जिलों के कुछेक भागों में सोना, आधार धातु, दुर्लभ–धातु (रेयर मेटल) एवं आयामी पत्थर (डाइमेंशन स्टोन) के लिए भू–रासायनिक मानचित्रण युक्त सर्वेक्षण कार्य किया है।

(ग) और (घ) आर्थिक रूप से व्यवहार्य सोना और आधारधातु खनिजीकरण के किसी निश्चित क्षेत्र की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तथापि, राज्य के मुख्यतः भागलपुर बांका, मुंगेर, जमुई, जहानाबाद, गया और नालन्दा जिलों में आयामी पत्थर (डाइमेंशन स्टोन) ग्रेनाइट के लगभग 877 मिलियन क्यूबिक मीटर स्वस्थाने संसाधन होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ का विकास

126. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए पंजाब, हरियाणा और संघ शासित क्षेत्र में स्थित कोई अन्तर्राज्यीय निकाय है;

(ख) यदि हां, तो इस निकाय के गठन के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी बैठकें की गई और कितने निर्णय लिए गए;

(घ) क्या यह निकाय अपने प्रकट उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो चंडीगढ़ क्षेत्र के समेकित विकास के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा तथा संघ शासित प्रदेश में आने वाले चंडीगढ़ क्षेत्र के विकास तथा विनियमन के लिए अंतर्राज्यीय निकाय मौजूद हैं। इस उद्देश्य के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य हैं :– मुख्य सचिव, पंजाब सरकार; मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार; चीफ ऑफ स्टाफ, सी.ओ.आर.पी. एस., चंडीगढ़ तथा मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ (अब प्रशासक के सलाहकार)।

उपर्युक्त समिति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

(i) चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश तथा मोहाली एवं पंचकुला उपनगरों (टाऊनशिप) की विकास योजनाओं का अध्ययन करना तथा इस क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु उपाय सुझाना;

(ii) पहले ही कार्यन्वित हो चुके तथा दो उपनगरों में कार्यान्वित किये जा रहे विकास कार्यक्रमों का सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास पर प्रभाव का आकलन करना तथा राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश द्वारा किये जाने वाले उपचारी उपाय सुझाना; एवं

(iii) चंडीगढ़ तथा उसके प्रभाव–क्षेत्र में आने वाले शहरी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा तैयार करना।

गत तीन वर्षों में दिनांक 7 जुलाई, 2000 को चंडीगढ़ में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में चंडीगढ़ अंतर्राज्यीय मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय योजना 2001 की जांच तथा समीक्षा की गयी। पंजाब सरकार तथा हरियाणा सरकार से अपने सुझावों के साथ–साथ रिपोर्ट पर अपनी अपनी टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया था ताकि चंडीगढ़ क्षेत्र के लिए एक स्वीकार्य समेकित योजना की तैयारी करने के लिए अगली बैठक में उन पर चर्चा की जा सके।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न के (घ) भाग के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा की खानों से चोरी

127. श्री के. पी. सिंह देव :

श्री परसुराम माझी :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा की विभिन्न खानों से विशेषतः लौह अयस्क और मैगनीज खनिजों की चोरी की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज की तिथि के अनुसार पता लगायी गयी इस प्रकार की घटनाओं की खान–वार और कंपनीवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान चोरी के कारण राजस्व का अनुमानतः कितना घाटा हुआ है;

(घ) राज्य से बाहर तस्करी किये जाने वाले खनिजों की अनुमानित कीमत कितनी है;

(ङ) खानों में चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) अन्य खनिज उत्पादक राज्यों की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (च) विभिन्न राज्यों में खनिजों की चोरी/अवैध खनन की घटनाएं समय–समय पर केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं। राज्य, खनिजों के स्वामी हैं और खनिजों की चोरी/अवैध खनन का राज्यों के राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अतः अवैध खनन/चोरी, यदि कोई हो, को रोकने का दायित्व राज्य सरकारों का है और इसलिए इस संबंध में विस्तृत सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

अवैध खनन पर कारगर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 सी के प्रावधानों के तहत् खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

खादी क्षेत्र

128. श्री अनन्त नायक : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में खादी क्षेत्र में निवेश करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस योजनावधि के दौरान खादी क्षेत्र में राज्य–वार विशेषतः उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले ग्रामीण उद्योग का ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार राज्य सरकारों को सीधे ही फण्ड्स को रिलीज/निवेश नहीं करती हैं। सरकार सभी राज्यों में खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के सवर्धन और विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) को फण्ड्स प्रदान करती है। देश के खादी सेक्टर में निवेश हेतु दसवीं योजना के दौरान 495.06 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।

(ग) देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामोद्योग सेक्टर में 138004 परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें से 10वीं योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा में 4886 परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। 10वीं योजना अवधि में राज्यवार लक्ष्यों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

10वीं योजना अवधि के दौरान आर ई जी पी के तहत वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में लक्ष्य

(व्यक्तियों की सं.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1271	1199	1295	1399	1511
2.	अरुणाचल प्रदेश	65	67	72	78	84
3.	असम	1400	1381	1491	1611	1740
4.	बिहार	1299	1230	1328	1435	1549
5.	गोवा	190	434	469	506	547
6.	गुजरात	529	658	711	767	829
7.	हरियाणा	736	673	727	785	648
8.	हिमाचल प्रदेश	644	590	637	688	743
9.	जम्मू–कश्मीर	653	620	670	723	781
10.	कर्नाटक	1166	1231	1329	1436	1551
11.	केरल	1245	1139	1230	1329	1435
12.	मध्य प्रदेश	1180	1037	1120	1210	1306
13.	महाराष्ट्र	1514	1941	2096	2264	2445

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	70	73	78	85	92
15.	मेघालय	101	383	416	449	485
16.	मिजोरम	110	118	127	138	149
17.	नागालैंड	120	237	256	276	298
18.	उड़ीसा	759	916	989	1068	1154
19.	पंजाब	1388	1261	1362	1471	1588
20.	राजस्थान	2121	2098	2266	2447	2642
21.	सिक्किम	06	84	91	98	106
22.	तमिलनाडु	1155	1122	1212	1309	1414
23.	त्रिपुरा	112	200	281	303	328
24.	उत्तर प्रदेश	2154	2105	2273	2456	2652
25.	प. बंगाल	2403	2412	2605	2813	3038
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	40	42	45	49	53
27.	चंडीगढ़	71	86	93	100	108
28.	दादरा और नागर हवेली	02	02	02	02	03
29.	दमन और द्वीव	02	02	02	02	03
30	दिल्ली	35	35	38	41	44
31.	लक्षद्वीप	02	01	01	01	01
32.	पांडिचेरी	08	09	10	10	11
33.	छत्तीसगढ़	492	502	542	586	632
34.	झारखंड	523	671	725	783	845
35.	उत्तरांचल	650	631	681	736	795
	योग	24216	25252	27272	29454	31810

के.औ.सु.ब. में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

129. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के. औ. सु. ब. को इसमें कार्य कर चुके व्यक्तियों के संबंधियों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार लंबित मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे कितने आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं और इसके क्या कारण है; और

(घ) इन आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए के. औ. सु.ब. की नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए कौन से कदम प्रस्तावित है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) 1992 से अब तक 2123 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) 2123 आवेदन पत्रों में से अनुकंपा आधार पर 963 नियुक्तियां की गई तथा विभिन्न प्रशासनिक कारणों से 894 आवेदन अस्वीकृत किए गए। आज की तारीख में 266 मामले बकाया है।

(घ) कार्रवाई में तेजी लाने हेतु सैक्टर महा निरीक्षकों को प्रत्येक मामले की जांच पात्रता के आधार पर करने तथा इन्हें महानिदेशक के विचारार्थ संस्तुत करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

आवासीय नगरों की स्थापना

130. श्रीमती प्रभा राव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की निजी क्षेत्र की कुछ फर्मों ने आवासीय नगरों की स्थापना करने की परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और देश के विभिन्न भागों में शुंरू की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी और प्रत्येक कंपनी द्वारा कितने मकान बनाए जाएंगे;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए इन कंपनियों को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति, 98 में निजी क्षेत्र और आवास परियोजनाओं में इसके वृहत निवेश को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। चूंकि आवास एक राज्य का विषय है, इसलिए यह संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने आवास कार्यक्रम में यथासंभव निजी क्षेत्र को शामिल करें। विभिन्न राज्यों के आवास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र के वास्तविक निवेश के आंकड़े केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते। तथापि, भारत की रीयल एस्टेट विकासकों की एसोसिएशन के संघ (सीआरईडीएआई) ने सूचित किया है कि अभी तक किसी भी निजी विकासक ने सही मायने में कस्बाकृत विकास के लिए कोई परियोजना नहीं ली है, हालांकि कुछेक आवास और रीयल एस्टेट विकास परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में प्रारंभ हुई हैं। निजी विकासक ऐसी आवास और रीयल एस्टेट विकास परियोजनाओं के लिए आवास और नगर विकास निगम (हडको) से ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों का वित्तपोषण

131. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होमगार्डों और अन्य नागरिक सुरक्षा बलों के वित्तपोषण के बारे में कोई आकलन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली और अन्य राज्यों में इन बलों में भर्ती संबंधी नियमों के उल्लंघन की कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा को खड़ा करने, उसे प्रशिक्षित और सुसज्जित करने पर होने वाले व्यय को केन्द्र एवं राज्यों द्वारा आपस में बांटा जाता है। चालू वित्तीय नीति के अनुसार, असम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों को व्यय की 50% प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य राज्यों के संबंध में व्यय की 25%

प्रतिपूर्ति की जाती है। तथापि, बोर्डर विंग होम गार्डस के संबंध में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के संबंध में केन्द्र सरकार 100% व्यय वहन करती है और गुजरात, पंजाब तथा राजस्थान के संबंध में 75% व्यय वहन करती है। इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा होम गार्ड को 36 करोड़ रु. और नागरिक सुरक्षा हेतु 6 करोड़ रु. आबंटित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होम गार्डों की भर्ती, पुनः भर्ती और सेवामुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। चूंकि होम गार्ड राज्य का विषय है, इसलिए इन्हें उचित कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार को अग्रेषित कर दिया गया।

खनन क्षेत्र में निजी निवेश

132. श्री भास्करराव पाटील :

डा. चरणदास महंत :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री अधीर चौधरी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में खनन क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश आकर्षित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश हेतु निजी कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) 1990 के दशक में, केन्द्र सरकार का प्रयास खनिजों के गवेषण और दोहन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी क्षेत्र की और अधिक भागीदारी को सुगम बनाने, खनन क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लाने, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण एवं राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने का रहा है। इनके अनुसरण में राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) 1993 घोषित की गई तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) को वर्ष 1994 और 1999 में संशोधित किया गया। इसके अलावा खनन क्षेत्र के उद्योग/निवेशकों के परामर्श से दो मूलभूत नियमावलियों नामतः खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एम सी आर) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (एम सी डी आर) को संशोधित किया गया है ताकि खनन क्षेत्र में और अधिक निजी कंपनियों को आकृष्ट करने हेतु खनिज रियायत प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रावधान किया जा सके।

(ग) और (घ) वर्ष 1999 में टोही परमिट (आर. पी.) की संकल्पना को लागू किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य खनिजों के गवेषण में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना है। अब तक केन्द्र सरकार ने 2,07,669 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को कवर करते हुए टोही परमिट के 157 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में भ्रष्टाचार

133. श्री के. पी. सिंह देव : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी जांच में तेजी लाने और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् नवम्बर, 2000 से अक्तूबर, 2003 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो और अन्य राज्य–अन्वेषण–अभिकरणों से, 46 मामलों में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, भ्रष्टाचार निवारण–अधिनियम, 1988 के अनुसार उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के अनुरोध मिलते हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मुकदमा चलाने की मंजूरी, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो और राज्य–अन्वेषण–अभिकरणों द्वारा छान–बीन पूरी कर लिए जाने पर माँगी जाती है। मुकदमा चलाने की मंजूरी शीघ्रता से

जारी किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार, मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने में प्रगति पर लगातार, गहराई से नजर रखती है। विशेष न्यायालयों में सुनवाई शीघ्र पूरी किए जाने के भी प्रयास किए जाते हैं। न्यायालय में सुनवाई के निष्कर्ष के आधार पर, आरोपित अधिकारियों के विरूद्ध नियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही भी आरंभ कर दी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	संवर्ग का नाम	भ्रष्टाचार–निवारण–अधिनियम, 1988 के अनुसार मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने के प्राप्त हुए मामलों की संख्या
1.	अरुणाचल, गोवा मिजोरम, संघ–राज्य–क्षेत्र	4
2.	झारखंड	1
3.	गुजरात	3
4.	हरियाणा	2
5.	मणिपुर–त्रिपुरा	3
6.	राजस्थान	2
7.	सिक्किम	1
8.	तमिलनाडु	10
9.	उत्तर प्रदेश	2
10.	महाराष्ट्र	1
11.	केरल	3
12.	आन्ध्र प्रदेश	1
13.	असम–मेघालय	1
14.	बिहार	4
15.	कर्नाटक	2
16.	उड़ीसा	3
17.	पंजाब	1
18.	मध्य प्रदेश	1
19.	छत्तीसगढ़	1

ग्रामीण विकास के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान करना

134. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के दौरान अब तक इस प्रयोजनार्थ निर्धारित निधियों का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दूरदर्शन एवं संचार तंत्र के इस युग में इसका क्या महत्व है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को निधियां नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम.डी.एम.ए. का निष्कर्ष

135. श्रीमती प्रभा राव :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी की हत्या के पीछे षड्यंत्र की जांच करने हेतु जैन आयोग के निर्देशों के तहत गठित मल्टी डिस्पलीनरी मॉनीटरिंग एजेन्सी (एम.डी.एम.ए.) के निष्कर्षों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो एम.डी.एम.ए. के निष्कर्ष क्या है और क्या उसमें नामित व्यक्तियों के आलोक में किन्हीं और व्यक्तियों से पूछताछ की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे पूछताछ की गयी है और उनके विरूद्ध कौन से ताजे मामले दर्ज किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) :

(क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान, मल्टी डिस्पलीनरी मॉनीटरिंग एजेन्सी (एम. डी. एम. ए.) की जांच पड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है और इसलिए, उनके निष्कर्ष सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

136. **श्री भास्करराव पाटील :**

डा. बलिराम :

श्री अधीर चौधरी :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003–2004 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मांगी गयी और आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान और अब तक सरकार को इस योजना के तहत आबंटित निधियों का अन्यत्र उपयोग किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के तहत निर्मित सड़कों की खराब गुणवत्ता के संबंध में भी शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) इस परियोजना की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) केन्द्रीय सड़क कोष अधिनियम के अनुसार पी. एम. जी. एस. वाई. का वित्तपोषण केन्द्रीय सड़क कोष में सम्भूति से किया जाता है। 2003–2004 के दौरान पी. एम. जी. एस. वाई के लिए 2325 करोड़ रु. की बजट व्यवस्था है। 2003–2004 के लिए राज्यवार निधि के आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) पी. एम. जी. एस. वाई. के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है, जिसके दो स्तर राज्य सरकारों के पास हैं। पी. एम.जी.एस.वाई. दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों/अभ्यावेदनों की जांच पड़ताल के लिए राज्य गुणवत्ता समन्वयक/पी.आई.यू. के अध्यक्ष प्राधिकारी होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए.) सड़क कार्यों की गुणवत्ता का यादृच्छिक सत्यापन करने के लिए तीसरे स्तर के रूप में राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटर नियुक्त करती है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों द्वारा दी गई राज्यवार ग्रेडिंग का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों की रिपोर्ट राज्य सरकारों का यह सुनिश्चित करने के लिए भेज दी जाती हैं कि यदि मॉनीटरों द्वारा किसी प्रकार के उल्लघन/कमी का पता लगाया जाता है तो उन्हें दूर किया जाता है और जहां आवश्यकता हो, जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(च) पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन में राज्यवार वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण–III में दी गई है।

विवरण-I

2003–04 के लिए पी. एम. जी. एस. वाई के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक आबंटन (करोड रु. में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	90
2	अरुणाचल प्रदेश	35
3	असम	75
4	बिहार	150
5	छत्तीसगढ़	87
6	गोवा	5

1	2	3
7	गुजरात	50
8	हरियाणा	20
9	हिमाचल प्रदेश	60
10	जम्मू–कश्मीर	20
11	झारखंड	110
12	कर्नाटक	95
13	केरल	20
14	मध्य प्रदेश	213
15	महाराष्ट्र	130
16	मणिपुर	20
17	मेघालय	35
18	मिजोरम	20
19	नागालैंड	20
20	उड़ीसा	175
21	पंजाब	25
22	राजस्थान	130
23	सिक्किम	20
24	तमिलनाडु	80
25	त्रिपुरा	25
26	उत्तर प्रदेश	315
27	उत्तरांचल	60
28	प. बंगाल	135
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10
30	दादरा और नागर हवेली	5
31	दमन और दीप	5
32	दिल्ली	5
33	लक्षद्वीप	5
34	पांडिचेरी	5
	कुल	2255

टिप्पणी : शेष 70 करोड़ रु. की राशि से प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और यह राशि विशेष समस्या वाले क्षेत्रों (सीमावर्ती जिलों/नक्सलयाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित) की आवश्यकताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।

विवरण-II

मार्च, 2002 से सितम्बर, 2003 तक राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा कार्यों को दी गई ग्रेडिंग

क्र. सं	राज्य	निरीक्षित कार्यों की सं.	ग्रेडिंग											
			खराब			औसत			अच्छा			बहुत अच्छा		
			सी	आई	टी	सी	आई	टी	सी	आई	टी	सी	आई	टी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	आंध्र प्रदेश	987	0	18	18	21	167	188	100	531	631	150	0	150
2	अरुणाचल प्रदेश	34	0	4	4	0	19	19	2	9	11	0	0	0
3	असम	140	0	0	0	2	8	10	48	70	118	12	0	12
4	बिहार	286	0	6	6	0	59	59	6	203	209	12	0	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	छत्तीसगढ़	532	0	13	13	7	104	111	17	366	383	25	0	25
6	गोवा													
7	गुजरात	786	0	29	29	7	103	110	44	465	509	138	0	138
8	हरियाणा	148	0	7	7	2	9	11	5	114	119	11	0	11
9	हिमाचल प्रदेश	605	1	9	10	5	77	82	17	408	425	88	0	88
10	जम्मू-कश्मीर													
11	झारखंड	311	0	22	22	8	111	119	18	141	159	11	0	11
12	कर्नाटक	859	4	37	41	30	247	277	52	414	466	75	0	75
13	केरल	398	0	0	0	16	32	48	22	265	287	63	0	63
14	मध्य प्रदेश	1165	0	11	11	0	105	105	28	838	866	183	0	183
15	महाराष्ट्र	1281	1	25	26	3	225	228	45	855	900	127	0	127
16	मणिपुर	66	16	19	35	14	9	23	4	4	8	0	0	0
17	मेघालय	55	0	12	12	0	5	5	0	33	33	5	0	5
18	मिजोरम	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0
19	नागालैंड	37	0	0	0	0	12	12	12	13	25	0	0	0
20	उड़ीसा	744	2	6	8	13	139	152	57	280	337	247	0	247
21	पंजाब	602	0	0	0	0	42	42	70	294	364	196	0	196
22	राजस्थान	1200	0	22	22	25	82	107	121	618	739	332	0	332
23	सिक्किम													
24	तमिलनाडु	1335	0	8	8	39	78	117	230	496	728	482	0	482
25	त्रिपुरा													
26	उत्तर प्रदेश	1690	0	40	40	0	183	183	56	1006	1062	405	0	405
27	उत्तरांचल	343	0	7	7	2	66	68	20	227	247	21	0	21
28	प. बंगाल	379	0	17	17	17	45	62	32	225	257	43	0	43
	कुल	13997	24	312	336	211	1927	2138	1006	7891	8897	2626	0	2626

सी–पूरी की गई सडकें, आई–पूरी न की गई सडकें, टी–कुल सडकें

विवरण-III

पी. एम. जी. वाई. 2000–01 (चरण–1) और 2001–02 एवं 2002–03 (चरण–2) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01			2001-02 और 2002-03		
		सड़क कार्यों की कुल सं.	सितम्बर, 03 तक पूर्ण सड़क कार्यों की सं.	पूर्ण सड़क कार्यों का प्रतिशत	सड़क कार्यों की कुल सं.	सितम्बर, 03 तक पूर्ण सड़क कार्यों की सं.	पूर्ण सड़क कार्यों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	1479	1479	100.00	1639	1118	68.21
2	अरुणाचल प्रदेश	204	204	100.00	137	50	36.50
3	असम	211	185	87.68	293	113	38.57
4	बिहार	298	54	18.12	666	0	0.00
5	छत्तीसगढ़	113	91	80.53	270	134	49.63
6	गोवा	70	70	100.00	50	0	0.00
7	गुजरात	222	157	70.72	438	365	83.33
8	हरियाणा	21	21	100.00	30	2	6.67
9	हिमाचल प्रदेश	127	125	98.43	246	92	37.40
10	जम्मू–कश्मीर	37	2	5.41	74	1	1.35
11	झारखंड	168	81	48.21	202	2	0.99
12	कर्नाटक	412	406	98.54	938	314	33.48
13	केरल	33	27	81.82	184	52	28.26
14	मध्य प्रदेश	460	329	71.52	741	301	40.62
15	महाराष्ट्र	810	800	98.77	804	258	32.09
16	मणिपुर	663	87	13.12	127	0	0.00
17	मेघालय	208	208	100.00	109	0	0.00
18	मिजोरम	10	10	100.00	24	9	37.50
19	नागालैंड	127	120	94.49	27	7	25.93
20	उड़ीसा	518	432	83.40	654	250	38.23

1	2	3	4	5	6	7	8
21	पंजाब	86	86	100.00	249	222	89.16
22	राजस्थान	338	331	97.93	669	514	76.83
23	सिक्किम	30	30	100.00	30	0	0.00
24	तमिलनाडु	865	862	99.65	450	398	88.44
25	त्रिपुरा	193	159	82.38	54	1	1.85
26	उत्तर प्रदेश	5133	5129	99.92	1529	629	41.14
27	उत्तरांचल	69	49	71.01	92	9	9.78
28	पं. बंगाल	174	138	79.31	213	20	9.39
	कुल (राज्य)	13079	11672	89.24	10939	4861	44.44
संघ राज्य क्षेत्र							
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	0	0.00	11	0	0.00
30	दादरा और नगर हवेली				37	0	0.00
31	दमन और द्वीव						
32	दिल्ली	1	0	0.00			
33	लक्षद्वीप						
34	पांडिचेरी	52	52	100.00	34	9	26.47
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	60	52	86.67	82	9	10.98
	कुल योग	13139	11724	89.23	11021	4870	44.19

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ खेल संबंध

137. **श्री राम जीवन सिंह :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को बहाल करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 18 अप्रैल, 2003 को प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई पहल के एक हिस्से के रूप में, तथा पाकिस्तान की जनता के साथ जनता के संपर्क और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ाने की प्रक्रिया के पहल कदम के रूप में, एक–दूसरे के देश में बहुपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी थी। इस ढांचे में, सरकार ने हाल ही में श्रीलंका में (भारत–पाकिस्तान–श्रीलंका

की) 'अकादमी' टीमों, पाकिस्तान में (भारत–पाकिस्तान–श्रीलंका–बांग्लादेश की) 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की टीम के अंतर्गत एक–दिवसीय मैचों की चतुष्कोणिय श्रृंखला, भारत में (भारत–पाकिस्तान–श्रीलंका की) 'ए' टीमों के बीच एक–दिवसीय मैचों की त्रिकोणीय श्रृंखला की अनुमति दी है। भारत ने अक्तूबर–नवंबर, 2003 में हैदराबाद में हुए एफ्रो–एशियाई खेलों में पाकिस्तान की सहभागिता को भी अनुमोदित किया था।

बाद में, 22 अक्तूबर, 2003 को सरकार ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेल प्रतिस्पर्धाओं, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है, को बहाल करने की इच्छा जाहिर की। पाकिस्तान, इस संबंध में भारत के प्रस्ताव से सहमत हो गया है।

[हिन्दी]

उत्प्रवास योजना

138. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्प्रवास घोटाला में आसूचना ब्यूरो के कुछ अधिकारियों के शामिल होने तथा विदेशी अपराधियों के साथ उनकी अहितकरी गठजोड़ की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा हाल की दो घटनाओं में शामिल अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है तथा इस प्रकार की गतिविधियों में आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों की सहभागिता को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) ऐसा कोई घोटाला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) यह स्पष्ट नहीं है कि कौन से दो मामलों का उल्लेख किया जा रहा है। तथापि, 2002 में आठ अधिकारियों और 2003 में आठ अधिकारियों के विरूद्ध आप्रवासन ड्यूटियों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए कार्रवाई की गई है।

अनुच्छेद 370/371 के अंतर्गत विशेष दर्जा

139. डा. जसवन्तसिंह यादव : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुच्छेद 370/371 के अंतर्गत कुछ राज्यों को दिए जा रहे विशेष दर्जे को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुच्छेद 370/371 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) इन राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संविधान के अनुच्छेद 370/371 के तहत विशेष प्रावधान बनाए गए थे।

[अनुवाद]

जाली नोट

140. श्री नरेश पुगलिया : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 500 रुपये के जाली नोटों के बड़े पैमाने पर प्रचलन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये जाली नोटों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002–2003 के दौरान राज्यवार किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 500 रुपये मूल्य–वर्ग के नोटों को बंद करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्मयानन्द स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सूचनानुसार, वर्ष 2002 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक की

विभिन्न शाखाओं पर 500 रु. मूल्य के 49226 नोट बरामद किए गए और 35568 नोट पुलिस द्वारा जब्त किए गए। वर्ष 2003 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को शाखाओं पर 16152 नोट बरामद किए गए और 12207 नोट पुलिस द्वारा जब्त किए गए। वर्ष 2002 और 2003 के दौरान जब्त की गई मुद्रा और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 2002 और 2003 के दौरान जब्त 500 रु. मूल्य के जाली नोट और गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002			2003		
		नोटों की संख्या		गिरफ्तार किए गए अभियुक्त	नोटों की संख्या		गिरफ्तार किए गए अभियुक्त
		बरामद किए गए	जब्त किए गए		बरामद किए गए	जब्त किए गए	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	3059	3957	36	716	759	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	26	2	0	0	0
3.	असम	880	715	6	717	240	20
4.	बिहार	1143	0	-	2349	0	-
5.	छत्तीसगढ़	0	0	-	1	35	0
6.	गोवा	0	3	3	10	25	0
7.	गुजरात	4298	6327	0	860	624	2
8.	हरियाणा	9	100	4	0	33	9
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	-	0	0	0
10.	जम्मू–कश्मीर	447	7391	21	168	227	5
11.	झारखंड	0	0	-	0	0	-
12.	कर्नाटक	2855	3347	489	431	533	47
13.	केरल	990	1186	26	164	321	12
14.	मध्य प्रदेश	135	386	8	155	132	0
15.	महाराष्ट्र	5306	4812	14	3126	2682	6

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	0	813	3	0	96	7
17.	मेघालय	0	13	1	0	58	2
18.	मिजोरम	0	202	8	2	322	6
19.	नागालैंड	0	5	7	0	224	1
20.	उड़ीसा	206	25	0	68	115	0
21.	पंजाब	0	2808	35	0	4598	43
22.	राजस्थान	1094	13	2	255	2	2
23.	सिक्किम	0	0	-	0	1	1
24.	तमिलनाडु	1171	2502	27	360	127	2
25.	त्रिपुरा	0	35	2	0	157	0
26.	उत्तरांचल	0	0	-	1686	880	0
27.	उत्तर प्रदेश	9385	290	16	0	11	19
28.	पश्चिम बंगाल	2613	26	4	2600	0	0
	कुल (राज्य)	33591	34982	714	13668	12202	203
संघ शासित क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	-	6	0	0
30.	चंडीगढ़	1214	577	0	340	3	1
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	-	0	0	0
32.	दमण और द्वीव	0	0	-	0	2	2
33.	दिल्ली	14421	8	1	2138	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	-	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	1	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	15635	586	1	2484	5	3
	कुल (अखिल भारत)	49226	35568	715	16152	12207	206

नोट : वर्ष 2003 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड

141. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उर्वरक निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2002--03 के लिए 300 करोड़ का रिकार्ड लाभांश घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। एन एफ एल ने वित्त वर्ष 2002--03 के लिए 300 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया है जिसमें से 292.92 करोड़ रुपए की अदायगी भारत सरकार को सरकार द्वारा धारित साम्य शेयरों के संबंध में की गई है और शेष 7.08 करोड़ रुपए की लाभांश राशि अन्य शेयर धारकों को दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 3 दिसम्बर, 2003 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.24 बजे

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार, 3 दिसम्बर, 2003/12 अग्रहायण, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशि
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।